Par. S. 17. II. 18. 52
285

अंक २

सख्या १८

सत्यमेव जयते

शनिवार

२ अगस्त, १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३६४३—३६४६]

(मूल्य ४ आने)

470 PSD.

लोक सभा

शनिवार, २ अगस्त १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

बाढ़ ग्रस्त आसाम की हानि का अध्ययन करने के लिये पदाधिकारियों का दौरा

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के निमित्त मांगों पर मतदान के लिये ३ जुलाई, १९५२ को हुए वाद-विवाद के समय वित्त मंत्री के भाषण में वचन बद्ध उस पदाधिकारी मंडल की, जो आसाम का दौरा करके वहां के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में हुई क्षति, आदि को रोकने का उपचार सोचे तथा अन्य समस्याओं का अध्ययन करे, नियुक्ति की जा चुकी है;

(ख) यदि हां तो उस मंडल के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) वे किन किन विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं ; तथा

(घ) कब वे दौरे पर जाने वाले हैं?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) और (ग)—

(१) श्री एच० वी० आर० अय्यंगार, गृहकार्य मंत्रालय (नेता) ।

(२) श्री पी० सी० भट्टाचार्य, वित्त मंत्रालय ।

(३) श्री एच० पी० मथरानी, सड़क सम्बन्धी परामर्शदाता इंजीनियर, यातायात मंत्रालय ।

श्री जी० आर० गर्ग—सिंचाई इंजीनियर—पहले ही जा चुके हैं । कुछ समय बाद कदाचित एक या दो अन्य पदाधिकारी भी चले जायेंगे ।

(घ) वे सभी आसाम सरकार की प्रार्थना के अनुसार ५ अगस्त को जा रहे है, यानी उन्हें बहुत समय पहले जाना चाहिये था किन्तु कुछ दिन हुए कि आसाम सरकार ने उन्हें यह प्रार्थना की कि वे कुछ दिन बाद आयें, क्योंकि वहां की सरकार और गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण उन्हें उनके काम में साथ नहीं दे सकती थी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि बड़े भारी भूकम्पों और बाढ़ों के परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी से बहाये गये मिट्टी-गारे के कारण नदियों का प्रवाह रुक गया है और सहायक

नदियों का पानी, ब्रह्मपुत्र नदी में निर्बाध रूप से मिल नहीं पाता, और, इसीलिये उन सहायक नदियों के मुहानों का निम्न तल उभर रहा है, जो सभी आसाम-क्षेत्र में आने वाली बहुत बड़ी बाढ़ों का एक प्रमुख कारण है ?

श्री जवाहरलाल नेहरु : जी हां, श्रीमान्। भूकम्प होने के परिणामस्वरूप नदियों के मुहानों और नदियों के प्रवाह में सभी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, और अभी भी ये परिवर्तन हो रहे हैं जिन के कारण बड़ी बड़ी समस्यायें प्रस्तुत हुई हैं।

यह भी स्पष्ट है कि इन बाढ़ों के कारण ही उक्त पदाधिकारी-मंडल आसाम नहीं जा रहा है। वित्त मंत्रालय अथवा गृह-कार्य मंत्रालय हमें इन बाढ़ों के सम्बन्ध में कोई भी परामर्श नहीं दे सकते। बाढ़ों के आने से पहिले ही इस पदाधिकारी-मंडल की नियुक्ति की जा चुकी थी। चूंकि आसाम पर कई एक आपत्तियां टूट पड़ीं, जिन के कारण कई समस्यायें सम्मुख हुईं, अतः हम यही चाहते थे कि लिखा-पढ़ी पर समय का अधिक दुरुपयोग न हो, और आसाम की इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। इस के बाद बाढ़ें आईं और हम ने वहां एक-दो इंजीनियरों को भेजा, और अब उन के साथ एक और इंजीनियर को भी रखा गया है ताकि मौके पर ही जांच हो जाय और हमारे पास सारी समस्या की रिपोर्ट पहुंच सके।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या विगत दो-तीन वर्षों से, और भूकम्प होने के समय से इन बाढ़ों के कारण आसाम निवासियों को हुई क्षति के आंकड़े सरकार तथा जनता द्वारा तैयार किये जा चुके हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : बाढ़ों अथवा भूकम्प के कारण हुई क्षति के आंकड़े ? किस कारण हुई क्षति के ? ये दोनों तो एक साथ रखे गये हैं। भूकम्प के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई थी, और उसी वर्ष अनुवर्ती बाढ़ों के कारण कुछ क्षति हुई थी। उन का अलग अलग आंक बनाना तो बहुत ही कठिन काम है। मैं ने कम से कम इस तरह का कोई भी आंक नहीं देखा है।

जनाब अमजद अली : क्या इस बात का निश्चय उन ही पदाधिकारियों पर छोड़ा गया है कि वे आसाम के किस २ भाग का दौरा करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मोटे तौर पर इस बात का निश्चय आसाम सरकार ने ही किया है। उक्त पदाधिकारी आसाम सरकार के पास जाकर उन से बात चीत कर लेंगे, और उन के परामर्श के अनुसार ही वे आसाम के कुछ पदाधिकारियों के साथ वहां की अनेक जगहों का दौरा करेंगे।

शनिवार,
२ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, २ अगस्त, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

८-२० म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

दक्षिण में हिन्दी विरोधी आन्दोलन

अध्यक्ष महोदय: श्री वीरस्वामी ने एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी है और मैंने उन्हें सूचित कर दिया है कि मैं उस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इसका किसी विशेष घटना से सम्बन्ध नहीं। इसमें केवल यह कहा गया है कि हिन्दी विरोधी आन्दोलन चलाने वाले कुछ व्यक्तियों ने रेलवे स्टेशनों तथा डाकखानों के हिन्दी के पोस्टरों को उखाड़ दिया है। यदि इससे उनका अभिप्राय शान्ति तथा व्यवस्था से है तो यह मद्रास सरकार का कार्य है, केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री रसिकलाल यू० पारिख का त्याग पत्र

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदस्यों को यह सूचित करना है कि श्री रसिकलाल यू० पारिख ने लोक सभा से २८ जुलाई, १९५२ से त्याग पत्र दे दिया है।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन विधेयक) —जारी

अध्यक्ष महोदय: सदन अब निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा :

"निवारक निरोध अधिनियम, १९५०, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जैसा कि वह संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया, विचार किया जाय।"

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : इस प्रश्न पर काफी चर्चा हुई और हम राज्य की सुरक्षा और नजरबन्द के साथ किये जाने वाले न्याय के बीच भेद नहीं कर सके। कल मैंने कहा था कि राज्य विशेषाधिकार की मांग करे तो यह ऐसा किसी भी मामले में कर सकता है और निवारक निरोध अधिनियम में किसी विशेष उपबन्ध को इसलिये कि यह विशेषाधिकार मांग सकता है तथा नजरबन्द को उसकी नजरबन्दी के कारण न बतलाये, रखना आवश्यक नहीं है। यदि किसी नज़रबन्द को उसकी नज़रबन्दी के कारण न बताये जायें तो वह मंत्रणा बोर्ड से कैसे अभ्यावेदन कर सकता है? अतः मैं समझता हूं कि जब नज़रबन्द इस प्रकार सन्देह में पड़ा हो तो यह सरकार का कर्त्तव्य है कि सरकार उसे सब प्रकार की सुविधायें दे जिससे कि वह अपनी सफाई दे सके और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके।

मंत्रणा बोर्ड को दी जाने वाली सामग्री के विषय में भी मतभेद था। हम चाहते

[डा० कृष्णस्वामी]

थे कि सरकार का यह नियोगीय कर्त्तव्य हो कि वह सब जानकारी मंत्रणा बोर्ड को दे दे और मन्त्रणा बोर्ड वे बातें नज़रबन्द को बताये ताकि वह अपना मामला तय्यार कर सके। इस विषय पर काफी चर्चा हुई कि नज़रबन्द अपनी प्रतिरक्षा के लिये एडवोकेट कर सकता है या नहीं और चर्चा के परिणामस्वरूप यह सुझाव दिया गया है कि मंत्रणा बोर्ड जब कभी भी ठीक समझे तो नज़रबन्द को अपना अभ्यावेदन करने के लिये एडवोकेट को रखने दे। आखिरकार, ये बड़े आकस्मिक अधिकार हैं जो कार्यपालिका को दिये जा रहे हैं और यह अनुचित समझा गया कि नज़रबन्द को इस मामले में बड़ी कठिनाई में रखा जाये। मैं समझता हूं कि हमारे देश में घातक कार्यों में बहुत सी बातें आती हैं अतः नज़रबन्द को कानूनी सहायता प्राप्त करने की मनाही करना अनुचित होगा। उदाहरणार्थ, व्यवस्था बनाये रखने के विरुद्ध कार्य करने वाले नज़रबन्द तथा राज्य की रक्षा का सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने वाले नज़रबन्द के बीच क्या समानता है। इन मामलों में यह बात मन्त्रणा बोर्ड के विवेक पर छोड़ देनी चाहिये कि वह वकीलों को नज़रबन्दों के मामलों को पेश करने दे। हम यह चाहते हैं कि नज़रबन्दों को अपना मामला मन्त्रणा बोर्ड के सामने रखने दिया जाय। हमने यह भी कहा था कि नज़रबन्दों को परिवार भत्ता मिलना चाहिये। १८१८ के विनियम के अन्तर्गत नज़रबन्दों को परिवार भत्ता मिलता था। नज़रबन्द व्यक्ति दण्ड प्राप्त व्यक्ति नहीं होता और सदन के नेता ने यह सुझाव दिया कि नज़रबन्द व्यक्ति को चुनाव लड़ने दिया जाय और उसे विधान मण्डलों का सदस्य बनने दिया जाय। किन्तु वह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गृह मन्त्री ने अपने भाषण में कहा कि एशिया के कई भागों में अशान्ति है। किन्तु जब तक कि इन अशान्तिपूर्ण बातों का हमारे देश पर प्रभाव न पड़े और इससे हमारे देश में अव्यवस्था न पैदा हो तो संकटकालीन स्थितियां पैदा करने तथा ऐसे प्रतिबन्धक विधान को लागू करने से क्या कोई लाभ नहीं। गृह मन्त्री ने कहा कि हमारे देश में थोड़े से ही नज़रबन्द व्यक्ति हैं। यदि ऐसा है तो हम निवारक निरोध अधिनियम को क्यों लागू करें। मेरा यह निवेदन है कि ये मामले समायोजन तथा समझौते से तय हो सकते हैं। देश की सुरक्षा के खतरे से सम्बन्धित मामलों में हमारा एक सा दृष्टिकोण हो और उस पर एक सम्मति हो। दूसरे पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हमारे देश को खतरा है। मैं हाल की घटनाओं से परिचित हूं और जानता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पंचमांग का कार्य बढ़ रहा है और वे हमारे प्रशासन के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि इस समस्या को सुलझाने के लिये निवारक निरोध अधिनियम की अपेक्षा कुछ निश्चित कार्य किये जाने चाहियें। हमें अपने गुप्तचर विभाग को दृढ़ बनाना चाहिये और इस समस्या के लिये दूसरे उपाय करने चाहियें। यदि संसद् तथा मन्त्रिगण को उचित जांच और रिपोर्टें मिलने के बाद यह संतोष हो जाय कि देश में ऐसी स्थिति है तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति का सामना करने के हेतु संसद् ऐसा विधान बनाने में संकोच नहीं करेगी।

देश में यह धारणा भी है कि निवारक निरोध अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू किया जायगा जो राजनैतिक रूप से शासक

दल के विरुद्ध हैं। जो इस पक्ष के बहुत से सदस्यों का उचित सन्देह है। मैं अनुभव करता हूं कि निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक अनावश्यक भी है और इससे उन कठिनाइयों का समाधान भी नहीं होगा जो मेरे माननीय मित्र ने बताईं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि संसद् में नागरिक स्वतन्त्रता पर पन्द्रह दिन का वाद-विवाद समय का अपव्यय है। संसद् को वर्ष में एक बार निवारक निरोध पुनर्विलोकन करना चाहिये। यदि संसद् वर्ष में एक बार इस बात पर विचार करे कि यह नागरिक स्वतन्त्रता किस प्रकार कम कर दी जाती है, तो इस से संसद् का सम्मान बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सदन के सभी दल यह चाहते हैं कि सामान्य वाद विवाद को सोमवार एक बजे तक बढ़ा दिया जाय, और इसी में माननीय मन्त्री उत्तर भी दे देंगे चूंकि इसके लिये समय निर्धारित कर दिया गया अत: मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इससे खण्डश: चर्चा के लिये कम समय मिलेगा और यदि इसे भी बढ़ाया तो तृतीय वाचन नगण्य सा हो जायेगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें। क्योंकि इस समय में बहुत से सदस्य इसके पक्ष या विपक्ष में बातें कहना चाहते हैं।

प्रो० मात्य (कोट्टयम) : संयुक्त समिति ने इसके उपबन्धों में परिवर्त्तन करके इन्हें सरल बना दिया है और उसने इसमें राजनैतिक बुद्धिमत्ता दिखलाई है, इसलिये मैं इसे बधाई देता हूं। यहां यह भय भी प्रकट किया गया है कि यह अधिनियम विरोधी दल पर लागू किया जायगा। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस दल के विरुद्ध यह आरोप कैसे लगाया जा सकता है कि उसका उद्देश्य सर्वाधिकारीवादी शासन स्थापित करना तथा विरोधी दल को समाप्त करना है। इस दल ने हमेशा यही कहा कि यदि कांग्रेस सर्वाधिकारवादी शासन को मानती तो विरोधी दल होता ही नहीं। कांग्रेस दल तो सभी विरोधी दलों को वैध प्रोत्साहन देता है। किन्तु यदि कोई ऐसा दल है जो कि अहिंसा तथा विध्वंसकारी कार्य करने में विश्वास करता है, तो मैं कहता हूं कि उसके विरुद्ध यह अधिनियम लागू किया जा सकता है। जब एक दल से यह पूछा जाता है कि उसने इन विध्वंसात्मक कार्यों को छोड़ दिया है तो उसमें कुछ अशान्ति पैदा हो जाती है। जहां सर्वाधिकारवादी शासन और अत्याचार होगा और जहां प्रजातन्त्र नहीं होगा तो उस देश के नागरिकों के हिंसात्मक कार्य करने में औचित्य हो सकता है।

अब प्रश्न हिंसा और संसदीय प्रजातन्त्र को अपनाने का है। देश में बहुत से स्थानों पर विध्वंसात्मक कार्य किये गये। कई दल इसको अपना मुख्य कार्य समझते हैं। मैं त्रावणकोर की घटनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। किन्तु पिछले कुछ वर्षों और महीनों में पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया, पुलिस अधिकारी मार डाले गये और मुझे शिक्षा संस्थाओं को पहुंचाये जाने वाली हानि को देख कर बड़ा दुख होता है। मेरे पास ऐसे प्रलेख है जिनसे यह पता लगता है कि इस प्रकार के कार्य राजनैतिक दलों द्वारा किये गये। कुछ राजनैतिक दलों की चालों से अच्छे नागरिक की स्वतन्त्रता को खतरा पैदा होता है। अतः मेरा कहना है कि व्यवस्थित विकास के लिये आवश्यक दशाओं को बनाये रखना ही होगा, अन्यथा कुछ राजनैतिक दलों की चालें इसे असम्भव बना देंगी। हमें पूर्व और पश्चिम दोनों ओर

[प्रो० मात्यु]

ध्यान रखना है । कई राष्ट्रों की स्वतन्त्रता छिन चुकी है । अतः यदि विध्वंसात्मक कार्यों को करने की गुंजाइश रही और जो संसदीय प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखते यदि वे अपने कार्य स्वतन्त्र रूप से कर सकते हैं तो इससे हमारे नागरिकों तथा राष्ट्र की स्वतन्त्रता छिन जायेगी ।

देश में कुछ ऐसी असाधारण बातें हैं कि यदि उनका सामना न किया गया तो यह हमारी कमज़ोरी की निशानी होगी । अतः स्वतन्त्रता के नाम पर मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री दामोदर मैनन (कोज़िकोडि) : कल माननीय गृह मन्त्री ने विचारार्थ प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि विरोधी दल ने संयुक्त समिति में पूर्ण सहयोग नहीं दिया । मैं कहूंगा कि हमने कुछ प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों में विश्वास रखने के कारण उसमें पूर्ण सहयोग दिया । मैं जानता हूं कि एक समय कांग्रेस दल तथा इसके नेता भी इन सिद्धान्तों में अगाध विश्वास रखते थे । माननीय गृह मन्त्री ने कहा कि यह आदर्श विधान है । किन्तु जिस विधेयक से मूल नागरिक अधिकारों पर निर्बन्धन लगता हो और जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के मूल अधिकार छिनते हों वह आदर्श विधान नहीं हो सकता । हमारा समाजवादी प्रजा दल (सोशलिस्ट प्रजा पार्टी) हिंसा में विश्वास नहीं करता । हम देश में मौलिक सामाजिक तथा आर्थिक सुधार चाहते हैं और ऐसा प्रजातन्त्रात्मक पद्धति से करना चाहते हैं । प्रजातन्त्र देश में तभी रह सकता है जब हम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को मानते हों ।

हम संयुक्त समिति में विधेयक में कुछ संशोधन करने के उद्देश्य से सम्मिलित हुए थे । गृह मन्त्री चाहते हैं कि यह 'अधिनियम २७ महीनों के लिये बढ़ा दिया जाय और वह कहते हैं कि यह थोड़ा समय है । वह कहते हैं कि देश में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस अधिनियम का रहना आवश्यक है! उन्होंने जो आंकडे हमें दिये उनसे पता लगता है कि देश में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । किन्तु मेरा कहना यह है कि स्थिति में सुधार निवारक निरोध अधिनियम के कारण नहीं हुआ है । क्या अंग्रेज़ इस देश के स्वातन्त्र आन्दोलन को निवारक निरोध तथा अन्य अधिनियमों द्वारा दबा सके थे ? यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि राजनैतिक दलों के दृष्टिकोण में परिवर्त्तन हुआ है तो आप अंग्रेज़ों की नीति का अनुसरण करते हैं ।

प्रो० मात्यु ने त्रावणकोर की स्थिति के विषय में कहा । मैं जानता हूं कि वहां हिंसात्मक कार्य हुए । जब वहां चुनाव हुए तो जो व्यक्ति छिपे हुए थे और नज़रबन्द थे वे जीत गये । ऐसा इस लिये हुआ कि वहां कार्यपालिका लोगों पर बिना मुकद्दमा चलाये उन्हें जेल में घुसेड़ रही थी । कांग्रेस का सदा यही प्रचार था कि लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाय । किन्तु जब लोग जेल भेजे गये तो उन्होंने इसका विरोध किया और कांग्रेस की हार हुई । मेरे माननीय मित्र ने कहा सौराष्ट्र में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई । ऐसा इसलिये हुआ कि वहां कांग्रेस ने एक प्रगतिशील सिद्धान्त को माना । वह वहां सामन्तशाही को समाप्त करना चाहती थी अतः जनता ने उसका साथ दिया । मैं कांग्रेस के सदस्यों और सरकार से पूछता हूं कि वे सामन्तशाही को समाप्त क्यों नहीं करते । इसे वह इस निवारक निरोध अधिनियम से तो समाप्त नहीं कर सकते । हम अहिंसा में विश्वास करते हैं

और देश में प्रजातन्त्रात्मक पद्धति द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्त्तन करना चाहते हैं।

गृह मन्त्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को प्रत्येक वर्ष संसद् में प्रस्तुत करने से समय नष्ट होगा। और बाद में उन्होंने कहा कि इस पर एक संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है। किन्तु इस विधेयक को बढ़ाने के विषय में तथा संसद् और संयुक्त समिति में उनका यह वक्तव्य कि इस प्रस्ताव पर विचार करने से संसद् का समय नष्ट होगा, बड़ा विचित्र सा है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। सरदार पटेल ने इस विधेयक को संसद् में प्रथम बार प्रस्तुत करते समय कहा था कि इसको प्रस्तुत करने से पहले वह दो रात तक सो नहीं सके। सरकार के अनुसार उस समय देश की दशा आज से भिन्न थी। अतः उन्हें इस बात का दुख था कि भारत में जब प्रजातन्त्रात्मक शासन स्थापित है तो लोगों के मूल अधिकारों पर आघात हो। किन्तु हमारे गृह मन्त्री को यह याद नहीं कि १९३१, १९४०, १९४२ तथा १९५० में क्या हुआ। सरदार पटेल इस अधिनियम को केवल एक वर्ष तक सीमित करना चाहते थे। आज जब देश की स्थिति में सुधार हो चुका है तो गृह मन्त्री सदन को इसमें आवश्यक परिवर्त्तन करने का अवसर नहीं देना चाहते।

संसद् एक वर्ष बाद यह अनुभव कर सकता है कि देश की स्थिति में इतना अधिक सुधार हो चुका है, और सरकार के अनुसार भी बात यही है, तो इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। फिर संसद् को इसके लिये अवसर क्यों न दिया जाय। किन्तु सरकार का विचार यह है कि देश की शान्ति तथा व्यवस्था के लिये यह अधिनियम आवश्यक है। यदि सरकार का यही विचार रहा तो देश प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के विषय में गलत दिशा में जा रहा है। गृह मन्त्री ने कल कहा कि जब उन्होंने मुर्शिदाबाद नज़रबन्द कैम्प देखा तो उन्होंने नज़रबन्दियों को बड़ा प्रसन्न पाया और उन्होंने उसे स्वतन्त्रता भवन कहा। मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह देश में इस प्रकार की स्वतन्त्रता बनाना चाहते हैं। और क्या वह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गण राज्य को ऐसे 'स्वतन्त्रता भवन' जैसा कि नज़रबन्दों का कैम्प उन्होंने देखा, में परिवर्त्तित करना चाहते हैं, यह दुख की बात है कि हमारे गृह मन्त्री हंसी में भी नज़रबन्दों के कैम्प को 'स्वतन्त्रता भवन' कहें।

इस विषय में कांग्रेस दल का यह दृष्टिकोण है। श्री गाडगिल ने कहा था कि एक अच्छा उद्यान विशारद पौदे की रक्षा करने के लिये उसके चारों ओर एक बाड़ा लगा देता है। किन्तु ऐसा बाड़ा कोई नहीं लगायेगा जो कि उस पौदे को ही खत्म कर दे। श्री गाडगिल तथा सरकार ऐसा बाड़ा लगाना चाहते हैं जिससे उस पौदे का जीवन समाप्त हो जायगा और फिर आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह उस पौदे की रक्षा कर रहा है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इस विधेयक से व्यक्तिगत मूल अधिकार छिनते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री पन्त ने कहा कि बचपन में वे बहुत शरारत करते थे तो उनके पिता उन्हें एक कमरे में बन्द कर दिया करते थे। मैं समझता हूं कि यह अच्छा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें बेंत नहीं मारे नहीं तो वह यहां भी यही कहते कि बेंत मारने से बुराई सुधर जाती है और गृह मन्त्री से कहते कि इन व्यक्तियों को खुले तौर पर बेंत लगाये जायें। ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर जिनसे प्रजातन्त्र का मूल आधार समाप्त हो जाता है, विचार करने का यह तरीका

[श्री दामोदर मेनन]

नहीं है । हमें इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

हम इस विधेयक में यह सुधार करना चाहते थे कि नज़रबन्द को कानूनी सहायता प्राप्त होनी चाहिये । श्री शिवा राव ने श्री गोपालन के नज़रबन्दी के आधार पढ़े । मैं समझता हूं कि सम्भवतः वे आधार ही थे, वे झूठ भी हो सकते हैं और सच भी हो सकते हैं । किन्तु क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि जब उनके विरुद्ध इतने गम्भीर आरोप लगाये जायें तो उन्हें यह सिद्ध करने का भी अवसर न दिया जाय कि वह निर्दोष हैं । डा० काटजू बहुत ही प्रसिद्ध वकील रहे हैं । किन्तु उन्होंने कहा कि वकील एक बला हैं । यह कितनी खेदजनक बात है, और उन्हें पश्चाताप हो रहा होगा कि इतने समय तक वह एक ऐसा पेशा करते रहे जो कि समाज के लिये मुसीबत है । मैं नहीं जानता कि वकील कोई मुसीबत होते हैं । किन्तु जब अनभिज्ञ प्रतिवादों को विद्वान् न्यायाधीश के सामने अपना मामला रखना पड़ता है और इसमें बहुत सी पारिभाषिक कठिनाइयां होती हैं तो हम चाहते हैं कि नज़रबन्द को कानूनी सहायता मिल सके । उसे इस सहायता के दिये जाने में क्या हानि है ? यदि आपको वकील बुरे लगते हैं तो आप कहिये कि आप और सरकार वकीलों को नहीं चाहते किन्तु यह मत कहिये कि ऐसा नज़रबन्दों की भलाई के लिये किया जा रहा है । यह गलत है । यहां बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं नजरबन्द रहे हैं । उन्होंने अपने कटु अनुभव बताये और कहा कि वे चाहते हैं कि नज़रबन्दों को कानूनी सहायता प्राप्त हो । संयुक्त समिति में हमारा यह अनुभव था कि किसी भी महत्वपूर्ण बात में सरकार ने कोई रियायत नहीं की । कभी भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्त्तन नहीं किया गया। अतः मेरी माननीय मन्त्री से प्रार्थना है वह इस बात पर विचार करें: नजरबन्द को कानूनी सहायता क्यों न दी जाय, उसे अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का अवसर क्यों न दिया जाय ।

धारा ३ का निर्देश करते हुये कल डा० काटजू ने कहा कि ऐसे कई सदस्य हैं जो यह चाहते हैं कि धारा ३ में से जन व्यवस्था को बनाये रखने तथा विदेशों से हमारे सम्बन्ध विषयक निर्देश को हटा दिया जाय । उन्होंने कुछ झुंझलाते हुए कहा कि मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं किन्तु ऐसे सदस्य हैं जो ऐसा चाहते हैं । उन्होंने ऐसे कहा कि जो सदस्य यह चाहते हैं मानो कि वे कोई गलत काम कर रहे थे । विदेशों से सम्बन्ध की बात को लीजिये । उसमें आप क्या रोकना चाहते हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत आप किसको नज़रबन्द करना चाहते हैं ? मान लीजिये कि मैं किसी समाचार पत्र में अमेरिका की कोरिया नीति की आलोचना करता हूं । तो क्या आप कहेंगे कि अमेरिका से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं । इस लेख से हमारे सम्बन्धों को खतरा हो सकता है, अतः इस कारण क्या मुझे गिरफ्तार कर लिया जाय ? बहुत से देशों में हमारे देश के विरुद्ध बहुत सी बातें कही जाती हैं, यदि हम भी उसका जवाब देना चाहें, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं ? जब आप उसे रोकना नहीं चाहते तो आप इस खण्ड को क्यों रखते हैं ? यह मत कहिये कि यह संविधान में है और हमने उस अनुच्छेद का उद्धरण किया है । आप ऐसा करने के लिये बाध्य तो नहीं हैं । आप इसके अनावश्यक उपबन्धों को छोड़ सकते हैं । हमारा यह अनुभव है कि इस खण्ड के कारण कार्यपालिका अधिकारी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं । यदि सरकार की नीति के विरुद्ध कोई

वैध आन्दोलन हो तो सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को जेल भेज सकती है। माननीय मन्त्री ने कहा कि हम अपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं किन्तु हमें वे उत्तेजनात्मक रूप से कुछ नहीं कहना चाहिये। मैं नहीं जानता कि इससे उनका क्या अभिप्राय है अतः उनकी इस बात से जिलाधीश किसी भी व्यक्ति की बात को सरकार की तीव्र आलोचना समझ सकता है और किसी भी व्यक्ति को उस धारा के अन्तर्गत जेल भेजा जा सकता है। अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि इन दो खण्डों का बहुत दुरुपयोग हो सकता है इसीलिये हम चाहते थे कि वे हटा दिये जायें।

मुझे कांग्रेस सरकार से एक यह अपील करनी है कि वह इस प्रस्ताव को आगे न बढ़ायें और यदि वह ऐसा करना चाहती है तो जनमत को संतुष्ट करने के लिये इसमें कुछ परिवर्त्तन करे। प्रिंस क्रोबॉटकिन ने कहा था कि कोई मन्त्री बहुत अच्छा हो सकता है, किन्तु अधिकार और शक्ति मिलते ही वह बुरा हो जाता है। कांग्रेस दल को शक्ति प्राप्त हो जाने से पथ भ्रष्ट न हो जाना चाहिये उसे उन व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिये जो यहां यह समझते हैं कि इस निवारक निरोध अधिनियम से देश में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिससे कि प्रजातन्त्र में जनता का विश्वास समाप्त हो जायगा। उसको यह भी समझना चाहिये कि राजनैतिक दलों के दृष्टिकोण में निश्चित रूप से परिवर्त्तन हो गया है, वे संवैधानिक उपायों से कार्य करते हैं। श्री गोपालन और श्री हीरेन मुखर्जी नज़रबन्द कैम्प या छिपे रहने की अवस्था की अपेक्षा संसद् में कम खतरनाक है। सरकार को विरोधी दल की उचित मांग को पूरा करने के लिये कम से कम इस अधिनियम के उपबन्धों में परिवर्त्तन करना चाहिये।

कल इस विधेयक के वाद विवाद के दौरान में श्री हीरेन मुखर्जी ने भूदान यज्ञ को दान मांगने वालों के हथकण्डे बताया। सम्भवतः उनके दल का ऐसा दृष्टिकोण हो। किन्तु किसान मज़दूर प्रजा दल तथा समाजवादी दल यह मानते हैं कि यह बात ठीक दिशा में हो रही है। हम यह नहीं समझते कि भूदान यज्ञ के कार्यक्रम से देश की भूमि समस्या हल हो जायेगी, किन्तु इस महान् व्यक्ति ने जो आन्दोलन चलाया है उससे भूमि सुधार के लिये आवश्यक दशा तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण बन रहा है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिये लोगों से अपील की वे इस दिशा में स्वयं कार्य करें। इससे लोगों ने हरिजनों के लिये अपने मन्दिर खोल दिये। अतः हम समझते हैं कि विनोबाभावे के इस आन्दोलन से देश में आवश्यक वातावरण पैदा हो जायगा और इससे सरकार भी आमूल भूमि सुधार करने के लिये बाध्य होगी।

श्री टेकचन्द (अम्बाला - शिमला): संयुक्त समिति से यह विधेयक जिस प्रकार आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक के वाद विवाद में आलोचकों को पर्याप्त सामग्री मिली। इसमें शब्दों की बौछार हुई और कुछ सदस्यों ने अपनी वक्तृत्व शक्ति प्रदर्शित की। सिद्धान्त रूप में हम इस विधेयक के सभी अंगों की जांच करें। एक विख्यात सदस्य ने इसे बुरा कानून बताया। मैं उनसे सहमत हूं। वास्तव में यह बुरे आदमियों के लिये बुरा कानून है। यह बुरा कानून बुरे आदमियों को अच्छे आदमी बना देता है। यही इस विधेयक का गुण है। इस विधेयक की इस आधार पर आलोचना की गई है कि सैद्धान्तिक रूप से यह अप्रजातन्त्रात्मक है और इससे स्वतन्त्रता छिनती है। किन्तु पुर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये हमें अपने समाज को प्रायः स्वप्नदर्शी समाज बनाना पड़ेगा और जिन

[श्री टेक चन्द]

व्यक्तियों के कार्य विध्वंसकारी हैं। उनसे भी छटकारा पाना चाहिये।

स्वतन्त्रता से मैं यह समझता हूं कि जो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है उसे मैं कर सकूं। किन्तु मैं अपने पड़ौसी के इस अधिकार को नहीं मानता तो मेरे अधिकार छिन जाते हैं। सभी वकील इस सिद्धान्त को जानते हैं कि हम अपने अधिकारों को इस प्रकार से काम में लायें जिससे दूसरों के अधिकारों पर बुरा प्रभाव न पड़े। यदि यह सिद्धान्त हमारे दैनिक जीवन में अपना लिया जायें तो इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता ही न पड़ेगी। किन्तु यदि स्वतन्त्रता का यह अर्थ कि दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करना ऐसे भाषण देना जिससे घृणा की भावना पैदा हो और दूसरों की सम्पत्ति को हानि हो तो स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं है। यदि इस विधेयक से इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर आघात होता हो तो यह बहुत अच्छा विधेयक है। स्वतन्त्रता का अर्थ अधिकार ही नहीं, उत्तरदायित्व भी है। अतः इसको ध्यान में रखते हुये हमें यह देखना चाहिये कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति हैं या नहीं जो दूसरों की स्वतन्त्रता पर प्रहार करना चाहते हों। यदि ऐसे व्यक्ति राजनीति से हटा दिये जायें तो हमें से विधेयक की आवश्यकता न रहेगी। क्या हमारे देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून को मानने के इच्छक हैं और जो बातें कानून द्वारा प्रतिबन्धित हैं उनका प्रसार न करते हों? बहुत से वक्ताओं ने इंग्लैण्ड के कानून का उल्लेख किया। किन्तु जिन्होंने वहां के कानून और प्रथाओं का उल्लेख किया क्या उन्हें उन उपबन्धों का ज्ञान है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, और क्या उन्हें वहां की सामाजिक दशा का भी ज्ञान है? वहां भी विध्वंसात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति रहते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि वहां स्वाभाविक रूप से कानून का आदर ही किया जाता है। वहां केवल लोगों को यह बता दिया जाय कि यह कार्य नियम विरुद्ध है तो वे मान जायेंगे और इससे कानून भंग नहीं होता।

मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैं इंग्लैण्ड में था। वहां सामान्य हड़ताल चल रही थी और यह समझा गया कि यदि यह हड़ताल बढ़ी तो देश में क्रान्ति होने का भय है। उस समय लॉर्ड साइमन ने अपनी यह सम्मति व्यक्त की कि उनके विचार में सामान्य हड़ताल कानून के विरुद्ध थी। केवल इसी बात के मालूम हो जाने से हड़ताल समाप्त हो गई। अतः जब विरोधी दल के सदस्य इंग्लैण्ड और अमेरिका के उदाहरण देते हैं तो वे कुछ बातों के लिये ही ठीक होते हैं। यदि वास्तव में आप यह समझते हों कि इंग्लैण्ड में वही सामाजिक स्थिति है और कानून के प्रति वही आदर है तो तुलना कीजिये। किन्तु ये सब बातें वहां भिन्न हैं। किन्तु यदि उद्देश्य केवल पथभ्रष्ट करना हो तो उनका सादृश्य प्रशंसनीय है।

इस विधेयक के सिद्धान्तों तथा उपबन्धों की आलोचना की गई है। सिद्धान्तों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण न होनी चाहिये और उसे न्यायालय में अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि गृह मन्त्री से अधिक इस प्रकार के विधेयक को समाप्त करने में कोई अन्य उत्सुक न होगा। इंग्लैण्ड में भी यह आवश्यक समझा गया कि किसी व्यक्ति को, सामान्य रूप से एक अपराधी व्यक्ति को, मिलने वाली सुविधा के बिना, नजरबन्द कर लिया जाय। इंग्लैण्ड में ऐसे विनियम १९१४ में भी थे। वहां भी बिना मुकद्दमा चलाये नजर-

बन्द रखने की आवश्यकता को समझा गया। इंग्लैण्ड में भी, जहां से इस विधेयक की आलोचना करने वालों को प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है और वहां इस प्रकार अधिनियम भी है।

अगला प्रश्न यह है कि यह किस प्रकार का अधिनियम है? दण्डात्मक तथा निवारक कार्य में भेद समझना चाहिये। दण्डात्मक कार्य या कानून में तथ्यों पर ध्यान रखा जाता है। किन्तु जहां अभिप्राय निवारण करने का है उसमें इसे लागू करने से पूर्व अपराध नहीं किया जा पाता है। यह तो पूर्वाविधारणोपाय या पूर्व अनुमान सम्बन्धी कार्य है। इसमें ऐसा समझा जाता है कि किसी व्यक्ति की कोई खतरनाक प्रवृत्तिहै जिससे कि वह कानून भंग कर सकता है अतः उस शरारत भरी कार्यवाही को शुरू में ही रोक देना चाहिये। इसका उद्देश्य उसको अपराध करने से रोकना है। इसमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि सरकार को जो सूचना प्राप्त है क्या वह ऐसी है कि उसके कारण ऐसा कार्य करना चाहिये? इसमें यह भी विचार करना है कि वह व्यक्ति कोई ऐसा भयंकर कार्य तो नहीं करने वाला जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा हो। मान लीजिये कोई व्यक्ति कुछ लोगों की हत्या करना चाहता हो, चाहे उसका उद्देश्य राजनैतिक या साम्प्रदायिक हो, इससे कई व्यक्तियों की जान जायेगी। यदि उसे अपराध करने के बाद पकड़ा जाता है तो उसे फांसी हो जायेगी। यदि उसे पहिले पकड़ लिया जाय तो इतने व्यक्तियों का जीवन बच जायगा और उसे आप कुछ महीनों के लिये जेल भेज देंगे, उसका भी जीवन बच जायगा। इस अधिनियम से नज़रबन्द को अपने खतरनाक इरातों का पता चल जाता है। इस बात की भी आलोचना की गई है कि इस विधेयक का दुरुपयोग किया जायगा, और इसमें पर्याप्त संरक्षण नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें पर्याप्त संरक्षण हैं। किन्तु इस मामले में वकीलों की आवश्यकता को नहीं समझा गया। यदि अनुच्छेद २१ या २२ के अन्तर्गत कोई कानून भंग किया गया है तो उसे संविधान के अनुच्छेद ३२ और २२६ का लाभ मिलता है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी इन सब बातों को माननीय गृह मन्त्री ने भी कह दिया था। और भी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। अब कोई नया तर्क तो रह नहीं गया है अतः हमें इस पर अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहिये।

श्री टेकचन्द: अब हम उन संरक्षणों को देखें जो अधिनियम के बिना प्राप्त हैं। आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और नज़रबन्दी से बच सकते हैं। यदि वहां यह सिद्ध कर सकें कि आप व्यक्तिगत द्वेष के कारण नज़रबन्द हुये हैं तो उच्च न्यायालय आपकी रिहाई के आदेश दे देगा। यदि आप यह भी सिद्ध कर सकें कि यह कार्य निवारणार्थ न होकर दण्डात्मक था तो आप उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिये जायेंगे। जहां तथ्य भी असंगत हों तो भी आप अच्छे वकील की सहायता से उन आरोपों का खण्डन करके सफल हो सकते हैं। यद्यपि नज़रबन्द जेल में निवारक निरोध के अन्तर्गत बन्द रहा तो भी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया। स्वयं अधिनियम में भी संरक्षण दिये हुये हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बोर्ड का अध्यक्ष होता है और नज़रबन्द को उसके समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। नज़रबन्दी की अधिकतम अवधि बारह महीने है। फिर राज्य सरकारें स्वयंमेव इसका पुनर्विलोकन करती हैं और यदि वह न करें तो केन्द्रीय सरकार स्वयंमेव करती है।

[श्री टेक चन्द]

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इसके लिये एक मन्त्रणा बोर्ड भी होता है। मन्त्रणा बोर्ड की सम्मति, यदि वह नज़रबन्द के पक्ष में हो, बाध्य होगी, चाहे सरकार उसे पसन्द करे या न करे। इस बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा और नज़रबन्द वकील की सहायता से लिखित अभ्यावेदन कर सकता है। मंत्रणा बोर्ड सरकार से सभी सूचना चाहे वह कितनी गोपनीय भी क्यों न हो मांग कर उस पर जांच कर सकता है। और यदि बोर्ड यह समझे कि उस व्यक्ति को नज़रबन्द न रखा जाय तो उसे बिल्कुल भी नज़रबन्द नहीं रखा जा सकता है और यदि बोर्ड की यह सम्मति हो कि उस व्यक्ति को नज़रबन्द रखा जाय तो यह सम्मति केवल परामर्श के रूप में ही होगी, यह केवल सुझाव मात्र होगी चाहे सरकार इसे स्वीकार करे या अस्वीकृत कर दे। यह कहा गया था कि इस अधिनियम का वार्षिक पुनर्विलोकन होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि यह सर्वथा अनावश्यक है। यह सरकार का रक्षित अधिकार है और इसका विशेष अवसरों पर ही प्रयोग किया जाता है। जब संकटकालीन अवस्था न हो तो इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जायगा। बीस वर्ष पहिले तक स्कॉटलैण्ड में एक संविधि के अनुसार भेड़ चुराने के अपराध में मृत्यु दण्ड मिल सकता था, किन्तु किसी को यह दण्ड नहीं मिला। यदि सरकार इस अधिकार को बहुत समय तक अपने पास रखती है तो इसका प्रयोग नहीं किया जायगा। और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इस का प्रयोग किया जायगा। विदेशों से सम्बन्ध के विषय में भी आलोचना की गई है। किन्तु इसमें कानून का ठीक प्रकार से उद्धरण नहीं दिया गया और यह कहा गया कि इस उपबन्ध में यह बात है कि विदेशों से सम्बन्ध के विषय में आलोचना करने से आलोचक को नज़रबन्द किया जा सकता है। किन्तु यह अधिनियम तो तभी लागू होता जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे विदेश के विरुद्ध, जिससे हमारे देश के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, कार्य करे, जिससे युद्ध होने की सम्भावना हो अथवा मैत्री सम्बन्ध बिच्छेद हो जाये। अतः उस व्यक्ति के ऐसे कामों को रोकना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : कल गृह मन्त्री ने कहा था कि यह एक आदर्श विधेयक है। मुझे आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व की बात याद आती है जब स्वर्गीय श्री सत्यमूर्ति सभी दमनकारी कानूनों का निरसन करने के लिये अपने प्रस्ताव पर दो दिन तक बोले। वह कांग्रेस दल की ओर से इस देश की संविधि पुस्तक में से सभी बुरे कानूनों के निरसन करने के लिये बोले। किन्तु मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री टेकचन्द ने इस विधेयक के समर्थन में कुछ लैटिन भाषा के मुहावरों का प्रयोग किया और कहा कि प्रत्येक नागरिक के कर्त्तव्य होते हैं और स्वतन्त्रता का अभिप्राय मनमानी करने का नहीं। मैं भी 'मैग्नाकार्टा' में से यह उद्धरण देता हूं कि "प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय बर्ता जायगा।" इस मामले का सम्बन्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से है। मैं गृह मन्त्री को बताऊंगा कि मुझ जैसा कानून को मानने वाला नागरिक कम से कम तीन आरोपों पर इस विधेयक की पकड़ में आ सकता है। पूर्व इसके कि मैं इन तीनों बातों पर बोलूं, मुझे यह कहना है कि श्री गाडगिल ने कहा कि जब इस विधेयक पर मतविभाजन हो तो जो इसका अन्तःकरण से विरोध करते हैं वे तटस्थ रहें। उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि वे अपने दल के प्रतोद को शिथिल कर दें।

श्री माडखिल (पूना-मध्य) : माननीय सदस्य प्रजातन्त्र तथा दल के शासन को जानते हैं।

डा० लंका सुन्दरम : माननीय गृह मन्त्री ने घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति के विषय में कहा। अन्तर्राष्ट्रीय मामले से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। अपने देश की स्थिति के मामले में मेरा उनसे बहुत मतभेद है। यहां मैं मद्रास के मुख्य मन्त्री श्री राजगोपालाचार्य, जिन्होंने गत वर्ष इस विधेयक के द्वितीय पाठान्तर को प्रस्तुत किया था, की बात का निर्देश करूंगा। उन्होंने ठीक चार दिन पूर्व कहा कि मद्रास राज्य में एक भी राजनैतिक नज़रबन्द नहीं है और इस कानून के अन्तर्गत चोर बाजारी करने वाला एक व्यक्ति नज़रबन्द था उसे भी छोड़ दिया गया। किन्तु माननीय गृह मन्त्री तो अपने देश में संकटकालीन स्थिति की बात कहते हैं। ऐसी स्थिति कहां है? मैं तैलंगाना को जानता हूं और मैं वहां अक्टूबर १९५० में गया था। यदि वास्तव में देश में संकटकालीन स्थिति है तो संविधान का सम्मान करने वाले नागरिक के रूप में मैं कहूंगा कि सरकार को यह अधिकार दिया जाय और माननीय गृह मन्त्री से कहूंगा कि संकटकालीन स्थिति का तर्क देने की अपेक्षा वह इसे देश का स्थायी नियम क्यों नहीं बना देते? इस बात में मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं मैं इस बात को समझ सकता हूं।

कानून सम्बन्धी तर्क तथा नागरिक स्वतन्त्रता के प्रश्नों के अतिरिक्त, जैसा कि मैंने कहा, इस विधेयक के कारण कानून को मानने वाला मुझ जैसा नागरिक भी, जिसका किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं, तीन आरोपों के आधार पर इस कानून की पकड़ में आ जायेगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि पंडित कुंजरू के असहमति पत्र में वैदेशिक मामलों के सम्बन्ध में सीधी सी सिफारिश भी गृह मन्त्री ने स्वीकार नहीं की। मैं पिछले पच्चीस वर्षों से वैदेशिक मामलों का अध्ययन करता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के अन्दर विशेषकर वैदेशिक मामलों के विषय में एक असहिष्णुता की भावना आ गई है। मैं यहां यह बता दूं कि पंडित कुंजरू ने अपने असहमति पत्र में यह लिखा था कि किसी व्यक्ति को भारत की विदेश नीति की आलोचना करने के कारण उसे नज़रबन्द करने के लिये इस अधिकार का प्रयोग करना मैं अनुचित समझता हूं। जैसा कि मैंने पहिले कहा मेरी वैदेशिक मामलों को अध्ययन करने की रुचि है तो मेरे जैसा व्यक्ति इस विशेष कानून की पकड़ में आ सकता है। इसी कारण मुझे इस सिद्धान्त पर तो आपत्ति है ही और इसके कार्यरूप में परिणित किये जाने पर भी है।

राजनैतिक दलों की बात के अतिरिक्त मैं एक और उदाहरण दूंगा। पिछले सप्ताह वाद-विवाद के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बड़ी विचित्र बातें कहीं। उन्होंने भाषावार प्रान्तों का आन्दोलन करने वाले व्यक्तियों के विषय में कहा। मैं भाषावार प्रान्तों का समर्थक हूं। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि भाषावार प्रान्तों के समर्थकों के विरुद्ध वह इस अधिनियम को लागू करना चाहते हैं या नहीं। यदि यह बात है तो मैं यह बता दूं कि यदि वह भाषावार प्रान्तों के समर्थकों के विरुद्ध इस कानून को लागू करेंगे तो सरकार के कानून विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं चलेंगे। मैं यह भी बता दूं कि १५ अगस्त को अखिल भारतीय भाषावार राज्य सम्मेलन की बैठक अमरावती में होगी और मैं उसका सभापति चुना गया हूं। तो क्या सरकार इसके कारण मुझे भी पकड़ेगी। आप उनका पिछला भाषण देखिये।

गृह कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू): क्या माननीय सदस्य वह भाग पढ़ेंगे जिसका उन्होंने निर्देश किया है ?

डा० लंका सन्दरम्: यह पुस्तकालय में है।

डा० काटजू: मैंने यह कहा था कि यदि किसी अवसर पर हिंसात्मक कार्यों के लिये उकसाया जाय तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

डा० लंका सुन्दरम्: तो मैं आपका समर्थन करता हूं। आपने "भाषावार प्रान्त" शब्दों का प्रयोग किया था। हिंसा स्वयं एक वर्ग है चाहे इसका भाषावार राज्य के समर्थक प्रयोग करें और चाहे वे करें जो भारत को विदेशों के हाथ बेचना चाहते हैं। तब तो कानून अपने आप लागू होगा।

डा० काटजू जिस भाग पर आपत्ति की गई थी उसका उद्धरण किये बिना आलोचना करना अनुचित है।

डा० लंका सुन्दरम्: यह मेरे पास है किन्तु मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। तीसरी बात यह है कि यह विधेयक वास्तविक श्रमिक संघ आन्दोलन के विरुद्ध लागू किया जा रहा है। श्रमिक संघ कार्यों के साथ राजनीति को मिलाया जा रहा है। जिन संघों से मेरा सम्बन्ध है उनमें से कोई भी अखिल भारतीय मूल संस्था से सम्बन्धित नहीं। मेरे माननीय मित्र श्री गिरि ने हाल ही में मज़दूरों के प्रवक्ता तथा मिल मालिकों के प्रवक्ताओं के न्यायालय जाये बिना आपस में बात तय करने की आवश्यकता के विषय में कहा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्गत सरकार मिल मालिकों तथा मज़दूरों के बीच मध्यस्थ है। श्री गिरि ने एक नया सिद्धान्त निकाला है कि सरकार यह चाहती है कि ये मामले न्यायालय में न जायें और मिल मालिक और मज़दूर इन्हें आपस में समझौते से तय कर लेंगे। किन्तु इसके क्रिया रूप में परिणित होने से मज़दूरों की अपनी मांगें बढ़ाने की शक्ति नहीं रहेगी, और न उनके स्थान न्याय होगा। मैंने एक श्रमिक संघ की ओर से १३ महीने तक पैरवी की किन्तु हमें न्याय नहीं मिला। इसी लिये मैं समझता हूं कि नई परिस्थितियां पैदा होने से वास्तविक श्रमिक संघ आन्दोलन के विरुद्ध यह अधिनियम लागू किया जा सकता है। पिछले वर्ष रेलवे विभाग में एक नई परिस्थिति पैदा हुई और यदि कुछ हो गया होता तो सारभूत सेवा विधि के अन्तर्गत हम में से अधिकांश जेल में होते। अनकापल्लि में वहां की नगरपालिका के मेहतर कुछ सुविधायें मांगते रहे हैं। पिछले दस वर्षों में नगर का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या बढ़ गई है और वे चाहते हैं कि उनके काम में सहायता मिल सके इसलिये और लोग रखे जायें, उन्हें वर्दियां मिलें, उनका वेतन भी कुछ बढ़ जाये और उन्हें मकान भत्ता आदि भी मिले। मैं पिछले दो वर्षों से नगरपालिका तथा सरकार से उनके लिये लड़ता रहा हूं और यदि अब मैं वहां जाऊं तो मुझे जेल भेज दिया जायगा। डा० काटजू इस बात को ध्यानपूर्वक सुनें कि मैंने देखा कि इन मूल अधिकारों की मांग करने के कारण नगरपालिका के मामूली मेहतरों के गिरफ्तारी के वारेंट जारी किये गये हैं। मेहतरों की कमी तथा काम अधिक होने के कारण बच्चे टट्टी उठाने में अपने मां बापों की सहायता करते हैं। ऐसा उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में उल्लिखित सारभूत सेवा विधि के अन्तर्गत हैं। मुझे लगता है कि इस कानून के कारण देश के असली श्रमिक संघ आन्दोलन के मूल आधार समाप्त हो जायेंगे।

मैं चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा वक्तव्य निकाले जिसमें लोगों की वे

श्रेणियां दी हुई हों जिनके विरुद्ध सरकार इस विधेयक को लागू करना चाहती है। इससे तो निर्दोष व्यक्तियों को दण्ड मिलेगा। इस विधेयक में सभी प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनकी राज्य तथा समाज के विरुद्ध उचित शिकायतें हैं। मैं यह फिर कहता हूं कि कानून मानने वाले नागरिक के रूप में मैं इस बात के पक्ष में हूं कि सरकार को जिन अधिकारों की आवश्यकता हो उसे वह अधिकार दिये जायें। मैं सरकार को सभी अतिरिक्त अधिकार देने के पक्ष में हूं किन्तु शर्त यह है कि उन अधिकारों का उचित प्रयोग किया जाय। आजकल कोई संकट की अवस्था नहीं है। यदि संकटकाल हो तो सरकार अधिकारों को ले। किन्तु जब संकटकाल नहीं है और आप इस प्रकार का विधान बनाना चाहते हैं तो मेरा कहना यह है कि आप इसे स्थायी कानून बनाइये।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस वाद-विवाद में हमने बहुत से भाषण सुने उनमें से कुछ ओजपूर्ण थे, कुछ में व्यक्तिगत उदाहरण थे और कुछ में निजी बातें थीं। बहुत से सदस्यों ने प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के विषय में कहा और यह बताया कि यह विधेयक उन सिद्धान्तों के कैसे विरुद्ध है। इस वाद-विवाद के दौरान में मुझे ऐसा लगा कि हम किसी ऐसे विषय की चर्चा कर रहे थे जिसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने प्रजातन्त्र के उच्च सिद्धान्तों की चर्चा की है और मेरा यह कहना है कि प्रजातन्त्र में मेरी श्रद्धा है। जैसा कि मैं जानता हूं प्रजातन्त्र केवल सरकार का एक रूप ही नहीं है, यह कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनों तक ही सीमित नहीं है अपितु प्रजातन्त्र में जीवन के मापदण्ड तथा उसके महत्व की भावना सन्निहित होती है। वह एक सुघटित विकास है और इसमें यह है कि आप व्यक्तिगत रूप में या राष्ट्र के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं अथवा सोचते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सभी एक प्रकार से सोचते हैं अथवा एक ही प्रकार से सोचना चाहिये। किन्तु मेरा कहना यह है कि इसमें राजनैतिक तथा अन्य समस्याओं, जिन्हें प्रजातन्त्रात्मक समाधान कहा जा सकता है, का आधार भूत दृष्टिकोण होता है और ऐसे भी दृष्टिकोण होते हैं जो कि प्रजातन्त्रात्मक नहीं होते। यदि यही कसौटी है तो हम न केवल इस विधेयक की अपितु भारत की अन्य बातों की भी जांच करें। इससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, और यदि इस विधेयक में कोई बात भूल रूप से गलत है तो हम उसे इस में से हटा सकते हैं।

जहां तक मेरा तथा मन्त्रिमण्डल के मेरे सहकारियों का सम्बन्ध है, हमने इस विधेयक पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया, क्योंकि जिस विधेयक से नागरिक की सामान्य स्वतन्त्रता सीमित होती हो तो उस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और यह उचित ही है कि सदन भी इस पर अत्यधिक ध्यान दे। अतः मन्त्रिमण्डल ने इस पर तथा पुराने अधिनियम पर बहुत सावधानी से विचार किया और इसमें हम जो संशोधन करना चाहते थे उन पर भी विचार किया और अन्त में हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में इस समय इस प्रकार का अधिनियम रखना आवश्यक है, अथवा पुराने अधिनियम में कुछ आवश्यक तथा मूल परिवर्त्तन करके उसे रखना आवश्यक है। जब हमें उस पर एक बार सहमत हो गये तो अब दूसरा प्रश्न यह रह गया कि इसमें क्या परिवर्तन किये जायें और हम कहां तक इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्यों ने बहुत

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से मामले बताये जिनमें कि इसका दुरुपयोग किया गया। मैं इन व्यक्तिगत मामलों को नहीं जानता हूं और निस्सन्देह कई मामलों में इसका दुरुपयोग किया गया होगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हमें इस पर विचार करना चाहिये कि क्या हम इस बात को रोक सकते हैं कि इसका दुरुपयोग न हो। इस विषय में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तु हम इस दुरुपयोग को रोकने के लिये संरक्षण कर सकते हैं। किन्तु जब इसके दुरुपयोग के विषय में कहा जाय तो हमें उन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिये जिनमें उस अधिनियम का प्रयोग किया गया था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हैदराबाद और तैलंगाना में क्या हुआ, इस पर भी विचार करना चाहिये। मैं प्रत्येक मामले का विश्लेषण किये बिना इस समय यह बात मानता हूं कि कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग अत्यधिक दुरुपयोग किया गया।

श्री विट्ठल राव (खम्मभ) : जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किन्तु मैं चाहता हूं कि सदन इसे याद रखे कि हमने देश में जो स्वतन्त्रता प्राप्त की उसका वहां सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। वहां युद्ध की सी स्थिति हो गई थी और राज्य के अधिकारियों को चुनौती सी दी जा रही थी और यह युद्ध की आशंका थी।

श्री विट्ठल राव : ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस वाद-विवाद में कोई गर्मा गर्मी या जोश नहीं लाना चाहता। यदि उन्हें 'युद्ध' शब्द पसन्द नहीं तो मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। वहां दोनों ओर से सशस्त्र लड़ाई की आशंका थी।

श्री विट्ठल राव : यह तो आत्मरक्षा के लिये अस्त्रों का सहारा लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की अन्तर्बाधा नहीं करने की अनुमति दूंगा।

श्री जवाहर लाल नेहरू : जब दोनों ओर सेनायें अस्त्रों का प्रयोग करती हैं तो चाहे यह गृह युद्ध हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध हो अथवा या निजी युद्ध हो तो सामान्यतः यह युद्ध ही कहलायेगा। वहां पर जान बूझ कर अस्त्रों का प्रयोग किया गया था और मैं सदन को यह याद दिला दूं कि आज भी वे अस्त्र अधिकारियों को सौंपे नहीं जाते। क्या यह एक आश्चर्यजनक बात नहीं। मैं मानता हूं कि उन अस्त्रों का इस समय प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मैं यह भी मानता हूं कि स्थिति में सुधार हुआ है और मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर विचार करे कि स्थिति में इस सुधार के लिये तथा जिस नीति का उसने अनुसरण किया है, उसके लिये यह सरकार जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, कितनी प्रशंसा की पात्र है। वहां स्थिति में सुधार अपने आप नहीं हुआ है किन्तु इस कारण हुआ है कि बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी सरकार ने इतने अधिक समय तक एक विशेष नीति का अनुसरण किया है। किन्तु अब भी एक बड़ी बात यह है कि इस देश में लोगों के कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके पास अस्त्र शस्त्र हैं और वे अपने अस्त्रों को सौंपने से पहिले कुछ शर्तें रखना चाहते हैं। सदन को मालूम है कि पान मुन जोन में अन्तरिम संधि वार्ता चल रही है। हम किसी ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं जो भारत से युद्ध कर रहा हो और जो यह कहे कि यदि

आप ऐसा करें और ऐसा न करें तो इस शर्त्त पर हम अस्त्र शस्त्र डालने को तैयार हैं। यह भी एक विचित्र धारणा है। बहुत से माननीय सदस्य सदन में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों तथा वाक्स्वातन्त्र्य आदि की बात कहते हैं। जबकि उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। जब आपके पास अस्त्र हैं और उन्हें आप अधिकारियोंको सौंपते नहीं तो आप उन्हें क्यों नहीं सौंपते ? क्योंकि आपके दिमाग में यह बात है कि आप उन अस्त्रों का प्रयोग किसी समय पर करना चाहते हैं। अन्यथा आप क्यों नहीं ऐसा करते ? आप कुछ विशेष परिस्थितियों में उनका प्रयोग करना चाहते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि जिन माननीय सदस्यों ने हाल में ही अपनी नीति में परिवर्त्तन कर दिया है वे उस परिवर्त्तित नीति का पालन नहीं करना चाहते। मैं उस परिवर्त्तन का स्वागत करता हूं और मैं उन सदस्यों का भी स्वागत करता हूं किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि निस्सन्देह उनके दिमाग में यह बात अवश्य होगी। अन्यथा वे उन अस्त्रों को क्यों नहीं सौंप देते ? मैं इस मामले पर अधिक ज़ोर नहीं देना चाहता मैंने तो इसका यों ही उल्लेख कर दिया।

बात यह है कि हम इस प्रश्न की इंग्लैण्ड के उन्नीसवीं शताब्दी के प्रजातन्त्र के स्वरूप में चर्चा कर रहे हैं। यह बीसवीं शताब्दी का मध्यकाल है और हम भारत में हैं। मैं नहीं जानता कि वे बातें किसी भी परिस्थिति पर बिना प्रसंग के किस प्रकार लागू हो सकती हैं। मैं जीवन के प्रति प्रजातन्त्रात्मक दृष्टिकोण, जो प्रजातन्त्र का महत्व है, के मूल सिद्धान्त को शत प्रतिशत स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार जिसका मैं भी सदस्य हूं उन सिद्धान्तों को सदैव स्वीकार करेगी और मुझे यह भी आशा है कि और जो दूसरी सरकारें आयेंगी वे भी उनसे सहमत होंगी, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमें उस शब्दावलि पर ही विचार करना चाहिये और उसमें दिये हुये उन सिद्धान्तों को हम भूल जायें। मैं न केवल विरोधी दल के सदस्यों से अपितु अपने दल के सदस्यों से भी पूछता हूं कि हम में से कितने व्यक्ति प्रजातन्त्र के अन्तर्गत जीवन के मूल गुणों को स्वीकार करते हैं ? और इस समय विशेषकर जबकिहम प्रजातन्त्र की प्रजातन्त्र की भावना कीऔर इसके दृष्टिकोण की बातकरते हैं तो विश्व के किन महाद्वीपों को तथा देशों में उपरोक्त बात की जाती है, मैं इस सदन से पूछता हूं कि एशिया के कितने देश अथवा यूरोप के कौन से देश ऐसा करते हैं ? निस्संदेह ऐसे कुछ देश हैं। किन्तु यह पूरी धारणा सब प्रकार की आन्तरिक कठिनाइयों के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। विरोधी दल के कुछ सदस्य इसे "आन्तरिक प्रतिवाद" कहेंगे। मैं इसे मानता हूं और हम इसकी जांच करें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये कि हम एक प्रसंग में कुछ शब्दों का प्रयोग करें और दूसरे में उसके विपरीत कार्य करें। मैं इस महान् देश का प्रधान मन्त्री हूं और यह बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है तथा मेरे सहकारी उस उत्तरदायित्व में भाग लेते हैं। तो क्या हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिये उस उत्तरदायित्व को भूल जायें ?

सदन इस बात को भली भाँति जानता है कि कोई सरकार जो इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करती है जिसकी कि इतनी आसानी से आलोचना की जा सकती हो, सरकार को अप्रिय बना सकती है और इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करना साहस कीबात है (हर्षध्वनि और हंसी) माननीय सदस्य हंस रहे हैं। मुझे खेद है कि उनकी हंसी बेकार सी है। किसी को इतनी जल्दी नहीं हंसना चाहिये। इस प्रकार का विधेयक केवल वही सरकार प्रस्तुत कर सकतीहै जो अपना उत्तरदायित्व अनुभव करती हो। यह गलती कर सकती हैं, हम गलती कर

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

सकते हैं, यह एक दूसरा मामला है। किन्तु यह ऐसा तभी कर सकती है जबकि वह अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करती हो और वह उसे निभाना चाहती हो चाहे इसमें कुछ भी क्यों न हो। यदि भारत की जनता हमें नहीं चाहती तो वह हमें यहां से हटा सकती है। माननीय सदस्य यहां चुनाव आदि के बारे में चुनौती दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव भी हुए थे। निश्चय उस समय जो निवारक निरोध अधिनियम लागू था वह जिसे हम अब प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी अपेक्षा अधिक सख्त था। और चुनाव के समय में विरोधी दल के सदस्यों ने उसकी आलोचना भी की थी।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या चुनाव में यह वाद-विवाद था ? क्या किसी कांग्रेसी ने इसके पक्ष में कुछ कहा था ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : चुनाव में बहुत से वाद विषय थे। इलाहाबाद में एक वाद विषय हिन्दू कोड विधेयक था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह तो पूरे देश में था।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : अब यह कहां है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य जानते हैं कि यह सरकार के कार्यक्रम में है और सरकार इसे पारित करेगी। और किसी अन्य स्थान में कोई अन्य वाद-विषय था। इतने बड़े इस देश में चुनाव में सामान्यतः स्थानीय समस्याओं का प्रभाव पड़ा। और चुनाव में कई स्थानों पर सरकार के विगत कार्यों की सामान्य रूप से तथा इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार के कार्य की विशेषकर आलोचना की गई। किन्तु चुनाव का जो परिणाम था उसे आप देखते ही हैं।

माननीय सदस्य पुलिस राज्य की बात कहते हैं। मेरा उनसे यह निवेदन है कि वे इस बात पर ज़रा शान्तिपूर्वक विचार करें कि भारत सरकार का जो वर्तमान स्वरूप है क्या उसके लिये इस शब्द को प्रयुक्त करने में कोई भी औचित्य है। मैं उनसे कहता हूं कि वे इसकी अन्य सरकारों से तुलना करें। मैं किसी अन्य देश की आलोचना करना नहीं चाहता, और मुझे यह शोभा नहीं देता कि मैं किसी अन्य छोटे या बड़े देश की सरकार तथा उसकी नीतियों की आलोचना करूं। मैं नहीं जानता कि उनकी समस्यायें क्या हैं। उनकी नीति उनके देश के लिये ठीक हो सकती है, उनके लिये मैं इस बात का निर्णय नहीं कर सकता। मैं अपनी समस्याओं को जानता हूं और मैं उनके विषय में निर्णय कर सकता हूं और यदि कोई व्यक्ति मुझ पर अपनी बात लादना चाहे तो मैं उसे कभी नहीं मानूंगा। यह एक दूसरा मामला है। अतः मैं आलो चना तो नहीं करता किन्तु इतना निवेदन करता हूं कि जब आप पुलिस राज के विषय में बात करें तो एशिया और यूरोप के देशों को देखें। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे देश नहीं हैं जिनमें ऐसी प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था न हो जैसी कि हमारी है; किन्तु आप भारत तथा अन्य एक सत्तावादी कुछ देशों की तुलना कीजिये, ऐसा आलोचना की दृष्टि से नहीं अपितु तुलना करने के लिये कह रहा हूं मुझे इस असंगत भाषा के प्रयोग करने पर आपत्ति है। क्या यह पुलिस राज ही था जिसमें ये चुनाव हुए और जिसमें हम और विरोधी दल के सदस्य निर्वाचित हुये ? अतः मैं चाहता हूं कि सदन इसी प्रसंग में इस पर विचार करे।

जब इस विधेयक पर विचार करते समय बहुत से अच्छे या बुरे, व्यक्तिगत मामले

भी आपके समक्ष हों तो हम उन पर पृथक् रूप से विचार करें, और जिन मामलों में दण्ड दिया जाना चाहिये वहां दण्ड भी दें, यह एक भिन्न बात है किन्तु हमें इस बात पर विचार करना है कि भारत में आज जैसी परिस्थितियां हैं उनमें राज्य के कानूनों से इस प्रकार के अधिनियम को रखना उचित है या नहीं ? यदि ऐसा है, तो दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमें नागरिकों के अधिकारों को कितना संरक्षण देना चाहिये जिससे कि जहां तक मानव कल्पना शक्ति से विचार किया जा सकता हो उन्हें परेशान न किया जा सके और उनके साथ अन्याय न हो। इन दो बड़े प्रश्नों पर विचार किया जाना है।

इस प्रश्न पर इस प्रकार से विचार किया गया कि मानो यह विधेयक किसी विशेष दल के व्यक्तियों की कार्यवाहियों के लिये ही बनाया जा रहा हो। मैं समझता हूं कि इसके विषय में ऐसा सोचना गलत है। जो मैं कह रहा हूं वही मेरा मतलब भी है। भारत में चार प्रकार के समाज विरोधी कार्य होते हैं। एक तो साम्प्रदायिक कार्य है—मैं केवल उन कार्यों का निर्देश कर रहा हूं जो कि हिंसात्मक कार्य होते हैं, साम्प्रदायिक विचारों को प्रकट करने की बात को नहीं कह रहा हूं, फिर साम्यवादियों की कार्य-वाहियां हैं—और जब मैं साम्यवादी कहता हूं तो मैं इसे साम्यवादी दल के कार्यों तक ही सीमित नहीं करता, यह एक सामान्य शब्द है मैंने इसका प्रयोग इसलिये किया है कि बहुत से दल एक दूसरे से अलग हैं, मैं उनके नाम नहीं जानता और हम उनकी एक लम्बी सूची तय्यार कर सकते हैं, यथा आर० एस० पी० (क्रान्तिकारी समाजवादी दल) आदि इस प्रकार से बहुत से दल हैं जिनमें कोई भी अनुशासन नहीं है और वे अपने अनुशासन के अन्तर्गत भी नहीं होते तो बहुत से झगड़े पैदा करते रहते हैं। तीसरे आतंक वादी कार्य हैं और चौथी जागीरदारों की कार्यवाहियां हैं। ये हैं मुख्य चार कार्यवाहियां.....

श्री चट्टोपाध्याय : कांग्रेस की कार्य-वाहियों के बारे में क्या है .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को इस प्रकार अन्तर्बाधा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू: यदि माननीय सदस्य न्यायालय के मुकद्दमों की रिपोर्टें पढ़ें तो वह भी विध्वंसात्मक कार्यों की सूची बना सकते हैं। हम व्यक्तिगत बुरे कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है माननीय सदस्य की बात ठीक हो और कांग्रेसियों के दुर्व्यवहार के मामले भी हो सकते हैं। स्पष्टतः कांग्रेस अपने प्रशिक्षण तथा सिद्धान्तों से पृथक् नहीं रह सकती है, और बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकती है। यह बात स्पष्ट है। यह एक गलत काम कर सकती है, यह किसी अवसर पर किसी व्यक्ति का दमन कर सकती है, मेरा मतलब सरकारी दल से है। अब हम इसकी जांच करें। ये चार बातें हैं, मैं उन्हें फिर बताता हूं – सम्प्रदायवादी, साम्यवादी—किन्तु जैसा कि मैंने कहा इसका अर्थ केवल साम्यवादी दल से ही नहीं है और साम्यवादी दल उन छोटे छोटे दलों के लिये उत्तरदायी नहीं है जो इस प्रकार का कार्य करते हैं—फिर आतंकवादी और जागीरदार हैं।

कुछ दिन पूर्व विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने जो कलकत्ता में हुआ उसका निर्देश करते हुए "आप जनता का विरोध प्रदर्शन,", "आम जनता के विरोध प्रदर्शन का ऐतिहासिक पुनरावृत्तन !" आदि कहा। आम जनता ने बहुत से आन्दोलन किये और अच्छे या बुरे बड़े बड़े परिवर्तन किये। किन्तु जो कलकत्ता में हुआ या कभी कभी अन्य स्थानों पर हुआ उसको आम

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

जनता का विरोध प्रदर्शन कहना, मैं समझता हूं कि यह न केवल पूर्ण मिथ्या विचार ही है अपितु शब्दों का गलत प्रयोग भी है। जिसका मेरे माननीय मित्र ने निर्देश किया हम उस कलकत्ता घटना को ही लें। वहां यह मांग की गई थी कि कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल की खाद्य समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन का पालन नहीं किया गया। विश्लेषण करने पर हमें मालूम हुआ कि आश्वासन को पालन करने का प्रश्न तो छै महीने बाद उठता। उस समय भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस कार्यक्रम के प्रत्येक भाग का पालन किया था। कलकत्ता में पर्याप्त मात्रा में गेहूं तथा चावल हैं। प्रश्न यह उठा कि छै महीने बाद उस कार्यक्रम के एक विशेष भाग का पालन किया जायगा या नहीं और इस बात की पूर्व सूचना दी गई थी कि विरोध प्रदर्शन करने के लिये जलूस निकाला जायगा। मुझे अचम्भा हुआ क्योंकि इसका कारण यह था कि भारत सरकार के आश्वासन का पालन नहीं किया गया था। मुझे आश्चर्य इसलिये हुआ कि हमने उनका पालन किया था। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री ने उन लोगों के जिन्होंने जलूस निकालने की पूर्व सूचना दी थी, नेताओं को बुलवाया। उन्होंने उन लोगों को तथ्य तथा आंकड़े बताये। उन नेताओं ने कहा "आपकी बात ठीक है, आपने उनका पालन किया है।" वे इस बात से सहमत हो गये। उन्हें मालूम हो गया कि उनकी बात गलत थी। वे वहां से वापिस चले गये और अगले दिन जलूस निकाला और फिर यह स्थिति पैदा हो गई। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि कलकत्ता जैसे बड़े शहर में सौ, दो सौ या पांच सौ आदमियों के लिये यदि वे करना चाहें तो कोई झगड़ा पैदा करना बहुत सरल काम है। यदि इसे ही आम जनता का प्रदर्शन करना कहा जाये तो मैं इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मुझे याद है कि दो या तीन वर्ष पूर्व तीस या चालीस लाख जनसंख्या वाले कलकत्ता शहर में पूर्वी बंगाल से बहुत अधिक व्यक्तियों के आगमन, मकानों की समस्या तथा अन्य बातों के कारण बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई थीं और वहां आतंक सा फैल गया था क्योंकि वहां पर प्रतिदिन पुलिस वालों पर, दुकानों पर तथा ट्रामों पर बम फेंके जाते थे और ट्रामों में आग लगा दी जाती थी। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि इतने बड़े शहर के कामों में इस प्रकार बाधा डाली जाती थी वहां के काम को रोका जाता था—आम जनता कभी कभी पुलिस वालों पर बम फेंकती थी। ठीक उसी समय मैं कलकत्ता गया और वहां की जनता को देखा। जिस सभा में मैं बोला उसमें दस लाख व्यक्ति आये और उस सभा में एक बम छोड़ा गया जिससे कि एक पुलिस इंस्पैक्टर तथा अन्य दो, तीन व्यक्ति मारे गये और फेंकने वाला व्यक्ति घायल हुआ। किन्तु इतनी भारी संख्या में एकत्रित जनता ने अनुशासन से काम लिया। मैंने उन्हें पहिले ही कह दिया था कि "यदि कोई कत्ल भी हो जाय या कुछ और बात हो जाये तो आप लोग इधर उधर न जायं और अनुशासन से काम लें, हम स्थिति का मुकाबला करेंगे।" और उन्होंने अनुशासन से काम लिया। मैंने वहां भाषण दिया और उसके बाद वहां की जनता ने बम फेंकने वालों के विरुद्ध कार्यवाही शुरु की। जनता उन्हें बिलकुल नहीं चाहती थी। और उन लोगों ने कहा "हम इन आतंकवादियों को मनमानी नहीं करने देंगे।" फिर यह सब कुछ रुक गया। इसी को मैं कहता हूं कि झगड़ा पैदा करने वालों के विरुद्ध जनता प्रदर्शन करती है।

क्या आप चाहते हैं कि पांच सौ या एक हजार व्यक्ति कलकत्ता, दिल्ली अथवा बम्बई शहर के दैनिक जीवन कार्यों को रोक दें और लाखों व्यक्तियों के जीवन कार्यों को अव्यवस्थित कर दें ? मेरा कहना यह है कि यदि यही होगा तो इन शहरों में जीवन असम्भव हो जायेगा। कुछ सप्ताह या एक महीने पहिले इसी दिल्ली शहर में एक घटना हुई जो कि विवाह का व्यक्तिगत मामला था और जिसमें किसी को भी अधिक रुचि नहीं थी। चाहे यह बात ठीक थी या गलत थी। इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था। जब ये घटनायें हुईं मुझे तभी मालूम हुआ। मैंने देखा कि शहर में कुछ लोगों ने न्यायालय की खिड़कियां तोड़ दीं और चांदनी चौक में लोगों को चोटें पहुंचाईं और इधर उधर कुछ शरारत की। यदि दिल्ली की पुलिस उस समय तत्परता से कार्य नहीं करती तो दिल्ली के बहुत से भागों में झगड़ा फैल जाता। अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर १९४७ में दिल्ली, पूर्वी पंजाब तथा पाकिस्तान में जो हुआ उसे हम अभी भूले नहीं हैं। ये जो घटनायें मैंने देखीं चाहे यह पाकिस्तान, पूर्वी पंजाब अथवा दिल्ली में हुई हों, मैं इन्हें कभी भूलूंगा नहीं। लोगों ने दूसरों को इन अमानुषिक कार्यों को करने के लिये उकसाया। इन कामों के लिये भड़काना बड़ा सरल है। यदि आप प्रजातन्त्र के नाम पर आप इस प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को, जिसे हमने बनाया है, समाप्त करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, किन्तु प्रजातन्त्र के विषय में मेरी ऐसी धारणा नहीं है।

अतः हमें भारत के इस प्रसंग में इन बातों को देखना पड़ता है। हम इसकी जांच करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करें, इस बात का ध्यान रखें कि कानून का दुरुपयोग न हो और जो भी संरक्षण हम दे सकते हैं वह दिया जाय किन्तु उसके साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखें कि हमें देश तथा राष्ट्र की सुरक्षा का भी विचार रखना है। इस बड़े उत्तरदायित्व को सरकार को निभाना है और यह ऐसा अपनी पूर्ण योग्यता के साथ करेगी। जब तक कि राज्य तथा प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण न हो तब तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा राज्य की आवश्यकताओं तथा सुरक्षा के बीच कुछ न कुछ झगड़ा होता रहेगा। हमारे पास कुछ देशों के उदाहरण हैं जहां राज्य को सर्वोपरि और प्रत्येक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के ऊपर माना जाता है और राज्य ईश्वर का स्थान ले लेता है। यह बात कुछ बड़े देशों में है किन्तु इसकी आलोचना करना मेरा काम नहीं। मैं तो चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बनी रहे। मैं नहीं चाहता कि राज्य के नाम पर भी वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर दी जाय। किन्तु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो, राज्य की सुरक्षा के लिये कुछ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करना पड़ता है। युद्ध काल में सभी प्रजातन्त्र वाले देश व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कम कर देते हैं क्योंकि राज्य को खतरा रहता है। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि हम भारत में युद्ध कालीन स्थितियों में रह रहे हैं। निस्सन्देह हमने काफी प्रगति की है और विरोधी दल के भी बहुत से सदस्यों ने बताया कि इस सम्बन्ध में कितनी अधिक प्रगति की है और अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की दशा कितनी स्थिर है। यदि वे किसी अन्य प्रसंग पर बोलते तो सम्भवतः वे यह कहते कि हमने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की है। वास्तव में वे ऐसा कहते भी हैं, किन्तु इस विशेष प्रसंग में हमारी सराहना की गई है कि सुरक्षा तथा देश में स्थिरता के विषय में हमने प्रगति की है। मैं उस सराहना के लिये कृतज्ञ हूं और हमें आशा है कि हम उस दिशा में और अधिक

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

प्रगति करेंगे। किन्तु आवश्यक प्रश्न तो राज्य सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बीच विरोध का है और इन के मध्य जो रेखा खींची जानी है वह परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न होगी। युद्ध काल में राज्य को अधिक अधिकार मिलते हैं और शान्ति काल में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक मिलनी चाहिये किन्तु आप राज्य की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और न उसे खतरे में डाल सकते हैं। हमारी संसद् ने इंग्लैण्ड की संसद् से बहुत कुछ लिया है और हमारे बहुत से कानून भी वहां की प्रथाओं पर आधारित हैं। इस तथा अन्य मामलों में विरोधी दल के सदस्यों ने इंग्लैण्ड की प्रथाओं का निर्देश किया। और वह ऐसा कर सकते हैं। किन्तु मेरा कहना यह है कि हमारे देश और इंग्लैंड तथा स्काटलेंण्ड में बड़ा अन्तर है, उनके जीवन में बहुत अधिक अनुशासन है, और वे बहुत समय से ऐसे कानूनों तथा प्रथाओं को मानते आ रहे हैं जिससे उन्होंने अनुशासन की भावना को ग्रहण किया और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अभी पिछले कुछ वर्षों से ही हमारे देश ने दासत्व से छुटकारा पाया और इसने प्रगति करनी शुरू की और सभी प्रकार की प्रान्तीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक बाधाओं के होते हुए भी इस प्रगति में कभी शिथिलता आ जाती थी और फिर यह प्रगति ठीक होती रहती थी। हमें एकत्र होना है और जैसा कि इस सदन में पहिले मैं ने कहा इस संसद् तथा सरकार को भारत के एकीकरण की मूल बात को अपने सामने रखना है, यह एकीकरण भौगोलिक तथा राजनैतिक रूप का नहीं है अपितु यह भारत की जनता के विचारों का, हृदय की भावनाओं का तथा मनोवैज्ञानिक है। हमें बहुत सी समस्याओं पर उनके ही प्रसंग के अनुसार विचार करना है, चाहे वह भाषावार प्रान्त की हो अथवा कोई अन्य ही हो। किन्तु इन सब समस्याओं के पीछे विध्वंसकारी तत्व हैं और जब तक आप इन तत्वों का दमन नहीं कर देते और जब तक आप एक रूप से विचार नहीं करते तब तक इस बात का भय है कि विध्वंसात्मक तत्व देश पर अपना प्रभाव डाल देंगे।

अतः हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस समय इस प्रकार विधेयक आवश्यक है। ऐसा करने पर हमने इस विधेयक के संसद् में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। यह एक दूसरी बात है कि सदन इसकी विस्तृत बातों को कैसे रखे; किन्तु इन विस्तृत बातों पर भी हमने सावधानी से विचार किया। हो सकता है कि हम से कोई बात छूट गई हो, और यदि अन्य संशोधन रखे गये होते तो हम उन्हें स्वीकार कर लेते। किन्तु यह एक ऐसा विधेयक नहीं है जिसे हम अन्य विधेयकों के समान शीघ्रता से पारित कर दें। यह एक ऐसा विधेयक है जिसके विषय में हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिये।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि संयुक्त समिति ने बहुत से परिवर्त्तन नहीं किये गये हैं। यह सत्य है कि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं। संयुक्त समिति में बहुत से परिवर्त्तन नहीं किये गये हैं, क्योंकि इस विधेयक के संयुक्त समिति को सौंपे जाने से पूर्व बहुत सी समितियों ने अनौपचारिक रूप से इस पर चर्चा की और इसके पहलुओं पर विचार किया। क्योंकि इस पर बहुत सी समितियों ने विचार किया अतः इस में हमारे संयुक्त प्रयत्नों का प्रतिबिम्ब है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस में परिवर्तन या सुधार नहीं किया जा सकता। यह एक भिन्न बात है।

किन्तु इस से यह विदित होता है कि इस विधेयक पर जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है और जो संयुक्त समिति के समक्ष भी था, सावधानी पूर्वक विचार किया गया था ।

एक बात पर बहुत जोर दिया गया था—वह वकीलों तथा कानूनी सहायता प्राप्त किये जा सकने के सम्बन्ध में था । मुझे आशंका है कि देश के वकील मुझे अच्छी निगाह से नहीं देखते क्योंकि मैं इस पेशे की प्रशंसा नहीं करता । इस में उन का दोष नहीं । यह तो उस न्यायिक प्रणाली का दोष है जो हम ने अंग्रेजों से ली है जिस में अत्यन्त विलम्ब होता है और बहुत खर्चा होता है, और चाहे यह कितनी भी अच्छी क्यों न हो यदि इस में विलम्ब और खर्चा होता है तो इसका अर्थ है कि अन्त में अन्याय होता है । किन्तु मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा ।

मेरा सदन से निवेदन है कि यदि सदस्य यह चाहते हैं कि मुकदमा पूरी तरह से चलाया जाय तो आप ऐसा कर सकते हैं; किन्तु इन विचारों को आपस में मिलाइये नहीं । जैसा कि सुझाव दिया गया है यहां तीन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और सदन जानता है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यपालिका प्राधिकार पर जरा भी निर्भर नहीं होते । वे तो कार्यपालिका प्राधिकार की बहुत अधिक आलोचना करते रहे हैं । उन के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाय किन्तु इस मामले में वे कार्यपालिका प्राधिकार का पक्ष नहीं लेंगे । वे निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे । वे मामलों पर अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं । यदि यह बात आप उन पर छोड़ दें और यदि अभियुक्त उन के सामने उपस्थित किया जाय और वे उस से कुछ पूछें उस की बातें सुनें और जो सूचना वह चाहते हैं उस से प्राप्त कर लें तो इस बात की अधिक सम्भावना है कि वे उसकी बात पर अनुकूल रूप से विचार करें और उस नजर बन्द या होने वाले नजरबन्द व्यक्ति के मामले पर उदारता पूर्वक विचार करें । यदि आप इसे अर्द्ध मुकदमे का रूप देना चाहते हैं तो न्यायाधीश जो यद्यपि उत्तरदायी होता है, दोनों पक्ष के वकीलों के उपस्थित रहने के कारण उस व्यक्ति के लिये वह सहानुभूति नहीं रखता । इस प्रकार के सब मामलों में आप अर्द्ध मुकदमा कैसे रख सकते हैं ? यदि एक पक्ष में वकील होते हैं तो दूसरे पक्ष में भी होते हैं । इस से तो इस विधेयक का प्रयोजन निष्फल हो जायगा । निस्संदेह हम नजरबन्द या होने वाले नजरबन्द को उन से मिलने और यह जानने की सुविधा दें उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं और अन्य जो सुविधायें दी जा सकें दें । यह एक बिल्कुल भिन्न मामला है ।

एक और बात है जिस पर सदन को विचार करना चाहिये । सामान्य मुकदमों में तथ्यों को गवाहों की गवाही अथवा लेखों से प्रमाणित करना पड़ता है । जैसी स्थिति है उस में इस प्रकार के मामलों में इस बात का कोई महत्व नहीं कि सदन को मैंने जो चार वर्ग बताये थे उस में नजरबन्द किस वर्ग में . . . .

एक माननीय सदस्य : चोर बाजारी करने वालों के विषय में क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य चोर बाजारों के विषय में कह रहे हैं । वह किसी वर्ग में भी हों गवाह का जीवन खतरे में होता है ।

सदन को याद होगा कि पिछले सामान्य चुनाव में राजस्थान और सौराष्ट्र में जागीरदारों के आदमियों ने लोगों को खुले आम कत्ल कर दिया था जिस से कि वे एक विशेष दल अर्थात् कांग्रेस को अपने मत न दे सकें : यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं यह वहां स्पष्ट रूप से पोस्टरों में लिखा गया था कि 'जो कांग्रेस को अपना मत देंगे उन्हें मार डाला जायगा और बहुत से आदमी मार डाले गये

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

थे। यदि मत देने के विषय में ऐसा हुआ तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि यदि हम सौराष्ट्र के मामले की न्यायालय में खुले रूप से जांच करायें तो जिस में बहुत से जागीरदार तथा राजे महाराजे होंगे तो उस गवाह का क्या हाल होगा जो अपने मालिक जागीरदार तथा राजा के विरुद्ध गवाही देगा। अतः इस बात के होते हुए यदि आप यह करने लगें और इस गवाही देने के प्रश्न को उठायें तो या तो आप को गवाही नहीं मिलेगी अथवा आप को प्रत्येक गवाह की अत्यधिक रक्षा करनी पड़ेगी और जितने भी गवाह होंगे उन सब को आप को नजर बन्द करना पड़ेगा। अतः यह सब धारणा तो समाप्त हो जाती है। असली बात दो या तीन बातों पर निर्भर करती है। मेरा सदन से निवेदन है कि वह कम से कम इस समय के लिये विगत काल को भूल जाय। फिर जैसा कि यह विधेयक है, इसके विभिन्न संरक्षणों पर विचार कीजिये।

जिलाधीश तथा पुलिस के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं यहां प्रत्येक जिलाधीश तथा प्रत्येक पुलिस वाले के लिये क्षमा प्रार्थना नहीं करता। किन्तु मैं सदन से यह अवश्य कहूंगा कि जितनी सरकारी सेवायें हैं और जितने सरकारी कर्मचारी हैं सभी के लिये ऐसा कहना उचित नहीं। उस में हमारे समान अच्छे और बुरे सभी तरह के व्यक्ति हैं। किन्तु जिन व्यक्तियों पर बहुत अधिक उत्तरदायित्व है और जिन्हें प्रायः संकट तथा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी कोई गलती भी कर सकते हैं किन्तु फिर भी जो अपनी पूर्ण योग्यता से काम करने का प्रयत्न करते हैं। मेरा कहना है कि उन की कटु आलोचना करना उचित नहीं। वे उसी समय अपने कार्यों के विषय में उत्तर नहीं दे सकते या उन्हें स्पष्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम निजी रूप से उन से न पूछें।

राज्य सरकारों के विषय में भी कुछ कहा गया है। राज्य सरकारों को सीधे ही कुछ बातों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ता है जिस का भार भारत सरकार पर नहीं होता। भारत सरकार को भारत के बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेना पड़ता है और राज्य सरकारों को वहां की जनता के दैनिक जीवन तथा वहां की समस्याओं का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। और राज्य सरकारों ने उन उत्तरदायित्वों को जिस प्रकार से निभाया है मैं उसकी सराहना करता हूं। एक माननीय सदस्य ने सौराष्ट्र सरकार के विषय में बहुत कटु शब्द कहे थे किन्तु मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सौराष्ट्र सरकार भारत की अत्यधिक कार्यकुशल सरकारों में से एक है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सौराष्ट्र सरकार सौराष्ट्र में ऐसी बातों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये इतनी अनिच्छुक थी कि मुझे वहां के मुख्य मंत्री को कई बार लिखना पडा कि "आप स्थिति को गम्भीर न होने दें, आपको कार्यवाही करनी चाहिये"। अब यह कहा जाता है कि वह लोगों को ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके काम चंगेजखां अथवा तैमूर लौंग के समान हैं, मैं इन बातों को नहीं समझता। मैं नहीं जानता कि कितने माननीय सदस्य सौराष्ट्र के मुख्य मंत्री को जानते हैं। वह भारत के अत्यधिक नम्र, अत्यधिक योग्य तथा अत्यधिक शान्त व्यक्तियों में से एक हैं।

अतः इन राज्य सरकारों तथा सरकारी कर्मचारियों को स्थिति का सामना करना पड़ता है। वे गलती कर सकते हैं। हम ऐसा कानून बनायें जिससे ये न हो सकें। जिलाधीश सीधे ही कार्यवाही करे या न करे किन्तु वह सभी मामलों में, केवल संकटपूर्ण स्थिति वाले मामले को छोड़ कर गृह मंत्री को सूचना देता है। इन बातों से यहां गृह मंत्री का सम्बन्ध होता है। मान लीजिये कि वह एक संकटपूर्ण

मामले की सूचना गृह मंत्री को नहीं देता। आप इस बात की व्यवस्था कीजिये कि वह बारह दिन या कुछ समय में इस सम्बन्ध में सूचित करें। आप इसकी व्यवस्था कीजिये। तब यह राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का विषय हो जाता है। आप इस बात का उपबन्ध करें कि यह बात मंत्रणा परिषद् को निर्दिष्ट की जाय। आप इस बात का उपबन्ध कीजिए कि भारत सरकार को भी सूचना भेजी जाय। आप इस बात का भी उपबन्ध कीजिये कि मंत्रणा परिषद् के सदस्य तीन प्रसिद्ध न्यायाधीश हों अथवा न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति हों। आपकी बात में फर्क हो सकता है। किन्तु मेरा कहना यह है कि आपने पर्याप्त संरक्षण रखे हैं इससे अन्याय नहीं हो सकता। और यदि आप समझते हैं कि अन्याय हो रहा है, और यदि हो भी तो मैं इसकी गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि सदन भी तो है विरोधी दल के सदस्य भी तो हैं। इसलिए यदि कहीं अन्याय होगा तो वे प्रत्येक मामले पर सबका ध्यान दिलायेंगे। वे हमारा या देश का ध्यान दिलायेंगे और मैं इस बात का स्वागत करता हूं। राज्यों में राज्य विधान सभायें हैं उनमें इन बातों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। अतः यदि हम इनका विश्लेषण करें तो इन परिस्थितियों में अन्याय होना बहुत मुश्किल है और यदि कहीं अन्याय हो भी जाय तो वह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। कोई व्यक्ति तो इसका उत्तरदायी होगा ही। और इसका प्रतिकार किया ही जायगा।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य उन छोटे छोटे संशोधनों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए जिन्हें सदन स्वीकार करना चाहें केवल ठीक ही नहीं है अपितु लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों के पूर्णतः अनुकूल है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : प्रधान मंत्री ने देश की समस्याओं-पर अच्छी बातें कहीं और मैं उनसे सहमत हूं। किन्तु उनके भाषण में एक बड़ी खेदजनक बात थी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर वादविवाद होता रहा है और बहुत सी असंगत बातें कही गईं किन्तु इस विधेयक के उपबन्धों के विषय में बहुत कम कहा गया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने "असंगत" शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मैंने "शाब्दिक" कहा था।

डा० एस० पी० मूखर्जी : अच्छा हुआ मुझे उन्होंने यह बात याद दिला दी क्योंकि उनका भाषण शास्त्रीय विषय के समान था तथा विधेयक के उपबन्धों से असंगत है। हम विधेयक के मूल उपबन्ध पर आपत्ति करते हैं कि आप किसी आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर बिना मुकदमा चलाये उसे नजरबन्द कर लेते हैं। प्रधान मंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में कत्ल, लूटमार, अग्निकांड, साम्प्रदायिक तथा साम्यवादी विध्वंस कार्य आदि हो रहे हैं। जब यह सब हो रहा है तो यह कौन कहता है कि सरकार यह कहे कि वह देश की जनता को अबाध स्वतन्त्रता देगी। उन्होंने सौराष्ट्र के विषय में कहा। किन्तु जब सौराष्ट्र में कत्ल और लूटमार हो रही है, चाहे यह भूपत न किया हो और चाहे जागीरदारों और राजे महाराजों ने किया हो, तो सरकार वहां पर क्या कर रही थी। क्या सरकार वहां पर निवारक निरोध अधिनियम नहीं लगा सकती थी जिसका अर्थ यह है कि खुफिया तथा गुप्तचर विभाग अधिकारियों को सूचना देते जिससे अधिकारी कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके इन बातों को रोक सकते। उन्होंने वहां के मुख्य मंत्री की प्रशंसा की। किन्तु क्या सौराष्ट्र के मुख्य मंत्री इन कार्यवाहियों को करने में असमर्थ थे? सौराष्ट्र सरकार ने तुरंत कार्यवाही क्यों नहीं की? सौराष्ट्र सरकार के विरुद्ध यही हमारी शिकायत है।

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

किन्तु ऐसा निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत क्यों किया जाय ? इसके लिए एक विशेष कानून बन सकता है। उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया जाय। आप इस बहुत बड़े अधिकार को केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते। हम यह मानते हैं ऐसा भी समय आ सकता है जब सरकार को ऐसा पूर्वाविधारणा भी करनी पड़ सकती है। किन्तु क्या वह स्थिति आज भारत में है ? मैं चाहता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मूल बात पर बोलते। इसी पर हमें आपत्ति है। आप ऐसा विधान चाहते हैं जिससे देश भर में गुप्तचर फैल जायें और वे लोगों के विरुद्ध मामले तैयार करें जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने इंग्लैण्ड की बात पर स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं डाला। मैं तो आज के इंग्लैण्ड की बात करना चाहता हूं। वहां हैरोल्ड लास्की ने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि सरकार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उस पर मुकदमा चलाये उसे आरोप बताये और अपनी प्रतिरक्षा करने की सुविधा है। कुछ दिन पूर्व जब मैं ने पंडित मोतीलाल नेहरू के भाषण का उद्धरण किया तो कुछ सदस्यों ने कहा कि यह तो अंग्रेजी शासन काल की बात है। तो क्या इसका यह अर्थ है कि स्वतंत्रता सम्बन्धी शाश्वत सत्य भी समय समय पर बदलता रहेगा ? मैं उनके भाषण को पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए पढ़ सकता हूं क्योंकि इससे इस वाद विषय के प्रश्न का उत्तर मिलता है।

डा० काटजू : हाउस आफ कामन्स में जिसका यहां बहुत निर्देश होता है, यह प्रथा है कि प्रधान मंत्री को 'प्रधान मंत्री' सम्बोधित किया जाता है उनका नाम नहीं लिया जाता। मेरे माननीय मित्र उनकी ओर उंगली उठाकर उनका नाम लेते रहे हैं। मुझे खेद है कि मुझे इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है। मेरा सुझाव है कि हम हाउस आफ कामन्स की सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम से सम्बोधन करने की प्रथा को अपना लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे पसन्द करते हों किन्तु मुझे यह पसन्द नहीं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मुझे इसका खेद है। मुझे नहीं मालूम था कि प्रधान मंत्री को माननीय गृह मंत्री की सहायता की आवश्यकता थी। अब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम न लेकर भारत के प्रधानमंत्री कहूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमारे सामने प्रवर समिति की रिपोर्ट है। अतः मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह रिपोर्ट पर बोलें और असंगत बातों में न पड़ें।

डा० एस० पी० मुखर्जी : जब मैं बोलता हूं तो माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने प्रधान मंत्री के बोलने पर इसे क्यों नहीं उठाया ? इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहिले काफी बोल चुके हैं। माननीय सदस्य को प्रधान मंत्री की बातों के उत्तर में जो कुछ कहना है उसके लिए मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह उसे संक्षेप में कहें। माननीय सदस्य अपना कार्य भलीभांति जानते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इसलिए लिया कि माननीय सदस्य मुझे नाम से सम्बोधित करते हैं और निर्वाचन क्षेत्र के नाम से सम्बोधित नहीं करते। यही हाउस आफ कामन्स की प्रथा है। हम भी निर्वाचन क्षेत्र के नाम से एक दूसरे को सम्बोधित करें और इसमें कोई भेदभाव न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित ही है कि हम सदन के नेता का सम्मान करें।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मेरा इरादा अपने प्रधान मंत्री के प्रति अनादर प्रदर्शित करने का नहीं था।

श्री जवाहरलाल नेहरु : सब के निर्वाचन क्षेत्र के नाम याद रखना सम्भव नहीं अतः उस नाम से सम्बोधित करना भी कथिन है। हाउस आफ कामन्स की इस प्रथा का अनुकरण करना मैं आवश्यक नहीं समझता।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं यह कह रहा था कि प्रधान मंत्री कभी कभी विरोधी दल के उपयोगी सुझावों को स्वीकार कर लेते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे विरोधी दल की इस विधेयक पर सम्मति के सारे प्रश्न पर विचार करें और इस पर उनका जो मूल दृष्टिकोण है वह गलत है। मैं तीन न्यायाधीशों के स्थान तीन सामान्य व्यक्तियों को पसन्द करूंगा क्योंकि उनके अधिकार सीमित हैं और वे नज़रबन्द व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते। आप इसको न्याय कहते हैं। इस मूल-सिद्धान्त में परिवर्तन हो जायगा क्योंकि भारत अब स्वतन्त्र हो चुका है। प्रधान मंत्री ने वकीलों के विषय में कहा। स्वयं प्रधान मंत्री आज़ाद हिन्द फ़ौज के सिपाहियों की प्रतिरक्षा के लिए तैयार हो गये थे। वह भारत के लिए बड़ा अच्छा दिन था जब प्रधान मंत्री पीड़ित व्यक्तियों की प्रतिरक्षा के लिये तय्यार हुए और इस प्रकार वह सत्य और न्याय के लिये लड़े।

हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मन्त्रणा बोर्ड क्या काम करेगा। पुलिस के सूचना प्राप्त करने वाले गवाही तय्यार कर लेते हैं। कम से कम एक मामले का तो मुझे भी मालूम है जिसे बहुत से सदस्य और मंत्री भी जानते हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहता वह भारत सरकार का अधिकारी है। उसके विरुद्ध यह आरोप था कि उसका साम्यवादियों के कार्यों से सम्बन्ध था। शीघ्र ही उसे नौकरी से निकाले जाने का आदेश दे दिया गया। यह तीन वर्ष पहिले की बात है जबकि मैं मंत्री था। मैंने इसकी ओर सरदार पटेल का ध्यान दिलाया। उन्होंने मुझे फाइल दिखाई और पुलिस की गवाही के बारे में बताया और यह कहा कि बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने स्वतन्त्र रूप से रिपोर्ट की है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता और उस व्यक्ति को नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। मैंने उस सम्बद्ध व्यक्ति से यह बात कही। उस व्यक्ति के लिये यह कहा जाता था कि वह शाम को एक विशेष श्रीमती जी से मिलता था। जब मैंने उसे यह बताया तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि वह तो मेरी पत्नी है, यदि मैं उससे मिलता हूं तो इसमें क्या नुकसान है। मैंने इस बात की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाया। इस मामले पर पुनः छानवीन हुई। सरदार पटेल ने उसके खिलाफ उस आदेश को वापिस ले लिया और उसे अपने पद पर फिर नियुक्त कर दिया गया। इससे जिस प्रक्रिया का आप पालन कर रहे हैं उसके खतरे का पता लगता है। मुझे सरकार के इस दृष्टिकोण को देखकर दुख होता है। उसे इस प्रकार के अप्रजातंत्रात्मक प्रकिया अपनाने का कोई खेद नहीं होता। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जबकि ऐसा करना आवश्यक हो। किन्तु क्या आज ऐसी परिस्थितियां हैं ?

प्रधान मंत्री ने कलकत्ता की सभा का उल्लेख किया। मैं भी उसमें उपस्थित था। उन्होंने ठीक कहा कि शरारत करने वाले थोड़े से व्यक्ति हैं। किन्तु यह जनता के विरोध का प्रश्न नहीं है। यह तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रश्न है और हमारे प्रधान मंत्री औरों की अपेक्षा जनता की मनोवैज्ञानिक भावना को अधिक जानते हैं। किन्तु क्या कुछ शरारत करने वालों के कहने से जनता ने

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

जलूस निकाला । पूरे प्रान्त में कठिनाइयां हैं कहीं अकाल पड़ रहा है और कहीं पर राशन नहीं मिल रहा है । वहां धारा १४४ लगाई गई । पुलिस ने लोगों को परेशान किया और धारा १४४ हटा ली गई, पकड़े गये लोग छोड़ दिये गए । अब इस बात पर विचार हो रहा है कि एक ऐसी योजना को, जिससे लोगों की वास्तविक शिकायतें दूर हो सकें, को किस प्रकार लागू किया जाय ।

सदन ने इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है और अब यह कानून बन जायगा । मैं चाहता हूं कि कानून की कठिनाइयों को कम करने की अपेक्षा इस बात का संरक्षण रखा जाय कि इस बात की सम्भावना न रह सके कि यह कानून निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया जा सके । इसमें एक मुख्य बुराई यह है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस की गुप्त रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अपनी सफाई देने का अवसर भी नहीं मिलता । इसमें एक उपबन्ध यह भी है कि यदि कोई ऐसी गवाही हो जो लोकहित के विरुद्ध हो तो उसे भी न बताया जाय । प्रश्न यह उठता है कि क्या नज़रबन्द व्यक्ति को उस व्यक्ति से जिसने उसके विरुद्ध अभियोग लगाया हो जिरह करने दिया जाय या नहीं और दूसरी बात गवाही प्राप्त करना है । तभी मंत्रणा बोर्ड इन बातों पर करके अपना निर्णय दे सकती है । इसमें विचार सरकार ऐसी गवाही देने की अनुमति दे सकती है और जिरह भी करने दे सकती है । यह बात बहुत ही उचित है । किन्तु सरकार ऐसा करने से मना भी कर सकती है और यह बात मंत्रणा बोड पर छोड़ सकती है कि वह दोनों पक्षों की गवाही सुनकर इस पर निर्णय करे और वह इस नई गवाही को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है । यह एक प्रकार का संरक्षण है जो कि संयक्त समिति की रिपोर्ट में नहीं है । एक और संरक्षण हो सकता है कि यदि सम्बद्ध अधिकारी यह समझे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक हो तो उस बात के लिये आदेश जारी कर दिये जाते हैं इसमें "उचित गवाही के आधार पर" शब्द क्यों न जोड़ दिये जायें ? इस बात में माननीय विधि मंत्री का समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह बात न्यायालय में जायगी । "उचित गवाही" का अर्थ है कि इस पर न्यायालय के प्राधिकार से कार्य होगा । किन्तु अब हम यह कह रहे हैं कि शान्तिकाल में वही उपबन्ध हों जो कि गत युद्धकाल में इंग्लैण्ड में थे । प्रधान मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं । माननीय गृह मंत्री ने कहा कि वह इंग्लैण्ड तथा अमरीका से प्रेरणा लेगें । मुझे पता नहीं कि सरकार को यह मालूम है या नहीं कि अमेरीका में भी निवारक निरोध अधिनियम है । वहां १९५० में निवारक निरोध कानून पारित हुआ था । और यह केवल साम्यवादी दल के विरुद्ध लगाया जाता है ।

उस अधिनियम में ये उपबन्ध हैं । जब राष्ट्रपति यह समझे कि देश में संकटकालीन स्थिति है और देश की सुरक्षा को खतरा है तो वह इस अधिनियम को कार्यान्वित करवा देते हैं । वहां यह अधिनियम संविधि पुस्तक में सम्मिलित कर दिया गया है । यह अमेरिका में साम्यवादी दल तथा साम्यवादी दल की कार्यवाहियों के विरुद्ध लगाया जाता है । वहां एक मंत्रणा परिषद् है जिसके एक सदस्य के सामने ४८ घंटे के अन्दर नज़रबन्द व्यक्ति उपस्थित किया जाता है और यदि वह सदस्य समझे कि इसे मंत्रणा परिषद् के सामने रखा जाना चाहिए तो वह उस परिषद् के समक्ष रख देता है और मंत्रणा परिषद् कुछ महीनों में अपना निर्णय कर लेती है । वहां उसे सब प्रकार की कानूनी सुविधाएं दी जाती हैं । यदि मंत्रणा परिषद् यह समझे

कि उसे गलत तरीके से नजरबन्द किया गया है तो अमेरिका की सरकार उसे क्षतिपूर्त्ति देती है । न्यायालय के अधिकारों के विषय में अमेरिका के कानून में बड़े विचित्र उपबन्ध हैं । कानून की सभी बातें फैडरल न्यायालय में जाती हैं किन्तु वह मंत्रणा परिषद् के निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक न्यायालय यह न समझे कि गवाही अनुचित थी या संतोषजनक नहीं थी ।

अधिनियम के अन्तिम खण्ड में बन्दी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार मिलता है जिसका अमेरिका का प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है । मैं सदन से यह पूछता हूं कि साम्यवादी दल के कार्यों के विषय में क्या आज हमें अमेरिका से अधिक खतरा है ? हम किसी शीत युद्ध में भी भाग नहीं ले रहे हैं । यद्यपि वहां साम्यवादियों को बुरा बताया जाता है किन्तु वहां भी ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा होती है । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अपनी इस बात पर विचार करे कि हमें कौन से संशोधन रखने चाहिएं । सरकार को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द करने का अधिकार आदि कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर कि आसानी से जांच की जा सकती है । आपका बहुमत है अतः आप इस विधेयक को पारित कर सकते हैं । अन्य बातों के विषय में माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि प्रत्येक वाद-विषय निर्वाचकों के समक्ष था । मैं इस बात में उनसे सहमत नहीं हूं । क्या प्रधान मंत्री की इस बात का यह अर्थ निकालूं कि निर्वाचन घोषणा पत्र में यह था कि यदि उस दल को शक्ति प्राप्त हो जायेगी तो सरकार निवारक निरोध कानून को चाल रखगी । म समझता कि उपबन्ध यह था कि कांग्रेस का ध्येय नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा करना है ।

श्री जवाहरलाल नेहरु : दिल्ली संसद् में यह कहा गया था कि इस बात को नई संसद् के समक्ष रखा जायगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं तो इस पर ज़ोर दे रहा था कि यह कहा जाता है कि एक विशेष वाद विषय निर्वाचकों के समक्ष था । अस्थायी संसद् में तो बहुत सी बातें कही गई थीं .....

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई माननीय सदस्य अपने दल के घोषणापत्र की बात करें तो यह कहें कि उनके दल का उद्देश्य यह था और वह दल भारत के लिए यह करना चाहते हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं बिल्कुल यही कहना चाहता था । मेरा कहना यह है कि यह वाद विषय निर्वाचकों के समक्ष नहीं था । आप दिल्ली में इस वाद विषय के आधार पर चुनाव करवायें । यदि हम हार जायेंगे हम इस बात को मान लेंगे और निवारक निरोध अधिनियम के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे । और फिर प्रधान मंत्री भी यह कह सकेंगे कि इस निवारक निरोध को जनता का समर्थन प्राप्त था । मैं इस बात को गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं । हम यह अनुभव करते हैं कि इस बात के कारण यह उपबन्ध उसमें नहीं होना चाहिए । आप भारतीय दण्ड विधान तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को देखिये । उनमें ऐसे कितने उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत कार्यालय का अधिकारियों को निवारक कार्यों के आधार पर नागरिकों की स्वतन्त्रता अपहरण करने का अधिकार मिलता है ।

भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत ऐसे उपबन्ध जिसके अनुसार किसी अपराध को करने का प्रयत्न भी दण्डनीय है । इन दो अधिनियमों का अध्ययन कीजिये और यदि आप समझते हैं कि इसमें कुछ और परिवर्तन होना चाहिए तो आप कर सकते हैं । किन्तु

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

ऐसे उपबन्ध से देश के कानून को न बिगाड़िए कि आप बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं । यह मूल सिद्धांत है जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। जब संकट काल हो, युद्धकाल हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि ऐसा आप सीमित क्षेत्र में भी कर सकते हैं। आप यह कहिये कि आप इस कानून को अपने हाथ में रख रहे हैं और इसे उत्तरदायित्व रूप से लागू करेंगे और जब कानून के अनुसार कार्य न हो सके तो इसे लागू करेंगे। मेरा कहना है कि हमें एक नई विचारधारा बनानी चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें भूतकाल को भुलाकर वर्तमान काल पर ध्यान देना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि हमें वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखना चाहिए। हम में आपस में मतभेद हो सकता है किन्तु हम देश का हित करना चाहते हैं। यदि आप समझते हैं कि देश में विदेशों के जासूस हैं तो उनके साथ कड़ाई से व्यवहार कीजिए। हम अपने देश का अपने विचारों के अनुसार विकास करना चाहते हैं। आप देश का सामान्य कानून के अनुसार शासन कीजिये और प्रजातंत्रात्मक पद्धति का अनुसरण कीजिए ।

कुछ दिन पूर्व श्री शिवा राव ने कहा कि कांग्रेस दल का एक परमादेश था। उन्होंने आंकड़े भी बताये और कहा कि मैं २,३०,००० सदस्यों के दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारा जन संघ अक्टूबर १९५१ के बना था इस दल पर नाना प्रकार के आक्रमण किये गए। प्रधान मंत्री ने भी इसकी कटु आलोचना की । इस छोटे से दल की कोई प्रचार व्यवस्था भी नहीं थी। हमारा सबसे अच्छा प्रचार कार्य भारत के प्रधान मंत्री करते हैं। विदेशों से भी लोग पूछते हैं कि ऐसा कौनसा दल है जिसकी भारत के प्रधान मंत्री इतनी आलोचना करते हैं । उनकी आलोचनायें छपती हैं और हमारा प्रचार होता है। श्री शिवराव तो बहुत सी बातें कर सकते हैं। किन्तु वह भी तो एक नया दल बना कर चुनाव लड़कर तो देखें । हम अपना कार्य करते जायेंगे । यह तो जनता के विश्वास प्राप्त करने का प्रश्न है । 'पुलिस राज' कहने से प्रधान मंत्री क्रुद्ध हुए। किन्तु निवारक अधिनियम पर निर्भर रहने का मतभेद पुलिस राज ही है। क्योंकि आप पुलिस, तथा जासूस आदमियों की सूचना के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करेंगे । माननीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून कार्यान्वित नहीं किया जायगा यदि ऐसा होगा तो हमें प्रसन्नता होगी । उन्होंने मुर्शिदाबाद का उल्लेख किया। ऐसी बात तो अंग्रेज गृह मंत्री नहीं कहते थे । मैं तो समझा कि वह हंसी में कह रहे थे। 'कोई' भी व्यक्ति बिना मुकदमे के जेल में नहीं रहना चाहेगा, अपनी स्वतन्त्रता नहीं बेचना चाहेगा । इस बात पर गृह मंत्री के विचार ऐसे नही होने चाहिए थे। यह बात उन्होने ऐसे कही जो कुछ अनुचित सी लगी ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि विश्व में आजकल दो प्रकार की विचारधारायें हैं । एक तो यह है कि राज्य सर्वोपरि है और जनता को वहां दासित्व में डाल दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऐसा राज्य नहीं है इसमें तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा की जाती है। और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अवसरों पर इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को भी कुछ विशेष कारणों से कम कर देना पड़ता है। किन्तु जिस प्रकार से यह विधेयक तैयार किया गया है उससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बने रहने का आश्वासन नहीं मिलता । हम तो यह चाहते हैं कि हमारा देश शक्तिशाली बने और इसका निरन्तर विकास हो । किन्तु इसके उन्नति का मार्ग निवारक निरोध

अधिनियम नहीं है। यदि लोग दुर्व्यवहार करें तो इसके लिए न्यायालय हैं जो इस बात का निर्णय कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करें। पिछले बारह वर्षों से निवारक निरोध कानून चल रहे हैं। जिन दलों के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत हो सकती है वे सब यहां हैं। देश के हित के विरुद्ध जो कार्य करेगा सरकार उसके विरुद्ध यह आरोप लगा सकती है कि वह दल देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यदि वे आरोप वैध रूप से लगाये जायेंगे तो हम उनका उत्तर देंगे। प्रधान मंत्री इस विधेयक को वापिस ले सकते हैं अथवा इसमें वे संशोधन कर सकते हैं जिनका मैंने तथा अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है। इससे निर्दोष व्यक्तियों पर इस कानून के लगाये जाने का खतरा नहीं रहेगा और प्रजातंत्र प्रणाली को भी हानि नहीं होगी।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा): श्री चटर्जी तथा विशेषकर डा० मुखर्जी के भाषण सुनने के बाद, मैं समझता था कि माननीय गृह मंत्री इस विधेयक को वापिस ले लेंगे अथवा संयुक्त समिति के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन कर देंगे। किन्तु वे अपनी बात पर दृढ़ रहे। मैं समझता था, और जैसा डा० मुखर्जी ने कहा कि उन्हें इस पर कुछ खेद होगा परन्तु ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्हों ने कहा कि यह आदर्श विधान है और इसके लिए विरोधी दल का आशीर्वाद मांग कर जले पर नमक छिड़का। मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि विधि मंत्री अपनी बातों पर बड़े प्रसन्न थे। मैं इस विधेयक के उपबन्धनों तक ही सीमित नहीं रहूंगा। गृह मंत्री ने नजरबन्द को दिये जाने वाले संरक्षणों का निर्देश किया। मुझे प्रसन्नता हुई कि जो संरक्षण मैं रखवाना चाहता था उसे डा० मुखर्जी ने रखा और वह नजरबन्द को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में है। किन्तु यह महान् राज्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिक ध्यान नहीं रखता। यदि यह सिद्ध हो जाय कि नजरबन्द व्यक्ति को अपर्याप्त आधार पर नजरबन्द किया गया है तो उसे इसके लिए क्षतिपूर्ति अवश्य दी जानी चाहिए।

मैं एक और संरक्षण का सुझाव देता हूं। यदि यह सिद्ध हो जाय कि बिना पर्याप्त आधार के किसी व्यक्ति को नजरबन्द कर दिया गया है तो जिस अधिकारी ने उसे नजरबन्द किया उसे भी उतने ही दिनों तक जेल में रखा जाय। आप इसे बहुत बुरा बतायेंगे और यह भी कहा जा सकता है कि यह तो बदला लेने की भावना हुई। यहां बहुमत दल किसी संशोधन को पारित कर सकता है। कानूनी सहायता के प्रश्न पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नजरबन्द व्यक्ति को वकील सहायता न मिलने देना भी एक संरक्षण है। श्री सी० सी० शाह ने कहा कि यदि सौराष्ट्र में वकीलों को मदद करने तथा गवाहों को गवाही देने की अनुमति दी जाती तो उन गवाहों का जीवन खतरे में होता। क्या आप इस अधिनियम को इस कारण बना रहे हैं क्योंकि सामान्य कानून के मार्ग में कुछ राजों महाराजों के मामले आ गये? सरकार न्याय करना चाहती है किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आप एक सत्तावादी अथवा प्रजातंत्रात्मक आधार पर न्याय करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने भारत के नागरिकों को दो वर्गों में बांटा है; कांग्रेसी और भद्र पुरुष। यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लगाने के अभिप्राय से बन रहा है जोकि कांग्रेस दल में नहीं हैं। अधिनियम के विस्तार के सम्बन्ध में विरोधी दल का भी यह कहना है कि संकट-काल में यह अधिनियम लागू किया जा सकता है, किन्तु इसे पूरे देश पर लागू न कीजिए। देश में एकता तो होनी चाहिए। किन्तु मेरा विधि मंत्री से यह निवेदन है कि इस अधिनियम के आधार पर उस एकता को लाने का प्रयत्न न करें।

[श्री खर्डेकर]

कांग्रेस दल के सदस्य या विधि मंत्री ने यह कहा कि बहुत से राज्यों में निवारक निरोध अधिनियम का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। यदि ऐसा है तो उन राज्यों में इस विशेष कानून को क्यों रखा जाय ? जहां पर इस कानून की आवश्यकता नहीं वहां इसे बनाए रखना शर्म की बात है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर डा० कुंजरू तथा दीवान चमनलाल जैसे व्यक्तियों ने कहा कि यह अधिनियम एक वर्ष से अधिक न रखा जाय किन्तु गृह मंत्री इसे सत्ताइस महीनों तक रखना चाहते हैं क्योंकि यह आदर्श अधिनियम है। फिर इसे हमेशा के लिए ही क्यों न रखा जाय? डा० कुंजरू ने सुझाव दिया कि विभिन्न बोर्डों के अध्यक्षों से इस अधिनियम के कार्य के सम्बन्ध में उनके अनुभव के विषय में पूछा जाय। बहुत से सदस्यों को इस अधिनियम का कटु अनुभव है। कोल्हापुर में प्रशासक के रूप में ख्याति प्राप्त एक अधिकारी को तैलंगाना भेजा गया। उसके वहां के अत्याचारों का डा० जयसूर्य ने उल्लेख किया है। कुछ अधिकारियों को अधिकार का मद हो गया है और चाहे वह जो कुछ करें सरकार उनका समर्थन करती है।

इस विधेयक में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। विधि मंत्री ने कहा कि विधिवत् शासन करना प्रजातंत्र का आधार है। इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। किन्तु विधिवत् शासन का अर्थ कानूनों, अध्यादेशों तथा आदेशों को कड़ा बनाना नहीं है। कानून तो थोड़े और उचित होने चाहिएं। संयुक्त समिति के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी कानून के खतरनाक सिद्धान्तों को मानते हैं। होब्स का कहना था कि तलवार के जोर से ही जनता पर शासन हो सकता है। भारत सरकार की भी विचार धारा ऐसी ही मालूम देती है। इस विधेयक में एक ऐसा उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत हम विदेश नीति पर स्वतंत्रतापूर्वक चर्चा नहीं कर सकते। मुझे श्री एन्थनी का यह सुझाव पसन्द आया कि यह तो बनावटी प्रजातंत्र है और अच्छा हो कि हम इसके स्थान पर लोकोपकारी निरंकुश शासन रखें। उन्होंने कहा कि वह यह चाहते हैं कि इस नाम मात्र प्रजातन्त्र के स्थान पर पंडित नेहरू भारत के सम्राट् बना दिये जायें, हमें अशक्त प्रजातन्त्र की अपेक्षा एक सम्राट् के अधीन एक सुदृढ़ सरकार रखनी चाहिए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बड़ी महत्वपूर्ण बात है इससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं।

श्री चटर्जी ने "कानून रहित कानून" शब्द कहे थे जिसकी डा० काटजू तथा पंडित भार्गव ने आलोचना की थी। कानून रहित कानून का अभिप्राय दमनकारी तथा अनुचित कानून से है। गृह मंत्री ने कहा था कि उनके लिए विरोधी दल के विचारों को समझना कठिन है। किन्तु हम तो बहुमत दल के विचारों को समझ सकते हैं। सभी व्यक्तियों में तीन या चार प्रकार की भावनायें होती हैं। पहली एक अपराध भावना है। कांग्रेस दल के एक सदस्य ने अपने बचपन के अपराधों का उल्लेख किया और वह चाहते हैं कि उनकी बातें अब विरोधी दल के सदस्यों पर लागू हों। इस प्रकार कांग्रेसियों तथा अपराधियों में एक प्रकार समानता स्थापित हो सकती है। दूसरी भय की भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय तो दे सकता हूं किन्तु इन सब बातों का हमारे समक्ष प्रस्तुत विषय से क्या सम्बन्ध है ?

श्री खर्डेकर : इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भय के कारण बने हैं। हम जानते हैं कि कमजोर सरकार किसी देश के लिए विनाशकारी होती है और यदि कोई दल

देश के लिए खतरा है तो उसे अवैध घोषित किया जाय। गृह मंत्री ने कहा कि नजरबन्द व्यक्ति एक दम भाग कर छिप जाते हैं अतः न्यायालय में उन पर मुकदमा कैसे चल सकता है। यह छिपने की बात १९४२ से आरम्भ हुई। इसमें लोग अपना मकान छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने लगते हैं जिसे उस स्थान के व्यक्ति और पुलिस भी जानती है। यह विदेशियों को निकालने का एक आन्दोलन था अतः इसे प्रोत्साहित किया गया था। अब हमारी सरकार इन छिपने वालों से डरती है। मेरा सुझाव तो यह है कि सरकार इन छिपने वालों के विरुद्ध कड़े कानून बनाये। यदि सरकार किसी व्यक्ति को पकड़ना चाहती है तो वह यह घोषणा कर दे कि वह व्यक्ति १५ दिन या एक महीने में उपस्थित हो जाय नहीं तो उसे गोली मार दी जायगी। विरोधी दल के भी बहुत से सदस्य इसको मानते हैं। किन्तु निवारक निरोध अधिनियम हमारे आत्म-सम्मान के विरुद्ध है और यह अनुचित है।

एक श्रेष्ठत्व की भावना है। श्री शिवा-राव ने कहा था कि कांग्रेस को पूरे देश का समर्थन प्राप्त है। यह बात ठीक है। कांग्रेस ने कुछ अच्छे काम किये हैं और इसी कारण यह श्रेष्ठता की भावना पैदा हुई है। कांग्रेस ने देश को स्वतन्त्रता दिलवाई है। स्वतन्त्रता के महत्व का मैं उदाहरण दूंगा जोकि बड़ा हृदय विदारक है। मैं १९३५ में स्पेन गया था। वहां मैं एक दस वर्ष की एक लड़की को अंग्रेजी पढ़ाता था और वह मुझे स्पेनिश पढ़ाती थी। एक दिन उसने नक्शे में मुझसे मेरे देश के बारे में पूछा। मैंने भारत की स्थिति बताई तो उसने कहा "आपका देश बहुत बड़ा है आपके अधीन बहुत से राज्य होंगे आप बड़े आदमी हैं"। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है। फिर उसने हमारी उदारता की प्रशंसा की। मैंने उसे बताया कि भारत पर इंग्लैण्ड का अधिकार है। यह सुनकर उसने पूछा कि "आप आदमी हैं या औरत, आप क्या हैं?" यह प्रश्न था। हम कांग्रेस के कृतज्ञ हैं कि उसने हमें स्वतन्त्रता दिलवाई। किन्तु वह कौन सा कांग्रेस दल था, आज वाला या इससे कुछ भिन्न था? महात्मा गान्धी ने जो सत्याग्रह आन्दोलन चलाया था उसमें एक बात हुई। एक सात-आठ वर्ष की छोटी लड़की घर से निकली तो उसकी मां ने पूछा कि कहां जा रही हो। लड़की ने कहा मैं सत्याग्रह में जा रही हूं। मां ने कहा कि "तुम ही मेरे एकमात्र आशा हो तुम मत जाओ।" लड़की ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है। उसकी मां ने कहा कि "यदि पुलिस की लाठी यदि किसी नेता को लग जायगी तो सब स्थानों पर उसकी तस्वीरें छपेंगी किंतु यदि तुम मर जाओगी तो इसे मैं भी नहीं जान पाऊंगी।" लड़की ने उत्तर दिया स्वतन्त्रता का मन्दिर बन गया है। इस मन्दिर के गान्धी जी तथा नेहरू गुम्बज हैं, दादा भाई नौरोजी, तिलक तथा सुभाष बोस उसके स्तम्भ हैं। किन्तु व्यक्ति उन्हें भूल गये हैं। कुछ अज्ञात योद्धाओं के खून तथा त्याग पर वह स्वतन्त्रता का मन्दिर बना। प्रत्येक देश में अज्ञात योद्धा का सबसे अधिक सम्मान होता है। यहां संभवतः उस अज्ञात योद्धा पर निवारक-निरोध अधिनियम लगता है।

श्री गाडगिल : डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाषण मैंने सुना उसमें कई प्रकार के तर्क थे। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि अब जबकि सदन ने इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है तो अब इस बात पर निर्णय करना है कि इसके लिए कोई आवश्यकता है या नहीं और इस मुख्य विषय से सम्बन्धित प्रश्नों पर भी विचार करना है। इसमें संविधान का एक बड़ा प्रश्न सन्निहित है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि प्रश्न यह है कि राज्य बनाम व्यक्ति तथा प्राधिकार बनाम स्वतन्त्रता। सभी देशों ने इसका अपनी

[श्री गाडगिल]

आवश्यकतानुसार हल निकाला है। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं कि राज्य ही सब कुछ है और सर्वोपरि है। हमारे संविधान में देश की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पर्याप्त प्रावधान है। जब हम किसी कानून को बनायें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके। यदि आज इस विधेयक की आवश्यकता है तो इसके उपबन्ध वैध हैं और उनमें कुछ थोड़ा संशोधन हो सकता है। सभी को मालूम है कि देश में क्या हो रहा है। देश में लोग कानून को नहीं मानते हैं और स्थिति बिगड़ गई है। प्रधान मंत्री ने कलकत्ता का उल्लेख किया। मैं भी उस घटना को जानता हूं और यदि ऐसी बातों को होने दिया जाय तो राज्य में अव्यवस्था फैल जायगी। वहां पूरे दिन भर पुलिस तथा विरोध प्रदर्शनकारियों में लड़ाई होती रही और रात को लूटपाट मच गई। सभी प्रकार की दुकानें लूटी गईं। यदि यह दुर्घटना और बढ़ती तो बहुत हानि होती।

हैदराबाद का मामला लीजिए। ऐसा लगता है कि वहां पर विशेष प्रबन्ध होना चाहिए। जुलाई १९५१ से मई १९५२ की समाप्ति तक २५८ दुर्घटनायें हुईं। ४८ कत्ल के मामले हुए। पुलिस और सेना पर हमले के १०६ मामले हुए। ग्रामीण अधिकारियों पर हमले के ८५ मामले हुए। बम्बई म २०६ नजरबन्दों में से २३ या २४ राजनैतिक बन्दियों को छोड़ कर बाकी सब गुण्डे होने के कारण नजरबन्द हैं। कहा जाता है कि निवारक निरोध निर्वाचन का वादविषय नहीं था। आप प्रत्येक दल विशेषकर जनसंघ का कार्यक्रम देखिये उसमें नागरिक स्वतंत्रता की बात सब में सम्मिलित थी। चुनाव में कांग्रेस की बड़ी आलोचना की गई थी। और यह कहा जाता था कि कांग्रेस ने नागरिक स्वतन्त्रता के विषय में क्या किया? कांग्रेस ने हिन्दू कोड विधेयक प्रस्तुत किया है और यह चोरबाजारी करने वालों का पक्ष करती है। इन सब वादविषयों को लेकर बहुत से दलों ने कांग्रेस की आलोचना की। यह बात गलत है कि यह अधिनियम चुनाव में वादविषय नहीं था। निर्वाचकों ने इन सभी बातों पर विचार किया था और कांग्रेस को बहुमत में मत दिये।

मैंने देश की दशा पहिले ही बता दी है। बम्बई राज्य में बहुत से दल मिलकर एक हो रहे हैं। वे कांग्रेस सरकार को हटाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि जो दल व्यापारियों के इतना विरुद्ध था अब एक दम उनके प्रति इतना सहानुभूति पूर्ण हो गया है कि वह सरकार से बिक्रीकर हटाने के लिए कहता है। कांग्रेस को छोड़ कर प्रत्येक दल इस विधेयक का विरोध कर रहा है। वे ये अनुभव नहीं करते कि यदि यह विधेयक न हो तो उनका कार्यक्रम कैसे पूरा हो सकता है। क्या आप देश में व्यवस्था नहीं चाहते? शान्ति तथा व्यवस्था के बिना पंच वर्षीय योजना या अन्य कोई योजना नहीं चल सकती। इसके कहने से कोई लाभ नहीं कि नजरबन्दों की संख्या कम हो गई है अतः अब इस विधान की आवश्यकता नहीं। कुछ सदस्य यह कह सकते हैं कि संकटकाल अब नहीं है अतः इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं। इसकी आवश्यकता और औचित्य तो इस बात में है कि हम यह देखें कि सरकार के ढील देने से कहीं संकटकालीन स्थिति न पैदा हो जाय।

सरकार का केवल यही उत्तरदायित्व नहीं है कि वह इस सदन तथा इस पीढ़ी तक ही शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखे। उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे आगामी पीढ़ी को कुछ हानि हो सके। जब किसी प्रजातंत्रात्मक शासन वाले देश में

सरकार बल प्रयोग करती है तो वह बहु संख्यक जनता तथा उस हानिकारक कार्य को रोकने के लिये करती है। यदि सरकार के मंत्रियों ने या बहुमत दल ने कभी कोई बात की तो वह उस समय अच्छी रही होगी इस आधार पर उसकी आलोचना नहीं हो सकती। यदि आप शासन चलाना चाहते हैं तो जनता के लिए शासन चलाइये। यदि देश में शान्ति तथा व्यवस्था न हो तो उन्नति कैसे हो सकती है? श्री गोपालन तथा सुन्दरैय्या ने अपने असहमति पत्र में लिखा कि सरकार ने उनकी कुछ सिफारिशें नहीं मानीं अतः वे अपने कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं।

३१ मई तक देश में ९९० नजरबन्द व्यक्ति थे। क्या इनको जेल भेजने से यह सब बन्द हो जायगा? सभी जगह अधिक वेतन मांगा जा रहा है। विद्यार्थी अपने शुल्क में कमी करवाना चाहते हैं। स्त्रियां समानता की मांग कर रही हैं। अतः इस समय, जिस स्थिति में से हमारा देश तथा अन्य देश गुजर रहे हैं, इसमें सरकार का और बड़ा उत्तरदायित्व है। समाजवादी दल ने अपने असहमति पत्र में लिखा है कि साधारण कानून में संशोधन कर दिया जाय और उसके स्थान पर अन्य उपबन्ध रख दिये जायें। किसी ने कहा कि इसे आप संविधिपुस्तक में सम्मिलित कर लीजिए और संकटकाल में इसका प्रयोग करिये। यदि सरकार कोई दूसरा विधेयक प्रस्तुत करे तो मुझे विश्वास है कि यही सदस्य फिर उस पर भी आपत्ति करेंगे। वे इस विधेयक से बहुत घबड़ाते हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दण्ड विधान में बहुत से परिवर्तन करवाना चाहते हैं।

हमने कलकत्ता और सौराष्ट्र की घटनाओं से देखा कि इसकी आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों पर से कन्ट्रोल हटा कर सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में भी उत्तरदायित्व ले लिया है। कई दल तो राज्य की सुरक्षा जैसे उपबन्ध भी नहीं चाहते। एक दल एक बात की दूसरा दूसरी की और तीसरा दल तीसरी बात की आलोचना करते हैं। देश की सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा के विषय में कुछ नहीं कर सकते। समाज के लिये यह सभी बातें आवश्यक हैं। नागरिक स्वतन्त्रता के लिये सभ्य समाज होना चाहिये। डा० श्याम प्रसाद ने ठीक कहा है कि "यदि आवश्यकता हो" मैंने हैदराबाद के आंकड़ों से यह बात स्पष्ट की थी। इस विषय में किसी व्यक्ति का निर्णय मानना ही पड़ेगा अन्यथा समाज में जीवन नहीं रहेगा। संकटकालीन स्थिति पर कार्यपालिका को नियंत्रण रखना ही पड़ता है। यदि ये लोग गलती करते हैं तो ये सामान्य निर्वाचन में हटाये जा सकते हैं। आप भारतीय दण्ड-विधान और दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसा कानून ही क्यों रखा जाय जिससे सब प्रयोजन सिद्ध हो जायें।

हम इस बात के निर्णय करने का काम सरकार पर छोड़ दें। इस विधेयक की आवश्यकता पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी है। हम अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और शांति-पूर्वक इस पर विचार करें। देश की सुरक्षा के लिये यदि हमें कोई कठिन कार्य करना पड़े तो हमें करना ही चाहिये। यदि हम यह समझते हैं कि इस विधेयक की आवश्यकता है तो हमें पहिले के राजनैतिक वचनों तक ही सीमित रह कर कार्य नहीं करना चाहिय। अतः मैं प्रत्येक दल से यह अपील करता हूं कि वे न केवल दल की दृष्टि से विचार करें अपितु इस समस्या पर विचार करें। यदि सदन इसके सिद्धान्त को मान लेता है तो हमें यह देखना चाहिये कि इसका दुरुपयोग न हो सके। एक सुझाव यह था कि मान लिया कि इसकी आवश्यकता है और साम्यवादियों को छोड़ कर सभी मानते हैं कि इसकी आवश्यकता तो है—किन्तु साथ में यह भी कहा जाता है कि इस कानून को आप सुरक्षित

[श्री गाडगिल]

रखिये और आवश्यकता पर ही इसका प्रयोग किया जाय। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि नज़रबन्द व्यक्तियों की संख्या ७,००० से ९१० रह गई है। किन्तु यदि इस अधिनियम को हम हटा दें तो लोग कहेंगे कि संकटकालीन स्थिति तो पैदा होने दो आदि आदि। तो इस संकट काल का निर्णय कौन करेगा ?

किन्तु बात यह है कि जिलाधीश अथवा अन्य अधिकारी किस समय इस बात का निर्णय करेंगे कि संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है। अतः जब यह अधिनियम पूरे देश पर लागू होता है तो इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न किया जाय। दूसरी बात यह कही गई थी कि पहिला अधिनियम केवल एक वर्ष के लिये था। इससे तो यही पता लगता है कि सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार नहीं लेना चाहती है। प्रत्येक वर्ष वह सभी तथ्य सदन के समक्ष रख देती है। इस विधेयक में यह मांग की गई है कि इसका जीवन काल १९५४ तक रहे। कार्यपालिका यह समझती है कि देश के हित में इस अधिनियम को १९५४ के अन्त तक बढ़ा दिया जाय। यदि विरोधी दल यह चाहता है कि इस पर सामायिक चर्चा होनी चाहिये तो मेरा भी यही सुझाव है। यह अधिनियम पारित कर दिया जाय और गृह मंत्री १९५३ के अन्त में एक संकल्प प्रस्तुत करें कि जिससे सरकार को इसे एक वर्ष और चलाने की अनुमति मिल जाय। दूसरा तरीका यह है कि यह अधिनियम ३१ दिसम्बर १९५३ तक रहे और उसमें एक परन्तुक हो कि संसद् के दोनों सदनों द्वारा संकल्पों से इसका जीवन-काल एक वर्ष और बढ़ाया जा सके। यह मेरा अपना सुझाव है।

संयुक्त समिति तथा यहां भी यह बात उठायी गई थी कि राजनैतिक स्थिति का पुनर्विलोकन नहीं किया जाता है। इस अधिनियम के सम्बन्ध में तो विगत काल में भी हर छः महीने बाद भारत सरकार के राजपत्र में एक रिपोर्ट छपा करती थी। किन्तु होना यह चाहिये था कि देश की पूरी स्थिति तथा इस अधिनियम के उपबन्धों पर अच्छी प्रकार से विचार होना चाहिए। यदि यही अभिप्रायः है तो मेरे सुझाव से ये बातें पूरी हो जायेंगी। हमारी शासन व्यवस्था में जिलाधीश का प्रमुख स्थान है और उस पर जिले के शासन का पूरा भार होता है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। लोग संरक्षणों की बात करते हैं। इस विधेयक में संरक्षण स्पष्ट रूप से दिये हुए हैं। पहिला संरक्षण तो जिलाधीश ही है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि इसके विरुद्ध बहुत सदस्य हैं। हम यह चाहते हैं कि यदि कोई राजनैतिक कार्यकर्त्ता वास्तव में किसी सिद्धान्त में विश्वास रखता है तो उसे पकड़ कर बिना मुकदमा चलाये जेल में नहीं भेज देना चाहिये। आजकल उत्तरदायी सरकार है। सभी राज्यों में विरोधी दल के सदस्यों की संख्या पर्याप्त है जिससे उनकी बात सुनी जा सकती है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : माननीय सदस्य जिलाधीश वाले संरक्षण की बात कह रहे हैं। १९४२ में जिलाधीश के आदेशानसार उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो क्या उस जिलाधीश ने संरक्षण के रूप में कार्य किया था ?

श्री गाडगिल : वह दूसरा समय था, हम विदेशों के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब तो हमारी संसद् है। जिलाधीश सरकार से पूर्व परामर्श लिये बिना किसी राजनैतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं करेगा। यह एक संरक्षण है। फिर वह इस पूरे मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। कोई भी गृह मंत्री किसी ऐसे मामले में अनुमति नहीं

देगा जिसमें ज़रा भी सन्देह होगा। क्योंकि कुछ समय के पश्चात् उसे इन सब बातों को सदन के समक्ष स्पष्ट करना पड़ता है। आज कल सभी राजनैतिक रूप से नागरिकों के अधिकारों को जानते हैं कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में अपनी अनुमति नहीं देंगे जिसमें कुछ भी सन्देह हो।

तीसरा संरक्षण मंत्रणा बोर्ड है जिसकी रचना में दो मुख्य परिवर्तन किये गये हैं। मंत्रणा बोर्ड का अध्यक्ष कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा अथवा ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। इसके दो अन्य सदस्य या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे या ऐसे व्यक्ति जो उस कार्य के योग्य हों। मैं जानता हूं कि मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों ने इस सदन की कार्यवाहियों को भलीभांति समझ लिया होगा। मैं समझता हूं कि जिस मामले में ज़रा सा भी सन्देह होगा उसमें मंत्रणा बोर्ड नज़रबन्द को रिहा करवा देगा। यह कहा गया था १८०० नज़रबन्द छोड़ दिये गये हैं तो उनको व्यर्थ नज़रबन्द किया गया था। किन्तु ऐसा इस कारण हुआ होगा कि मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों ने यह समझा हो कि स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हे नज़रबन्द रखा जाय। यह समझना ठीक नहीं कि पुलिस ने बिना उचित कारण के ऐसा किया।

एक संरक्षण तो राज्य सरकार का अधिकार है। मझे इसमें सन्देह नहीं कि जब लोग नज़रबन्द किये जायेंगे तो उनके सम्बन्धी संसद् सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के पास पहुंचेंगे। इन बातों पर विधान मंडलों में प्रश्न पूछे जायेंगे। अतः राज्य सरकारें कुछ समय बाद या हर छः महीने बाद इन मामलों का पुनर्विलोकन करेंगी। यह एक संरक्षण है और इस विधेयक में यह दिया हुआ है कि नज़रबन्द व्यक्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र सूचना दी जानी चाहिये और सूचना मिलने पर किसी समय केन्द्रीय सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी। प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी एक बात कही गई थी। मैं समझता हूं कि मंत्रणा बोर्ड के मार्ग में किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण करने में कोई रुकावट नहीं है। अतः किसी व्यक्ति को और अधिक सूचना देने के लिये बुलाना आदि इसके अधिकार के अन्तर्गत हैं। यह मेरी व्याख्या है। किन्तु यदि यह सुझाव हो कि मंत्रणा बोर्ड को यह विशिष्ट अधिकार हो कि वह किसी गवाह को न बुलाकर सरकार से अन्य सूचना मांग सके किसी अन्य व्यक्ति से मांग सके जो इस पर गृह मंत्री विचार कर सकते है।

अब मुख्य बात यह है कि यह बात तो सिद्ध हो गई है कि इसकी आवश्यकता है और इस बात पर भी ध्यान रखा जायगा कि इस अधिनियम का दुरुपयोग न किया जा सके, तो अब हमें इस विधेयक के पक्ष मे मत देना चाहिए। हमें भावनावेश में आकर इस पर विचार नही करना चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और यहां उच्च न्यायाधिकरण के रूप में हमें विभिन्न बातों पर निश्चय करना पड़ता है। सदन के सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस विधेयक को इस प्रकार के संशोधन सहित, जिन्हें कि गृह मंत्री प्रस्तुत करें, स्वीकार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक आज साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित रहेगी।

इसके पश्चात् सदन की बैठक साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

———

सदन की बैठक साढ़े तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : संयुक्त समिति की रिपोर्ट तथा असहमतिपत्र को पढ़ने से मालूम होता है कि चर्चा के समय निवारक निरोध विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। प्रस्तुत विधेयक अधिनियम की अवधि को दो वर्ष और बढ़ाने के लिए रखा है। जब तक कि हम इस अधिनियम का पुनर्विलोकन न करें तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। देश के जिस भाग का मैं रहने वाला हूं वहां सैकड़ों किसानों तथा मजदूरों को नजरबन्द किया गया है। अतः मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह अधिनियम किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है। बहुत से सदस्यों ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों का निर्देश किया है जिससे मालूम है कि आरोप लगाये हैं। मेरे मामले में मेरे विरुद्ध यह आरोप था कि मैं १९४३ से १९४६ तक प्रान्तीय किसान सभा का सभापति था। १७ वर्ष तक यह संस्था वैध रही और १९४९ में इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया और मुझे इससे पहिले ही नजरबन्द कर लिया गया था। इस प्रकार बहुत अधिक मामलों में निराधार आरोप लगाये गये थे।

बहुत से स्थानों पर किसानों तथा मजदूरों को इस कारण गिरफ्तार किया कि वे जमींदारों के विरुद्ध अपनी मांग कर रहे थे। अतः इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद कार्यपालिका तथा पुलिस अधिकारियों को जाने के फलस्वरूप इस अधिनियम के लागू किये जाने का अनुमान लगाया जा सकता है। किसानों, मजदूरों, वकीलों तथा विद्यार्थियों को नजरबन्द किये जाने की धमकी दी जाती है। वहां आसपास के स्थानों में ५,००० व्यक्ति नजरबन्द किये गये। हमारे मामले की पैरवी करने वाले मुख्य वकीलों को भी नजरबन्द कर देने की धमकी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम को कार्यान्वित किया गया था। मार्च १९५० में पुलिस ने कंचन राव नामक विद्यार्थी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके विषय में अब भी कोई कुछ नहीं जानता। जनवरी १९५० की रात को पुलिस ने दो किसानों तथा स्थानीय मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और बाद में मालूम हुआ कि उन्हें गन्ने के खेत में गोली से मार दिया गया। एक आई० सी० एस० अधिकारी को इसका विरोध करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा।

गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का अभिप्राय किसी राजनैतिक दल पर लगाने का नहीं है। यदि ऐसा है तो वह इसमें यह संशोधन कर दें कि राजनैतिक दलों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। गृह मंत्री इसकी अवधि को दो वर्ष और तीन महीने और बढ़ाना चाहते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस विधेयक द्वारा प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों को तथा व्यक्तिगत अधिकारों को किस प्रकार हटाया और छीना जा रहा है। कांग्रेस सरकार के पिछले पांच वर्षों में यह अधिनियम सामान्य कानून सा बन गया है। सामान्य स्थिति में ऐसे बुरे अधिनियम को संविधि पुस्तक में नहीं रखना चाहिये। जब श्री गोपालन ने नजरबन्दी के निराधार आरोपों को बताया तो कांग्रेस दल के सदस्यों ने कहा कि इसमें स्थानीय अधिकारियों से कुछ गलतियां हो गयी होगी। इससे ही यह मालूम हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियां होंगी और उन पर विचार किया जाना चाहिए। यह अधिनियम गलत बात पर आधारित है और इसी कारण इसका बहुत अधिक मामलों में दुरुपयोग किया गया है।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के स्पष्ट करते हुए माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का अभिप्राय सार्वजनिक शान्ति तथा व्यवस्था

बनाये रखने और सारभूत प्रदाय आदि को बनाये रखने का है। यदि किसान और मजदूर संगठित होकर अपनी मांगें प्रस्तुत करें तो आप यह नहीं कह सकते कि इससे सारभूत प्रदाय को बनाये रखने में हानि हो रही है अतः निवारक निरोध अधिनियम को लागू किया जाय। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रजातंत्रात्मक आन्दोलन पर आक्रमण करने का नहीं होना चाहिए।

इस विषय पर जनमत लेने का प्रश्न भी था। संयुक्त समिति ने उसे अस्वीकार कर दिया। यदि आप निर्वाचन परिणाम का निर्देश करते हैं उन स्थानों को देखिये जहां इस अधिनियम को लागू किया गया था। वहां पर बड़ा दमन हुआ, देश भक्त नजरबन्द किये गये किन्तु वहां कांग्रेस की पूर्ण रूप से हार हुई। अतः मेरा प्रधान मंत्री से निवेदन है कि त्रावनकोर-कोचीन, आंध्र, केराला और तैलंगाना के चुनाव परिणाम को देखें जहां पर स्थानीय अधिकारियों ने इस अधिनियम का दुरुपयोग किया। यदि ऐसी दमनकारी नीति का अनुसरण किया गया तो कोई सरकार इस प्रकार के बुरे विधेयक से जनता की भावना को दबा नहीं सकती। देश की स्थिति पर विचार करने का यह उपयुक्त समय है।

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के कारण देश में शान्ति तथा व्यवस्था बनी रही। ऐसी बात नहीं है इसके बहुत से और कारण हैं। मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि वे इस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर इस विधेयक पर विचार करें। मैं यह समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि क्या आजकल देश में ऐसी स्थिति है कि ऐसे विधेयक की आवश्यकता पड़े। प्रधान मंत्री ने भी इस बात के कारण नहीं बताये कि इस निवारक निरोध अधिनियम की अवधि क्यों बढ़ायी जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि नजरबन्द व्यक्ति मंत्रणा बोर्ड के सामने अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है और तर्क कर सकता है। किन्तु ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि ८० प्रतिशत नजरबन्द मामूली किसान और मजदूर हैं और अशिक्षित हैं। संयुक्त समिति म एक संशोधन रखा गया था कि नजरबन्द को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए किन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया। यह कहा गया था कि मंत्रणा बोर्ड के सामने वकीलों की उपस्थिति से नजरबन्दों का मामला बिगड़ सकता है। यह कितना विचित्र तर्क है।

कल गृह मंत्री ने नजरबन्द कैम्पों को स्वर्ग बताया। किन्तु वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। उनको यातनायें भोगनी पड़ती हैं और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वयं मेरे सामने हमारे जिले के प्रधान नेता ए० वी० एस० रामाराव को गोली से मार दिया गया। स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र को चाहने वाला प्रत्येक देश भक्त इन तरीकों तथा ऐसे विधेयक का विरोध करेगा। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे स्थिति को समझें और विरोधी दल द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लें जैसा कि स्थिति को हम समझ सकते है तो स्थिति तो ऐसी खराब है नहीं और देश के अन्दर तथा बाहर से भी कोई खतरा नहीं। हां आप इस अधिनियम को सौराष्ट्र तक सीमित रख सकते हैं और सौराष्ट्र सरकार को पृथक् अधिकार दिये जा सकते हैं। सामान्य स्थिति का सामना करने के लिए तो और भी कानून हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह विरोधी दल द्वारा दिये गये संशोधनों को स्वीकार कर ले।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : कांग्रेस दल के सदस्य जेल गये और नजरबन्द भी रहे हैं अतः उन्हें इन सब बातों का अनुभव है। वे जानते हैं कि इस में बहुत सी कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं और अपने परिवार से पृथक् रहना पड़ता है। आप इन कठिनाइयों

[श्री टी० सुब्रह्मण्यम्]

को दूसरों पर नहीं लादना चाहते और न उन्हें जेल भेजकर नज़रबन्द बनाना चाहते हैं। इस लिए हम इस विधेयक पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हैं और इस विधेयक का समर्थन करते हैं। विरोधी दल के कई सदस्यों ने अपने असहमति पत्र तथा अपने भाषणों में यह कहा कि यह विधेयक प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों तथा न्याय के विरुद्ध है। अमरीका और इंगलैंड की स्थिति भिन्न है। यदि हमें संसदीय प्रजातन्त्र चलाना है तो हमें चुनाव को मानना है, इस संसद् की प्रभुता को मानना चाहिए और संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये कानूनों का आदर करना चाहिये और उन्हें मानना चाहिये। चुनावों को न मान कर यदि लोग कानून को अपने हाथ में ले लें और जनता पर आक्रमण करें तो इस से तो आतंक वाद ही फैलेगा। इसी लिये हम ने वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया। श्री गोपालन ने होश्यारपुर में अपने भाषण में कहा था कि साम्यवादी दल चुनावों को नहीं मानता है और कांग्रेस दल चुनाव से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि उन का दल हड़तालें करवायेगा प्रशासन को समाप्त कर देगा। मैं नहीं जानता कि उन के भाषण की ठीक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : यह तो सम्वाद दाता की रिपोर्ट है। यदि आप मेरा भाषण समझना चाहते हैं तो उसे पूरा पढ़िये। दो वाक्यों से मेरी बात को जांचना उचित नहीं। माननीय सदस्य ने मेरे भाषण का जो उद्धरण किया है वह गलत है।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : अच्छा हुआ आपने मेरी बात में सुधार कर दिया। मैं श्री गोपालन से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने भाषण की एक प्रति मुझे दें।

श्री गोपालन : जब तक मैं संसद् का सदस्य हूं मैं चुनाव को मानता हूं। चुनाव के कारण ही मैं यहां हूं।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : यदि कोई व्यक्ति या दल संसद के प्रभुत्व को नहीं मानता है तो इसे चुनौती देता है तो यह खतरे की चीज है और इसे रोकना चाहिये। हैदराबाद के कई स्थानों में लोगों के पास हथियार हैं और जब उन से उन हथियारों को सौंपने के लिये और हिंसा को त्यागने के लिये कहा जाता है तो वे कहते हैं कि पहिले सरकार हिंसा को छोड़ दे तब हम भी हिंसा का त्याग कर देंगे। इस का मतलब तो यह है कि सरकार पुलिस और सशस्त्र सेनाओं को समाप्त कर दे तभी वे लोग अपने हथियार सौंपेंगे। एक विशेष दल ने देश में ऐसा रवैया बना रखा है। इन्हीं बातों के कारण इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता है।

संसद् या अन्य विधान मण्डल द्वारा पारित कानून को बिना किसी अपवाद के मानना पड़ेगा। विरोधी दल के कुछ सदस्य यह कहते हैं कि यदि कानून बुरा हो तो वे उसे नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी का उद्धरण दिया गया था। हम जानते हैं कि किस दशा में उन्होंने सविनय अबज्ञा आन्दोलन के लिये कहा था। उन का कहना था कि जब सभी उचित उपाय समाप्त हो जायें तभी किसी बुरे कानून का उल्लंघन किया जाय। हम ने वयस्क मताधिकार को अपना लिया है। यदि जनता का समर्थन प्राप्त हो तो किसी कानून में संशोधन हो सकता है उसे रद्द किया जा सकता है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वह यह नहीं कह सकता कि मैं इस कानून को खराब समझता हूं इस लिये मैं इसे नहीं मानता। वह

व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। यदि इन बातों को नहीं माना जाता तो देश में संसदीय प्रजातंत्र नहीं चल सकता। सभी व्यक्तियों तथा दलों को इस सदन तथा अन्य विधान मण्डलों द्वारा पारित कानूनों की उलंघनीयता को अवश्य मानना चाहिये। कुछ सदस्यों ने इंग्लैण्ड तथा अमेरिका की न्याय प्रणाली के विषय में कहा किन्तु चीन या रूस के विषय में कुछ नहीं कहा।

कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध बताया। यहां मुझे जर्मनी के हिटलर काल का स्मरण हो आता है। हिटलर के दल वैमार रिपब्लिक ने अच्छे सिद्धान्तों का अपने स्वत्वों को पूरा करने के लिये फायदा उठाया और हिटलर ने एक सत्तावाद स्थापित किया। बिल्कुल यही हाल रूस का है। रूस में साम्यवादी दल के अतिरिक्त कोई दूसरा दल नहीं रह सकता।

दो सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक विरोधी राजनैतिक दलों पर लगाया जायगा। मेरा कहना यह है कि यदि यह दल अपना ही अधिकार रखना चाहता है तो वह संविधान को क्यों बनाता और फिर इतने शीघ्र चुनाव क्यों करवाता। चुनाव बड़े स्वतंत्र रूप से हुए थे और नजरबन्द व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते थे। लोगों को यह स्वतंत्रता है कि वे दल बना कर सरकार का विरोध करें। यदि हमारे विगत तथा इन कामों से भी इस देश तथा अन्य देश के लोग हमारी ईमानदारी तथा हमारे प्रजातंत्र के विश्वास को नहीं समझ सकते तो उन्हें भगवान ही विश्वास दिला सकता है। ब्राजील, चिली तथा स्विटजरलैण्ड आदि देशों में साम्यवादी दल अवैध घोषित कर दिया गया है। स्विटजरलैण्ड में साम्यवादी दल के व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार नहीं मिलते। ब्राजील ने तो यह अपने संविधान में रख दिया है। मैं यह बता रहा हूं कि हम ने देश में प्रजातंत्रात्मक शासन स्थापित किया है किन्तु हमारे विरोधी इस स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र को स्थापित करने की हमारी ईमानदारी को नहीं मानते।

इस विधेयक को विरोधी दल या साम्यवादी दल के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जायगा। जो व्यक्ति वैध रूप से किसी बात का विरोध करेंगे उन के विरुद्ध यह नहीं लगाया जायगा। मैं यहां यह बता दूं कि यह किन व्यक्तियों पर लगाया जायगा। हम एक गांव गये और वहां देखा कि वहां सब अनाज जला पड़ा था। पूछने पर मालूम हुआ कि पिछली रात में उसी गांव के एक शराबी गुण्डे ने उसे जला दिया था। कोई उसके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं कर सकता था। मद्य निषेध विभाग को उस के विरुद्ध कोई गवाह नहीं मिला। गांव वालों ने अपने घरों के अन्दर बताया कि वह गुण्डा है और उसने आतंकवाद फैला रखा है और उसे नजरबन्द कर दिया जाय तभी उस से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध यह अधिनियम लगाया जाना चाहिये। यह किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं लगाया जायगा। जो व्यक्ति समाज विरोधी काम करते हैं और प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, जो देश की सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा को हानि पहुंचाना चाहते हैं उन के विरुद्ध यह अधिनियम लगाया जायगा। मुझे खेद है कि विरोधी दल यह कहता है कि यह बुरा कानून है। क्योंकि जो कुछ यह दल कह रहा है वह नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। संयुक्त समिति में इस विधेयक में बहुत से परिवर्तन कर दिये गये हैं। जिलाधीश के आदेशों पर बारह दिनों में ही अनुमति मिल जानी चाहिये। अन्यथा वे रद्द हो जायेंगे। मंत्रणा बोर्ड की सम्मति आज्ञास्वरूप होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा विरोधी दल से निवेदन है कि वह इस विधेयक का समर्थन करें।

श्री एस० एस० मोरे : मैं विधेयक का विरोध करता हूं। मैं संयुक्त समिति का सदस्य

[श्री एस० एस० मोरे]

था और मैंने इस विधेयक में सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया । किन्तु गृह मंत्री ने विरोधी दल की बात नहीं सुनी । मैं और विरोधी दल भी यही समझता है कि इस विधेयक का उद्देश्य विरोधी दल को समाप्त करना और कांग्रेस दल के हाथ में सत्ता रखना है । हम इस विधेयक को 'विरोधी दलों का निवारक निरोध विधेयक' अथवा 'कांग्रेस दल के हाथ स्थायी रुप से सत्ता रखने वाला विधेयक' कह सकते हैं । कांग्रेस दल ने प्रजातंत्र के विषय में बहुत कुछ बातें कहीं। उन्होंने "शाश्वत सतर्कता से स्वतंत्रता बनी रह सकती है" इस सिद्धान्त को "शाश्वत दमन से देश की सुरक्षा बनी रह सकती है" में परिवर्तित कर दिया है। कांग्रेस विरोधी दलों को सदा के लिये दबाना चाहती है। हम कांग्रेस से यह कहते रहे हैं कि देश में यथाशीघ्र आर्थिक स्वतंत्रता लानी चाहिये ।

राजनैतिक स्वतंत्रता तो मिल चुकी है किन्तु हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई । जनता रोटी मांगती है रहने के लिये मकान मांगती है और पहिनने के लिये कपड़े मांगती है । उसकी आवाज को तथा आर्थिक स्वतंत्रता का आन्दोलन करने वालों की आवाज को दबाने के लिये कांग्रेस दल ने इस विधेयक को रखा है। संविधान में भारत की परिभाषा ही हुई है । किन्तु मैं समझता हूं कि भारत की परिभाषा यह हो सकती है : भारत अर्थात् कांग्रेस और पूंजीपतियों, नरेशों चोर बाजारी करने वालों तथा परमिट लेने वालों का संघ। १९५० में जब सरदार पटेल ने पहिला विधेयक रखा था तो उन्होंने कहा था कि यह विधेयक आवश्यक है । १९५१ में जब श्री राज गोपालाचार्य ने वैसा ही विधेयक रखा तो उन्होंने कहा कि देश में संकट कालीन स्थिति है और उसका सामना करने के लिये यह विधेयक है । हम यह कहते रहे हैं कि आज हमें बताइये कि देश में संकटकालीन स्थिति कहां है, देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को कहां खतरा है । और सारभूत प्रदाय को कहां हानि हो रही है ? किन्तु कांग्रेस दल के सदस्य हमें यह नहीं बताते कि ऐसी दशा कहां है । वे तो कहते हैं कि "आप लोग अशान्ति फैलाना चाहते हैं अतः आप उस संकट कालीन स्थिति को कैसे समझ सकते हैं।" १९३६ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष पद से यह कहा था कि अंग्रेज कांग्रेस से इतना घबराते हैं कि वे जनता की स्वतंत्रता को छीनते हैं और लोगों पर बिना मुकदमा चलाये ही उन्हें नजरबन्द कर देते हैं। उस समय जो पंडित नेहरु ने कहा था वह देश में हो रहा है ।

कांग्रेस को इस बात का भय है कि आर्थिक समस्या को लेकर कहीं राष्ट्र में आन्दोलन न हो जाय और वह यह भी जानती है कि किसान और मजदूर अब उसकी मीठी बातों में नहीं आ सकते। और आर्थिक आन्दोलन को समाप्त करने के लिये ही उस विधेयक को कानून का रुप दिया जा रहा है। जब इस दल के कुछ सदस्यों ने इंग्लैण्ड और अमेरिका का उद्धरण दिया तो कांग्रेस दल के सदस्यों ने कहा कि हम इस विधेयक के उपबन्धों की अन्य देशों से तुलना क्यों नहीं करते । किन्तु मैं इस विधेयक की अंग्रेजों द्वारा हमारी संविधि पुस्तक में रखे गये एक कानून से तुलना करता हूं । १९१८ के विनियम तथा इस विधेयक के उपबन्धों की भाषा में बहुत समानता है । निवारक निरोध अधिनियम १९५० की धारा ३ में यह दिया हुआ है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार यदि यह समझे कि किसी व्यक्ति को एक काम से रोका जाय, जो कि शान्ति तथा व्यवस्था में बाधक हो तो उसे नजरबन्द किया जा सकता है । फिर १९१८ के विनियम ३ में यह उल्लिखित है कि "ब्रिटिश सरकार के जिन विदेशों

से सम्बन्ध हों उनके तथा ब्रिटिश अधिराज्य की सुरक्षा के विषय में यदि किसी व्यक्ति के कार्यों से इन सम्बन्धों के बिगड़ने की आशंका हो तो उस व्यक्ति को नज़रबन्द किया जा सकता है। "हमारे विधेयक में" भारत के अन्य विदेशों से सम्बन्ध" शब्द दिये हुए हैं। धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार तथा ज़िलाधीशों को नज़रबन्दी का आदेश जारी करने का अधिकार मिलता है। किन्तु अंग्रेज़ ज़िलाधीशों पर इतना अधिक विश्वास नहीं रखते थे कि उन्हें ऐसे आदेश जारी करने के पूर्ण अधिकार देते। नज़रबन्द को उसको नज़रबन्द किये जाने के आधार बताने के सम्बन्ध में हमारे विधेयक में तथा उस विनियम ३ में बिल्कुल समान बात दी हुई है। मैंने एक संशोधन रखा था कि नज़रबन्द को परिवार भत्ता दिया जाय। किन्तु संयुक्त समिति ने उसे अस्वीकार कर दिया। १८१८ के विनियम ३ में इस बात का प्रवधान है। इस पर मैं अधिक नहीं कहना चाहता। इस विधेयक की धारा ३ उस विनियम के प्राक्कलन के समान ही है। अंग्रेज़ों ने परिवार भत्ता का प्रावधान किया था किन्तु कांग्रेस सरकार ने तो यह भी नहीं किया।

पंडित नेहरू ने इंग्लैण्ड और अमेरिका की प्रजातंत्रात्मक परम्पराओं के विषय में कहा और यह भी कहा कि उन्हीं परम्पराओं से उन में अनुशासन की भावना आ गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दण्ड विधान पर विचार करते समय यहां की जनता का दमन करने के लिये अंग्रेज़ों की भी भारत के विषय में यही सम्मति थी। १८६२ में जब कार्य पालिका और न्यायपालिका को पृथक् करने के प्रश्न पर विचार हो रहा था तो सर स्टीफेन ने कहा था कि भारतीय प्रजातंत्रात्मक शासन के आदी नहीं हैं वे तो निरंकुश शासन के आदी हैं अतः भारत में निरंकुश शासन ही ठीक है। मेरा कहना यह है कि जब कांग्रेस स्वतंत्रता युद्ध लड़ रही थी तो वह प्रजातंत्र को मानती थी किन्तु सत्ता मिलते ही उस के भी कार्य अंग्रेज़ों के समान हैं। इसी लिये इस विधेयक को संविधि पुस्तक में रखने का प्रयत्न किया जा रहा है।

१९०५ से बारह वर्ष तक इस देश में अपराध की लहर दौड़ गई थी। १९०७ में १८१८ के इसी विनियम के अन्तर्गत लाला लाजपत राय को गिरफ़्तार करके नज़रबन्द कर लिया गया था कांग्रेस ने यह मामला उठाया। उस समय डा० रास० बिहारी घोष ने अपने अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण में यह कहा था कि १८१८ का विनियम ३ स्थायी कानून नहीं है अपितु यह कानून के सर्वथा विपरीत है और हमारी स्वतंत्रता के लिये स्थायी खतरा है और मुकदमा चलाने से जनता का ध्यान आकृष्ट होता है। इसी कारण कांग्रेस सरकार उन व्यक्तियों को जिन के विरुद्ध देश की प्रतिरक्षा और सुरक्षा के विरुद्ध हानिकारक काम करने का आरोप हो, न्यायपालिका के समक्ष नहीं भेजती। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से यह कहा था कि यदि सरकार साधारण कानूनों के अनुसार कार्य करें तो इस में किसी को शिकायत नहीं होगी। यदि यह बात अंग्रेज़ों के लिये अनुचित थी तो मैं कांग्रेस दल के सदस्यों से पूछता हूं कि यह बात उन्हें कहां तक शोभा देती है। किन्तु कांग्रेस सरकार ने अंग्रेज़ी सरकार से तानाशाही और नौकरशाही की भावना ग्रहण की है अतः वह वास्तविकता को नहीं देखती।

कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने कहा कि हम प्रजातन्त्र को तो चाहते हैं किन्तु देश में जनता उचित रूप से व्यवहार नहीं करती; अतः कुछ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। यह तर्क तो निरंकुश शासकों के समान है। जब १९१९,

[श्री एस० एस० मोरे]

में मुसोलिनी ने अधिकार प्राप्त किया तो वह समाजवाद को मानता था । किन्तु शासन के अधिकार प्राप्त करते ही उसने अपना फासिस्ट दल बनाया और जनता के विरोध को दबाने के लिये बहुत से कानून बनाये । हमारे इस प्रस्तुत विधेयक की इटालियन सरकार द्वारा १९२६ में पारित लोक सुरक्षा अधिनियम से तुलना हो सकती है । इस अधिनियम फासिस्ट दल के विरोधियों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खतरे में पड़ गई और विरोधी दल के सदस्यों को नज़रबन्द किया गया और उन्हें मार भी डाला गया । इ.ली में वही वकील वकालत कर सकता था जो सत्ताधारी दल का सदस्य था अतः वहां के नज़रबन्द व्यक्ति को फासिस्ट दल का वकील करना पड़ता था । हमारे इस विधेयक मे ये बातें तो नहीं हैं । हम भी यह मानने को तय्यार हैं कि सरकार एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत करें कि नज़रबन्द व्यक्ति वकील कर सकता है किन्तु उसे कांग्रेस का सदस्य होना चाहिये ।

डा० काटजू ने वकीलों को बहुत बुरा बताया । किन्तु वकील न्यायपालिका के मुख्य स्तम्भ हैं और न्याय के मामले में बड़े सहायक होते हैं । डा० काटजू तो वकीलों को जर्मनी के यहूदियों से भी बुरा समझते हैं । जिस प्रकार जर्मनी में यहूदियों से हिटलर घृणा करता था और जैसे वहां एक कानून बना कर यहूदियों के नागरिक अधिकार छीन लिये गये थे, सम्भवतः उसी प्रकार कांग्रेस शासन वकीलों के साथ भी वही करेगा और शायद वकीलों को समाप्त करने के लिये कोई कानन भी बनाया जाय । कांग्रेस दल के सदस्य यह समझते हैं कि उनके जेल जाने के दिन और कष्ट भोगने के दिन चले गये अतः उन्हें वकीलों की आवश्यकता नहीं ह ोगी । पंडित नेहरू तथा कांग्रेस दल अपने दल को देश भर में बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । वह समझते हैं कि देश और कांग्रेस एक ही बात है अतः कांग्रेस के स्वत्वों की रक्षा की जानी चाहिये । मैं भी कांग्रेस में था और पुरानी कांग्रेस के लिये मेरे दिल में सम्मान है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब तो आप कांग्रेस को बुरा बताते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : किन्तु अब कांग्रेस को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है । महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस के सदस्य भी अपने कर्त्तव्य का पहिले के बराबर उत्साह पूर्वक पालन नहीं करते और न उतनी ईमानदारी से काम करते हैं । अतः अब कांग्रेस संस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये । किन्तु कांग्रेस वाले जानते हैं कि कांग्रेस का नाम हटा देने से उनका काम बिगड़ जायगा । कांग्रेस दल के सदस्य अपनी आलोचना भी नहीं सुन सकते हैं यही तो फासिस्ट दल की मनोवृत्ति होती है । मेरा कहना है कि यह विधेयक फासिस्ट मनोवृत्ति के आधार पर बनाया गया है और इससे उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जो देश की आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे हैं । गृहमन्त्री कहते हैं कि "आप हिंसा को त्याग दीजिये और हिंसात्मक कामों को बन्द कर दीजिये तो मैं इस विधेयक को वापिस लेने को तैयार हूं ।" किन्तु यह भी फासिस्ट दल द्वारा अपने विरोधियों को दिये गये आश्वासन के समान है । यहां मैं महात्मा गांधी और लार्ड लिनलिथगो का निर्देश कर दूं । १९४२ में विध्वंसकारी कार्यों के लिये कांग्रेस को उत्तरदायी ठहरा गया था और लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि कांग्रेस अपने हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक कार्यों को छिपाने के लिये अहिंसा का प्रचार करती है । किन्तु महात्मा गांधी ने यह उत्तर दिया कि लॉर्ड लिनलिथगो अपने अधिकारियों की रिपोर्टों पर निर्भर करते हैं । गांधी जी ने यह भी कहा

कि वह उनकी रिपोर्ट की ठीक नहीं मानते। उन्होंने यह भी कहा कि एक जांच न्यायालय में मुझ पर मुकदमा चलाया जाये और इस बात का निर्णय किया जाय कि कांग्रेस हिंसा के लिये उत्तरदायी थी या नहीं थी। अब कांग्रेसी कहते हैं कि विरोधी दल के सदस्यों ने हिंसात्मक कार्य किये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ३५ मिनिट ले चुके हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं चाहता हूं कि कांग्रेस दल के सदस्य यह बतायें कि हिंसा से उनका क्या मतलब है। मैं एक महाजन का उदाहरण देता हूं। एक महाजन ने अपने कर्ज़दार किसान के हिसाब में गड़बड़ी कर के उस से उसकी पैतृक भूमि छीन ली। अब मान लीजिये कि इस बात से उस किसान को गुस्सा आ जाय और महाजन के चांटा मार दे तो उसे भी हिंसा माना जायगा। किन्तु उस महाजन ने अहिंसा के अन्तर्गत हिसाब आदि में गड़-बड़ी कर के हिंसा की। यह छिपी हुई हिंसा थी और गम्भीर प्रकार की थी। किन्तु वह महाजन इस अधिनियम के अन्तर्गत बच जायगा। वह अपने जानते हुए पुलिस अधिकारियों से कह देगा कि इस आदमी ने हिंसा की है। वह बेचारा कर्ज़दारकिसान जेल में बन्द कर दिया जायगा और उसकी सुनवाई कोई नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से पुलिस अधिकारी ऐसे महाजन के साथ होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वह कर्जदार कानून को अपने हाथ में ले लेता ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं कांग्रेस के संकल्पों तथा लेखों से यह बता सकता हूं कि कांग्रेस वालों ने भी अपराध और हिंसा की थी और उन्होंने ऐसा अंग्रेज़ी नौकरशाही की उत्तेजना दिलाने पर किया था। हम सन्त और महात्मा नहीं जो उत्तेजना को सह सकें। अतः मेरा निवेदन है कि अभी जो मैंने दृष्टान्त दिया था उसमें गरीब कर्ज़दार के साथ अन्याय हो सकता है। हमारे कानून में भी यह है कि यदि कोई हिंसक कार्य उत्तेजना दिलाये जाने अथवा लघुकारक परिस्थितियों का उस में ध्यान रखा जाता है और उसे हिंसा या अपराध नहीं माना जाता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अपराध तो यह है ही किन्तु लघुकारक परिस्थितियों के कारण वह छोटा अपराध माना जायगा।

श्री एस० एस० मोरे : ऐसे कई अवसर होते हैं जब कि सब प्रकार के हिंसा के कार्य किये जा सकते हैं। किन्तु आपको इस बात का निर्णय करना है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा करने के आरोप लगाये गये हैं क्या उन्हें न्याय की दृष्टि से क्षमा किया जा सकता है या नहीं। किन्तु 'निवारक निरोध अधिनियम' के अन्तर्गत इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं हो सकता। ब्रिटिश सरकार ने भी १९३९ के भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्दी के मामलों की जांच करने के लिये विशेष न्यायाधिकरण की व्यवस्था की थी। और ऐसे मामलों में फासिस्ट दल भी कानून के अनुसार कार्य करता है। किन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत तो सरकार न्यायपालिका का भी विश्वास करने को तय्यार नहीं। सम्भवतः सरकार यह समझती है कि न्यायपालिका सरकार के पक्ष में निर्णय न दे। अन्त में मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री कास्लीवाल (कोटा–झालावाड़) : श्री सारंगधर दास ने अपने भाषण में कहा कि यह विधेयक सौराष्ट्र पर लागू किया जाना चाहिये। मैं ने उन से पूछा था कि उसे राज-स्थान पर क्यों न लागू किया जाना चाहिये ? उन्होंने इसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। यदि वह समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़ते होंगे तो उन्हें राजस्थान की दशा का ज्ञान होगा। जुलाई १३० में जोधपुर का समाचार एक

[श्री कास्लीवाल]

प्रकाशित हुआ था । वहां चेतनदास नामक कांग्रेसी कार्यकर्ता और उसके पिता और दो भाइयों को बलवन्त सिंह नामक डाकू ने मार डाला । क्योंकि इन दोनों में शत्रुता थी और चेतनदास उसको गिरफ्तार किये जाने की मांग करता रहा था और उसी ने भारत सरकार को यह सूचना दी थी कि भूपत बलवन्तसिंह की सहायता से पाकिस्तान भाग गया है । मुझे विश्वास है कि यदि श्री सारंगधर दास ने यह समाचार पढ़ा होता तो वह यह अवश्य कहते कि राजस्थान पर भी निवारक निरोध अधिनियम लागू किया जाना चाहिये ।

राम राज्य दल के एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह राजस्थान की दशा के बारे में जानते हैं। किन्तु उनके निर्वाचन क्षेत्र सीकर में कई कत्ल हुए । मैं एक और उदाहरण देता हूं । २० मई को सीकर ज़िला कांग्रेस के सचिव तथा एक एडवोकेट के कत्ल का समाचार प्राप्त हुआ । कुछ जागीरदारों ने इन दोनों को भूमि सम्बन्धी झगड़े को तय करने के लिये बुलाया । खाना खाने के बाद जब ये दोनों आराम कर रहे थे तो जागीरदारों ने इन्हें मरवा डाला और इनके कत्ल करने वालों का आज भी कुछ पता नहीं। भूपत के दोस्त और सहायक सौराष्ट्र में ही नहीं अपितु राजस्थान में भी हैं। इन जागीरदारों के पास अब भी हथियार हैं । जब सरकार भूमि सम्बन्धी कुछ सुधार करना चाहती थी तो सौराष्ट्र और राजस्थान के इन जागीरदारों ने कहा था कि "हम राज्य को परिध्वंस कर देंगे और जो हमारे मार्ग में आयेगा उसे हम जान से मार डालेंगे ।" वहां गरीब आदमियों के पास कोई हथियार नहीं हैं । आज माननीय प्रधान मन्त्री ने भी राजस्थान विशेषकर जोधपुर के चुनाव में जो कुछ हुआ उसके विषय में कहा था। राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री जय नारायण व्यास का चुनाव में एक साथी था जोकि उनके साथ कांग्रेस का प्रचार करता था। उसे धमकी दी गई और उसे घायल कर दिया गया । फिर उससे कहा गया कि "यदि तुम कांग्रेस का प्रचार-कार्य नहीं रोकोगे तो मार डाले जाओगे ।" वह मार दिया गया और अब तक कत्ल करने वाले का पता नहीं । मैं दिन दहाड़े लूट का एक उदाहरण देता हूं । जोधपुर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री सुखदेव प्रसाद के गांव में ११ बजे कुछ आदमी गये । सुखदेव प्रसाद के पास तीन बन्दूकें थीं । उन लोगों ने उनके चौकीदार से बन्दूकें सोंप देने को कहा । और उसके बाद वहां लुट, कत्ल और बलात्कार हुआ । यह छै घंटे तक होता रहा । आज भी उन आदमियों का कुछ भी पता नहीं लगा ।

मैं इस प्रकार के और उदाहरण नहीं देना चाहता । श्री चटर्जी और आज डा० श्याम प्रसाद मुखर्जी ने राजस्थान तथा अन्य प्रान्तों के विषय में कहा कि यदि वहां इस प्रकार की दशायें थीं तो सरकार को वहां निवारक निरोध अधिनियम पहिले ही लगाना चाहिये था । बड़ी विचित्र बात है । एक ओर तो वे यह कहते हैं कि इस विधेयक से प्रजातन्त्र तथा मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरी ओर यह कहते हैं कि यदि दशायें ऐसी थीं तो सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वहां निवारक निरोध अधिनियम लगाती । जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा कि राजस्थान सरकार कई कारणों से निवारक निरोध अधिनियम को लगाने की अनिच्छुक थी । एक कारण यह था कि चुनाव समीप थे और यदि यह अधिनियम लगा दिया जाता तो लोग कहते कि हम चुनाव में खड़े होना चाहते हैं और यह अधिनियम हमारे विरुद्ध लगाया जा रहा है । मुझे यह कहते हुए खेद है कि राजस्थान सरकार ने पहिले इस अधिनियम को वहां लागू नहीं किया ।

मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। किन्तु एक दो बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्री गोपालन और श्री सुन्दरैय्या ने अपने असहमति-पत्र में यह लिखा कि सरकार नजरबन्दी के अधिकार को जमींदारों तथा बड़े एकाधिकार स्वत्वों वाले व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिये तथा जनता के हितों को दबाने के लिये लेना चाहती है। किन्तु यह बात सत्य नहीं है सरकार इस अधिनियम का प्रयोग जमींदारों का समर्थन तथा सामान्य जनता को दबाने के लिये कर रही थी। श्री नम्बियार ने कहा कि संसद् सदस्य तथा विधान मण्डलों के सदस्य इस अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द न किये जायें और असहमति-पत्र में भी उन्होंने यही लिखा। किन्तु राजस्थान में चार या पांच और सौराष्ट्र में दो विधान मण्डल के सदस्य नजरबन्द किये गये। इससे वहां दशा में बहुत सुधार हुआ है। मुझे अभी मालूम हुआ है कि उनमें से दो के विरुद्ध कत्ल तथा डकैती के आरोप लगाये गये हैं। मैं यह पूछता हूं कि मान लीजिये श्री गोपालन तथा श्री सुन्दरैय्या का यह सुझाव कि सारभूत प्रदाय सम्बन्धी उपबन्धों को हटा दिया जाय और उसी प्रकार श्री चटर्जी तथा सरदार हुक्मसिंह के इस सुझाव को कि विदेशों से हमारे सम्बन्ध तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने सम्बन्धी उपबन्धों को हटा दिया जाय, तो क्या होगा ? उसका परिणाम यह होगा कि इस विधेयक का स्वरूप बहुत अधिक बदल जायेगा, यह विधेयक परिचालित किया जायेगा, इसमें समय लगेगा और विधेयक की अवधि समाप्त हो जायेगी। यह सुझाव एक राजनैतिक चाल है जिससे कि यह विधेयक पारित न हो सके।

कुमारी आनी मस्करीन : मैं नजरबन्दी, नजरबन्द व्यक्तियों, नजरबन्द कैम्पों, पुलिस तथा हवालात से बहुत अधिक परिचित हूं। मैं संसद् की प्रभुता तथा कानून द्वारा शासन चलाये जाने को मानती हूं। मैं यह भी मानती हूं कि संसद् राष्ट्र के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का पवित्र स्थान है और हम राष्ट्र के न्यायधारी हैं। ब्रिटिश संविधान का मूल आधार संसद् की प्रभुता और कानून के अनुसार शासन करना है। हमारा संविधान भी उससे बहुत मिलता है। ब्रिटेन में १७९४ और १८०१ के बीच सप्तवर्षीय अधिनियम (सेप्टीनियल एक्ट) जब पारित किया गया था तब ब्रिटिश संसद् की प्रभुता पर आपत्ति की गई थी। तब डाइसी ने कहा था कि उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी। अतः संसद् की प्रभुता नैतिक कानूनों, देश के सामान्य कानूनों तथा संविधान द्वारा सीमित है। क्या निरोध अधिनियम नैतिक कानून या देश के साधारण कानूनों पर आधारित है ? निवारक निरोध अधिनियम निष्पक्षता, सद्विवेक, न्याय तथा कानून का पालन करना इन सबका उल्लंघन करता है। यद्यपि हम किसी भी अधिनियम को पारित कर सकते हैं किन्तु हमें नैतिक कानून, प्रकृति के कानून और राष्ट्र के मूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। निवारक निरोध अधिनियम इतिहास के अनुसार १८वीं शताब्दी में भी थे और इतिहास को देखने से पता चलता है कि यह बहुत पुराने समय में भी था। किन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि देश को स्वतन्त्रता दिलाने वाले, जो इतनी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, इस निवारक निरोध अधिनियम की सहायता के बिना अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। १८वीं शताब्दीं में स्वेच्छाचारी शासक लोगों को नजरबन्द करने के लिये अपने परमाधिकार तथा अपने स्वच्छन्द अधिकारों का प्रयोग करते थे। १७१७ में वोल्टेयर को बिना कारण के ही और बिना मुकदमा चलाये बेस्टिल भेज दिया गया था। कुछ दिन पूर्व एक ऐसी बात के लिये, जिससे

[कुमारी आनी मस्करीन]

उसका कोई सम्बन्ध नहीं था, नजरबन्द कर लिया गया था ।

इन परमाधिकारों के विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया हुई । बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम प्रथम प्रतिक्रिया थी जिससे कि नजरबन्द व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित कर के उस पर मुकदमा चलता या उसे छोड़ दिया जाता । डाइसी के अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण से संवैधानिक प्रत्याभूतियों के सैकड़ों अनुच्छेदों के समान उपयोगी है । यह तो कार्यपालिका तथा विधान मण्डल के बीच शक्ति संतुलन बनाये रखने के लिये लड़ाई है । जनता ने बहुत विरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से विधान बने और इन स्वच्छन्द परमाधिकारों के विरुद्ध चाहे इनका प्रयोग सम्राट् ने किया हो अथवा जनता की प्रतिनिधि कार्यपालिका ने किया हो, जनता ने विरोध किया । अब इस देश को स्वतन्त्रता दिलाने वाले व्यक्ति, जिनका जनता ने बहुत अनुसरण किया, सदन से इस कानून को पारित करने के लिये कह रहे हैं जिससे कि लोगों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द किया जा सके इसीलिये श्री देशपांडे ने कहा था कि जिलाधीश अथवा किसी पुलिस अधिकारी की मन की तरंग पर निर्भर रहने की अपेक्षा मैं चाहता हूं कि मुझे गिरफ्तार किया जाय और मुझ पर मुकदमा चलाया जाय ।

देश को स्वतन्त्रता दिलाने वालों से मैं पूछती हूं कि उनके प्रशासन में जनता के वे अधिकार कहां हैं जिनका वे दावा करते थे ? इतिहास अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है और जनता समय समय पर इन स्वच्छन्द कानूनों का विरोध करेगी । कानून और विधान को जनता की भावना के अनुरूप होना चाहिये । चुनाव के दिनों में श्री पुन्नूस, श्री गोपालन तथा श्री नायर को नजरबन्द कैम्प में से अथवा उनके छिपे रहने के स्थानों से बाहर नहीं आने दिया गया था । श्री श्रीकण्ठन नायर संसद् तथा स्थानीय विधानमण्डल दोनों के चुनाव में जीत गये । और ये दोनों संसद के लिये चुन लिये गये । यदि इन्होंने भी इस कानून को मान लिया होता तो क्या चुनाव में उनकी इतनी बड़ी जीत हो सकती थी ?

मैं यहां पर न्यायालयों के निर्णयों का उद्धरण नहीं देना चाहती । मैं माननीय गृह मन्त्री को बताना चाहती हूं कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य में यह कानून कैसे लागू किया गया था । मुझे एक सभा की सभानेत्री बनना स्वीकार कर लेने के कारण वहां के निरंकुश अधिकारियों ने नजरबन्द कर लिया । मुझे बहुत बार नजरबन्द किया गया । इसी निवारक निरोध के कारण मैंने कांग्रेस संस्था छोड़ी । एक बार बहुत से सन्दिग्ध साम्यवादी पकड़े गये । उनमें एक केराला वर्मा नामक भद्र और सभ्य व्यक्ति भी था और एक मजदूर औरत भी नजरबन्द कर ली गई थी । उस राज्य में जब कुछ लोग गिरफ्तार कर लिये जाते हैं, उनके नेताओं को नजरबन्द कर लिया जाता है और शेष व्यक्तियों को हवालात में बन्द कर दिया जाता है । स्थानीय समाचारपत्रों में यह समाचार छपा कि जेल में एक स्त्री का सतीत्व नष्ट किया गया । मैंने समझा कि यह खबर सच न होगी । किन्तु मुझे केराला वर्मा और उस स्त्री का एक पत्र मिला । उसमें ऐसी बातें थीं कि मैं उन्हें पढ़ न सकी । मैंने वह पत्र पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को भेज दिया । मेरे लिये उस स्त्री के सतीत्व का भी वहीं महत्व है जो मेरे सतीत्व का है । यदि पुलिस ने इस निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत तलवार के जोर पर एक भद्र पुरुष से उस स्त्री का सतीत्व नष्ट करवाया तो स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करवाने वाली सरकार का मैं समर्थन नहीं कर सकती । एक और उदाहरण ।

मेरी नामक एक साम्यवादी स्त्री को गिरफ्तार किया गया । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि आप विध्वंसात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करें । उसको पकड़ने में पुलिस से लड़ाई हुई । उसके शरीर के ऊपर के भाग के कपड़े फाड़ दिये गये और उसे कुटाटुकुलम की सड़कों में से अर्द्धनग्नावस्था में ही पुलिस के थाने तक ले जाया गया। और वहां उसका अपमान किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया गया था ?

कुमारी आनी मस्करीन : इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था और यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और स्थानीय विधान मण्डल में भी इस पर चर्चा हुई थी। सरकार ने इस मामले की जांच की और उस व्यक्ति को निर्दोष बताया । जब आप कोई कानून बनाते हैं तो यदि वह निष्पक्ष कानून हो तो हम उसे मानने को तय्यार होते हैं । गृह मन्त्री ने कहा कि इससे चोर बाजारी करने वाले व्यक्ति पकड़े जा सकेंगे । मुझे आशा है कि वह अपनी श्रेणी के व्यक्तियों को भी पकड़ेंगे यदि वे भी चोरबाजारी करें । २८ जून १९५२ त्रिवेन्द्रम के जनरल अस्पताल में सोमन नायर की मृत्यु हुई । मुझे पूछने पर मालूम हुआ कि उसने जहर पी लिया था । उसने रात को शराब में जहर पी लिया था । जो चीज उसने पी थी वह मेरे पास यहां है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उसे यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं ।

कुमारी आनी मस्करीन : इस मामले में एक कांग्रेसी नेता भी हैं । यह शराब खुले बाजार में नहीं बिकती, यह त्रिवेन्द्रम में बिकती है । मैंने भी उसे वहां से खरीदा । यह "ग्रेप फ्रूट इसेन्स" कहलाती है और एर्नाकुलम में बनती है। इस कम्पनी के सब से बड़े अंशधारी वहां के विधि मन्त्री हैं । उन्होंने इसमें २१,००० रुपये लगाये हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण): इस बात का इससे क्या सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारें भी केन्द्र सरकार के समान उत्तरदायी हैं । उस सरकार के विरुद्ध बड़ा गम्भीर आरोप लगाया जा रहा है । इससे सम्बन्धित मन्त्रियों का नाम न लिया जाय क्योंकि वे यहां नहीं हैं । उस राज्य सरकार को इस बात का निर्देश किया जायगा। वह मन्त्रालय इस सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है । वास्तविक नाम बताने की आवश्यकता नहीं । उन्होंने विधि मन्त्री कहा है । इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । वह कह सकती हैं कि ऐसे व्यक्ति पकड़े नहीं गये ।

कुमारी आनी मस्करीन : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्ति यह चाहते थे कि मैं इसे यहां दिखाऊं इसीलिये मैं उसे यहां लाई हूं और मैं इसे यहां इसकी जांच किये जाने के लिये छोड़ रही हूं । मेरा अनुभव है कि वह राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करेगी । यदि आप इसकी जांच नहीं करते तो यह आपकी इच्छा है । मेरा आप से यह निवेदन है कि यदि आप कोई कानून बनायें तो उसे निष्पक्ष रूप से सभी पर लागू कीजिये । उपरोक्त व्यक्ति के विषय में यह सरकार अनभिज्ञ है । त्रावणकोर-कोचीन ने वहां के प्रशासन के विरुद्ध बहुत से आवेदन पत्र भेजे हैं । यदि माननीय मन्त्री इसकी जांच करायें तो मैं और बहुत से भ्रष्टाचार और चोरबाजारी के उदाहरण दे सकती हूं । यह कानून शान्ति तथा व्यवस्था और प्रशासन की स्थिरता के हेतु बनाया जा रहा है । किन्तु क्या इस प्रकार के बलात्कार, और यातनायें दिये जाने से शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित हो सकती है ? मेरी शुभ कामना है कि गृह मन्त्री को पूर्ण सफलता

[कुमारी आनी मस्करीन]

मिले । मेरा भाषण ऐसा था कि आप कुछ उद्विग्न से हो गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय महिला सदस्य मन्त्री थीं और इस सदन की उत्तरदायी सदस्य हैं। अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाना ठीक नहीं । आप अपना भाषण पच्चीस मिनिट में समाप्त कर लें ।

कुमारी आनी मस्करीन : मुझे खेद है । मैं अपनी उस बात को वापिस लेती हूं । यदि मैं बिना गवाही के कोई बात कहती हूं तो दूसरे पक्ष के सदस्य एक दम यह कहेंगे कि "यह बिना आधार के है, और मैं झूठ बोल रही हूं ।" मैं माननीय मन्त्री से यह कहना चाहती हूं कि यह कानून नैतिकता पर आधारित नहीं है और इसके संशोधन तो और भी विचित्र हैं और वे ऐसे हैं जैसे शहद को जहर में मिलाना । यदि सरकार शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखना चाहती है तो मेरा निवेदन है कि वह जनता की शिकायतों को दूर करे और तब इस अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । हमने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये आवेदन पत्र भेजे कि हम आप के प्रशासन में सुखी नहीं हैं । और यदि आप उन पर ध्यान दें तो इस अधिनियम की आवश्यकता न रहेगी । इस कानून से आप हमें कुछ दिन तक दबा सकते हैं, किन्तु ऐसा अधिक दिन तक नहीं चल सकता । जनता ने ऐसे अधिनियमों से विधान द्वारा या क्रान्ति द्वारा छुटकारा पाया । हम तो कानून मानने वाले नागरिकों के समान कहना चाहते हैं ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : मैं भी उसी राज्य का हूं जिसकी कि महिला सदस्य हैं । उन्होंने उस राज्य के कुछ मन्त्रियों और प्रशासन के विरुद्ध कुछ अनुत्तरदायित्वपूर्ण आरोप लगाये हैं । उस शीशी तथा उस शराब के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता । किन्तु मन्त्रियों तथा प्रशासन के विरुद्ध उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उसके विषय में मैं सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखूंगा । कुमारी मस्करीन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस संस्था को इसलिये छोड़ा कि पुलिस हवालात में किसी ने एक लड़की के सतीत्व को नष्ट करने का प्रयत्न किया ।

कुमारी आनी मस्करीन : यह उनमें से एक कारण है ।

श्री पी० टी० चाको : उस राज्य के मेरे कुछ मित्रों ने एक वक्तव्य में यह आरोप लगाया था कि मेरी नामक लड़की का, जो कि गिरफ्तार की गई थी, सतीत्व नष्ट किया गया था । यह सत्य है । मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के बाद कुमारी मस्करीन उस राज्य में मन्त्री थीं ।

श्री पुन्नूस (आलप्पी): जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका इस प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं । और अब तो कुमारी आनी मस्करीन के ऊपर ही चर्चा होने लगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्नों को केवल कहा ही जाय । उनको सुनना मेरा काम है । माननीय सदस्य ने कुमारी आनी मस्करीन की बात को सुना । उन्होंने बहुत गम्भीर आरोप लगाये । यह एक ऐसा दृष्टान्त है जिस से सदस्यों को यह मालूम हो जायगा कि यह विधेयक वांछनीय है या नहीं । श्री चाको उस आरोप का खण्डन करना चाहते हैं। इस पर माननीय सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया । इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको: मेरी नामक लड़की रात को पकड़ी गई थी किन्तु उसे इस निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस हवालात में नहीं रखा गया था । उस लड़की के विरुद्ध आरोप लगाये गये । उसके चरित्र के सम्बन्ध में मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा । उसे पहिली

बार जब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया तो उसने ऐसी कोई बात नहीं कही । जब वह जमानत पर छोड़ दी गई तो समाचार पत्रों में ऐसा एक आरोप सम्बन्धी समाचार छपा । किन्तु मुझे तो यह खेद है कि कुमारी ऑनी मस्करीन जैसी उत्तरदायी सदस्य उस समाचार के प्रकाशित होने के बाद भी उस राज्य के कांग्रेस मन्त्रिमण्डल में थीं .....

कुमारी आनी मस्करीन : मेरे त्यागपत्र देने के बहुत बाद यह बात हुई ।

श्री पी० टी० चाको: उन्होंने बिना किसी साक्षय के ऐसे आरोप लगाये और मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध करें कि जो बातें उन्होंने यहां कहीं उन के लिये वहां का प्रशासन उत्तरदायी था । वह यह भी सिद्ध करें कि किसी विशेष लड़की का सतीत्व नष्ट किया गया था । वहां की राज्य सरकार ने इन मामलों की जांच करवाई और इन आरोपों को गलत पाया । मुझे मालूम नहीं त्रावणकोर के विधि मन्त्री किसी कम्पनी के अंशधारी हैं या नहीं । यह बड़ी विचित्र बात है कि कुमारी मस्करीन के एजेंट ने, एक ऐसे स्थान से जहां मद्य निषेध है, शराब खरीदी और पी । मुझे उसकी मृत्यु का कारण पता नहीं । मुझे आश्चर्य है कि अपने को कानून मानने वाली नागरिक कहने वाली कुमारी मस्करीन ने जान बूझ कर वह शराब खरीदी और उस स्थान पर अपने पास रखी जहां मद्य निषेध है, जबकि उन्हें मालूम था कि यह एक अपराध है ।

कुमारी आनी मस्करीन : यह मैंने दूसरी जुलाई १९५२ को नई दिल्ली आते समय हवाई अड्डे के रास्ते में खरीदी । मैं यहां तीन जुलाई को आई थी । मेरे मतदाताओं ने इसे संसद् में दिखाने को कहा था अतः मैं इसे यहां लाई ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टतः उन्होंने इसे उस स्थान से खरीदा जहां मद्य निषेध नहीं और इसे वह उस स्थान में लाईं जहां मद्य निषेध नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको : ऐसा वह अपनी सफ़ाई देते समय कह सकती हैं । किन्तु उन्होंने इसे उस स्थान से खरीद कर अपने पास रखा जहां मद्य निषेध है । उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय श्री पुन्नूस, श्री नायर तथा श्री गोपालन नजरबन्द थे । किन्तु ऐसी बात नहीं थी । श्री पुन्नूस तो शायद छिपे हुए थे और उनमें से कोई नज़रबन्द नहीं था ।

श्री पुन्नूस : क्या आप कह सकते हैं कि उस समय त्रावणकोर-कोचीन में कोई नज़रबन्द नहीं था ?

श्री पी० टी० चाको : मैंने तो यह नहीं कहा । ये सब उस समय नजरबन्द नहीं थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि इस पक्ष की ओर से कुछ अन्तर्बाधा की जा रही है । माननीय महिला सदस्य ने कहा कि श्री गोपालन तथा श्री नायर और अन्य व्यक्ति उस समय नजरबन्द थे । उन्होंने यह भी कहा जनता ने इनका समर्थन किया तथा अन्य जो सदस्य चुने गये हैं वे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं । तो इसके लिये यह आवश्यक है कि दूसरा पक्ष इस बात का खण्डन करे ।

श्री पी० टी० चाको : विरोधी दल तो ऐसी बहुत सी बातें कहता है । कुछ दिन पूर्व श्री वैलायुधन ने गृह मन्त्री से पूछा कि उन्हें यह मालूम है कि त्रावणकोर-कोचीन में दो नजरबन्द जेल में हैं या नहीं । मैं उसी समय यह कहना चाहता था कि यह गलत है । इस विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय श्री वैलायुधन ने कहा था कि इस विधेयक के संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद त्रावणकोर-कोचीन में २०० या ३०० व्यक्ति गिरफ़्तार किय गये थे मैं

[श्री पी० टी० चाको]

जानना चाहता हूं कि क्या श्री वैलायुधन को यह मालूम है कि त्रावणकोर-कोचीन में कोई नज़रबन्द है या नहीं ।

श्री वैलायुधन : मैं तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विषय में कह रहा था । मैं नज़रबन्दी के विषय में नहीं कह रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं गम्भीरतापूर्वक यह सोच रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों पर कहां सीमा लगाऊं । वक्तव्य पूर्ण रूप से नहीं बताये जाते हैं । अत : मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह इस बात का पालन करें । उदाहरणार्थ, एक लड़की का उल्लेख किया गया था । वह गिरफ्तार की गई थी, नज़रबन्द नहीं की गई थी । कुमारी मस्करीन ने कहा था कि जो जांच की गई थी उसका कुछ परिणाम न हुआ ।

जब तक मैंने उन से पूछा नहीं तब तक यही पता लगता था कि उस सरकार ने कुछ नहीं किया था । अत: जो भी सदस्य अपना वक्तव्य दें उसका पूर्ण उत्तरदायित्व लें और उसे किसी समाचार पत्र आदि से सिद्ध करें और पूर्ण तथ्य सदन के समक्ष रखें ।

श्री पी० टी० चाको : कुमारी मस्करीन तथा कुछ अन्य सदस्यों ने जिस समय का उल्लेख किया उस समय मेरे राज्य में जो दशा थी उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वे यह कहते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम के कारण त्रावणकोर-कोचीन में साम्यवादियों ने कांग्रेसियों को चुनाव में हराया । इस पर बोलने से पहिले मैं एक बात कहना चाहता हूं । श्री गोपालन ने कहा था कि वह १९४१, १९४७ और उसके बाद नजरबन्द रहे । १९४१ में वह नज़रबन्द थे किन्तु १९४२ के बाद जब देश-भक्त अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे तो साम्यवादी दल ने कहा कि यह साम्राज्य-वादी युद्ध नहीं है किन्तु यह जनता का युद्ध है, वह नज़रबन्द नहीं थे । वह १९४७ तक स्वतन्त्र थे ।

श्री गोपालन : मैं उन्हें सूचनार्थ यह बता दूं कि मुझे नज़रबन्दी से रिहा नहीं किया गया था ।

श्री पी० टी० चाको : यदि मुझे ठीक याद है तो श्री गोपालन १९४२ के बाद १९४७ तक जेल में नहीं थे । यही मैं कहना चाहता था । मुझे यह कहना है कि यदि उस समय वहां श्री केलप्पन तथा श्री दामोदर मैनन ने, जोकि वहां की कांग्रेस समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा सचिव थे, उस स्थान के निवासियों को यदि लाठियों से सुसज्जित नहीं किया होता तो वहां लोग जीवित नहीं रहते क्योंकि श्री गोपालन के कुछ आतंकवादी अनुयायी लूट पाट मचा रहे थे । वे आग लगा देते थे और कत्ल कर रहे थे । निस्सन्देह यह रोक दिया गया था .....

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह सब असंगत बातें हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सदन के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाया जा रहा है ।

श्री पी० टी० चाको : यह किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं उसके अनुयायियों के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कोई विशेष अभिलेख होना चाहिये जिस से वह इसे सदन में सिद्ध कर सकें । ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहियें क्योंकि ऐसे आरोप कभी समाप्त नहीं होंगे । ऐसे आरोप यहां उपस्थित किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लगाने चाहियें और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी नहीं लगाने चाहियें जो यहां उपस्थित न हो और अपनी सफ़ाई न दे सके । और जब तक माननीय

सदस्य इन्हें सिद्ध न कर सकें तो ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहियें। क्योंकि आजकल हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं। माननीय सदस्य यह कहना चाहते थे कि साम्यवादी यह सब कर रहे थे।

श्री पी० टी० चाको : मैंने यह कभी नहीं कहा कि श्री गोपालन ने या किसी अन्य सदस्य ने ऐसा किया। मैंने यह भी नहीं कहा कि साम्यवादी ऐसा कर रहे थे। मैंने तो यह कहा था कि कुछ आतंकवादी ऐसा कर रहे थे और उनमें साम्यवादी भी हो सकते हैं। मेरे राज्य में कुछ माननीय मित्र प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता के लिये कह रहे हैं। तैलंगाना के सम्बन्ध में वे यह कह रहे हैं कि उन्होंने हथियारों का प्रयोग इसलिये किया कि दूसरे पक्ष ने बल प्रयोग किया।

श्री एस० एस० मोरे : जब मैं कांग्रेस की आलोचना कर रहा था तो मुझे आलोचना नहीं करने दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति. शान्ति। यह पीछे से आवाजें कैसे आ रही हैं ?

श्री एन० बी० चौधरी : हम बार बार यह सुनते हैं कि यह विरोधी दल है आदि आदि बातें। मैं जानना चाहता हूं कि उस ओर क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं ? माननीय सदस्य को सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखनी चाहिये। इस बात में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं आलोचना की सीमा जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई विशेष बात प्रसंगानुकूल न होगी तो मैं बोलने नहीं दूंगा। यह प्रासंगिक है। उनके राज्य में कुछ बातें हुई हैं जिन के लिये प्रमाण दिये जा सकते हैं। कोई विशेष दल या कुछ व्यक्ति दूसरों का विरोध करते हैं और ऐसा व्यवहार करते रहे हैं। इसी प्रकार के व्यक्तियों के कार्यों पर यह विधेयक लागू किया जायेगा। श्री मोरे ने सभी प्रकार की अनेक बातें कहीं किन्तु मैंने उन्हें कोई अन्तर्बाधा नहीं की।

श्री एस० एस० मोरे : मैं तो सरकारी दल के सदस्यों के अधैर्यपूर्ण रवैये का निर्देश कर रहा था। वे सभी प्रकार की बातें कहते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय को कोई सुझाव या उन पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। मेरी शिकायत तो सरकारी दल के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब सदस्य यह समझें कि कोई सदस्य किसी बात को दुहरा रहे ह और यदि इस ओर वे मेरा ध्यान दिलायें तो मैं उस पर विचार करूंगा। यह मेरा काम है कि यदि कोई सदस्य अप्रासंगिक बात कहें तो मैं उन्हें रोक दूं।

श्री पी० टी० चाको : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सरकार को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस देश में आतंकवादी. साम्यवादी, प्रतिक्रियावादी तथा पंचमार्गी हैं। आतंकवादियों के काम का मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे सदन को यह मालूम हो जायगा कि त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने वहां इस अधिनियम को क्यों लगाया और इसका क्या प्रभाव हुआ। यह कहा गया था कि तैलंगाना में लोगों ने हथियारों का सहारा इसलिये लिया कि दूसरे पक्ष ने बल का प्रयोग किया। मैं त्रावणकोर-कोचीन के सदस्यों से पूछता हूं कि मेमुरी में रात को उस वृद्ध पुरुष को बिस्तर में कत्ल कर दिया था वह क्या मामला था ? आतंकवादी उसका घर फोड़ कर घर में घुस गये। उसके लड़के अपनी जान बचा कर भागे। वह वृद्ध वहां आराम से सो रहा था

[श्री पी० टी० चाको]

उसे कत्ल कर दिया गया। एक दूसरा उदाहरण। उस पुलिस के सिपाही को क्यों कत्ल किया गया था ? वह निहत्था था, उसका क्या अपराध था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहां हुआ ?

श्री पी० टी० चाको : यह कूथाट्टुकुलम में हुआ ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : क्या वह सदन में प्रश्न के रूप में सम्बोधन कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न के रूप में नहीं कहा। जब आप को उत्तर मिलेगा तो आप इसका उत्तर दे सकेंगे ।

श्री पी० टी० चाको : मैं इस घटना को इसलिये बता रहा हूं क्योंकि यह भारत को स्वतन्त्रता मिलने के बाद हुई । पहिले भी ऐसी बातें हुई थीं। वे कह सकते हैं कि हम उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिये यह सब कर रहे थे। किन्तु ये सब बातें देश को स्वतन्त्रता मिलने के बाद हुईं। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक बार एक दरोगा को एक ऐसे अपराध की जांच के लिये, जिसका राजनैतिक दलों से कोई सम्बन्ध नहीं था, जाना पड़ा । वह रात को जब तीन सिपाहियों के साथ लौट रहा था तो कुछ आतंकवादियों ने उसे घेर लिया । तीनों सिपाही तो थोड़ी से चोट लगने के बाद भाग गये। उन लोगों ने उस दरोगा को कत्ल कर दिया और उसके मांस के टुकड़े कर दिये और उसके खून में अपने हाथ रंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहां हुआ था?

श्री पी० टी० चाको : इसके बाद वे लोग एक जलूस बना कर एक गांव में गये और वहां लोगों को खून में रंगे अपने लाल लाल हाथ दिखाये और लोगों में आतंक फैलाया।

श्री वी० पी० नायर : गिरफ्तार किये जाने के बाद पन्द्रह दिन में हवालात में ही उस मामले के कितने अभियुक्तों को कत्ल किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह पूछना उचित है ? सदन के कार्य में ऐसी अन्तर्बाधायें नहीं की जानी चाहियें। मैं सदन में ऐसी बातों की अनुमति नहीं दूंगा । व्यक्तिगत उदाहरण तो दिये जा सकते हैं। ऐसा इस विधेयक की आवश्यकता को दिखाने के लिये किया जा सकता है। सदस्य दूसरे पक्ष के साथ तर्क कर सकते हैं। मुझे दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष रहना है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ने समझा कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुछ व्यक्ति हवालात में बन्द कर दिये जाने के बाद मार डाले गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह उचित है ? जो कुछ मैंने कहा डा० मुखर्जी को उसे अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये और इतनी जल्दी अन्तर्बाधा नहीं करनी चाहिये। उनका कहना है कि पुलिस के साथ भी ऐसा हुआ। मैं बात की वास्तविकता को जानने के लिये उन से प्रश्न भी पूछता रहा हूं और ऐसा करने से अन्य सदस्यों को निराधार आरोप लगाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उन्होंने यह तथ्य ही कहा है। सदन का यह पक्ष इस विधेयक के उपबन्धों का इसलिये समर्थन करता है कि खुले रूप में गवाही देने से उसे हानि हो सकती है इसीलिये इसे गुप्त रूप से किया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि एक अपराध से दूसरे अपराध को कैसे ठीक ठहराया जा सकता है। इस कानून के अन्तर्गत पुलिस को भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। सभी सदस्यों को यह जानना चाहिये कि एक गलत काम के कारण दूसरे गलत काम को ठीक नहीं बताया जा सकता। यदि यह विधेयक

कुछ पहलुओं में गलत है तो यह वहीं तक गलत है और यदि अच्छा है तो यह दूसरे पहलुओं तक अच्छा है। अतः मैं इस विषय सभी को अपनी सम्मति प्रकट करने की अनुमति दूंगा जिससे कि सदस्य इस पर अपना मत ठीक तरह से दे सकें।

श्री पी० टी० चाको : श्री नायर का कहना है कि पुलिस उन सब अभियुक्तों पर आरोप नहीं लगा सकी। यह बात ठीक है। ऐसा करना सम्भव नहीं था। मेरा कहना यह है कि इसी कारण से निवारक निरोध अधिनियम रहना चाहिये। यदि लोग अवैध रूप से इकट्ठे हो कर लोगों को कत्ल करें और गांव में उस मांस को रखें तो ऐसी अवस्था में सभी अभियुक्तों का पता लगाना असम्भव है। उनमें से कुछ एकदम छिप गये। श्री नायर का कहना ठीक हो सकता है कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये गये थे। किन्तु मुझे ठीक मालूम है कि उनमें से कुछ पर मुकदमा चलाया गया था तथा उन्हें दण्ड दिया गया था और कुछ इसलिये बच गये कि पुलिस को गवाही ही नहीं मिली।

श्री वी० पी० नायर : मैंने तो यह नहीं कहा। मैंने तो यह पूछा था कि हवालात में कितने अभियुक्तों को कत्ल किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी बातें स्पष्ट रूप से कही जायें। जो किसी सदस्य ने न कहा हो उसे कोई सदस्य दूसरों से कहलवाने की कोशिश न करें। ये गम्भीर मामले हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैंने तो केवल यह कहा था कि कुछ अभियुक्तों को पुलिस ने हवालात में ही मार डाला था। श्री चाको इस विषय में कुछ कहें।

श्री पी० टी० चाको : तथाकथित साम्यवादियों ने किस प्रकार एडापल्ली पुलिस के थाने पर हमला किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है। सब तो नहीं पर कुछ पर अभियोग लगाया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है। जिन घटनाओं का मैंने उल्लेख किया है वे सब मेरे राज्य में १९४७ के बाद हुईं। वहां उस निवारक निरोध अधिनियम के लगाने से ये सब घटनायें बन्द हो गईं। १९४९ में एक और बात हुई। उन दिनों खाद्य पदार्थ तथा कपड़े नहीं मिलते थे। ये चीजें केवल चोर बाजारी से ही मिल सकती थीं सरकार इन चीजों का व्यवसाय करने वालों पर कोई नियन्त्रण नहीं रख सकती थी। क्योंकि ये लोग धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे अतः इनके विरुद्ध गवाही नहीं मिलती थी और इनके मामले खत्म हो जाते थे। इसी कारण सरकार ने इस अधिनियम को लगा कर ऐसे कुछ व्यक्तियों को नजरबन्द कर दिया। उनके पकड़े जाने के अगले दिन कपड़ा और खाद्य पदार्थ ठीक दाम पर मिलने लगे। इसका यह प्रभाव हुआ।

कुछ सदस्यों ने स्वतन्त्रता के विषय में कहा। किन्तु जो वृद्ध पुरुष मेमुरी में कत्ल किया गया था, तथा उस सिपाही तथा दरोगा की स्वतन्त्रता के लिये वे क्या कहते हैं। इसी अधिनियम के कारण मेरे राज्य के निवासियों की स्वतन्त्रता बच सकी है। कांग्रेसी उम्मीदवारों को चुनाव में सफलता क्यों मिली इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। किन्तु क्या साम्यवादी या अन्य कोई दल उस राज्य में जनता के इतने अधिक समर्थन का दावा कर सकता है ? जहां साम्यवादियों ने आतंक फैला रखा है वहां तो ऐसा नहीं हो सकता। इन आतंकवादी कार्यों के विरुद्ध नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना राज्य सरकार का काम है। जिस राज्य में आतंकवादी कार्य होते हों तो वहां के निवासी कुछ त्याग कर सकते हैं। स्वतन्त्रता को बनाये रखने तथा जन विकास के लिये कुछ संयम रखने की आवश्यकता है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक पर वास्तविकता की दृष्टि से विचार नहीं हो रहा है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसके लागू करने से क्या हानि होगी और इसमें कैसे संरक्षण रखे जायें । किन्तु इस पर हम भावुकता के साथ, विगत अनुभव के आधार पर तथा एक दूसरे दलों के कार्यों को ध्यान में रख कर विचार कर रहे हैं । इस अधिनियम के सिद्धांत के विषय में झगड़ा नहीं है । यदि स्थिति ऐसी हो कि इस प्रकार का विधेयक रहना चाहिये तो तथ्य तथा उस बात के कारण बताने चाहियें । क्या किसी राज्य में यह कहा गया है कि वहां इस प्रकार के विधान की आवश्यकता है ? क्या इस पर जनमत जानने का प्रयत्न किया गया था ? जब यह विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तब देश में गम्भीर स्थिति थी तब भी इसका जीवन काल अधिक समय के लिये नहीं रखा गया था । किन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या देश में इसकी अवधि सत्ताइस महीने की रखी जाय । मुझे तो माननीय मन्त्री का यह वक्तव्य बड़ा विचित्र लगा कि इसको बार बार यहां प्रस्तुत कर के संसद् का समय नष्ट करने से क्या लाभ अतः इसकी अवधि दो वर्ष और तीन महीने की रखी जाय । संसद् और किस काम के लिये है ?

किसी ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक छै महीनों या एक वर्ष बाद विरोधी दल संकल्प प्रस्तुत करे और तब सरकार इस पर यहां विचार करने का अवसर देगी कि यह विधेयक आवश्यक है या नहीं । मेरा यह विचार था कि कोई सरकार ऐसे विधान को आवश्यक काल तक के लिये रखेगी और फिर इसे जारी रखने के लिये उसे आवश्यक बातों के साथ फिर प्रस्तुत करेगी । सरकार ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि देश में स्थिति बहुत अच्छी है । फिर भी आप इस अधिनियम को दो वर्ष और तीन महीनों के लिये रखना चाहते हैं । संसद् को इतने दिनों तक के लिये इन अधिकारों को देने के लिये कहना बहुत अनियमित बात है । संविधान में ऐसे उपबन्ध के लिये अधिनियम है । किन्तु उसमें इस बात का उपबन्ध है कि जब इसकी आवश्यकता हो और जब संकट काल हो । इस विधेयक में चार खण्ड ऐसे हैं जिनमें कि देश के सभी कार्य आ जाते हैं । मैं ३२ वर्ष तक वकील रहा हूं और छै वर्ष तक राजकीय अभियोक्ता (पब्लिक प्रोसीक्यूटर) रहा हूं । मुझे न्यायालयों का कुछ अनुभव है कि अभियोक्ता तथा पुलिस अपने मामले कैसे तय्यार करते हैं और कैसे गवाही इकट्ठी की जाती है और कैसे मुकदमे चलाये जाते हैं । जिन व्यक्तियों को कानून का अनुभव नहीं होता यदि वे उसे कार्यान्वित करें ऐसे बहुत से मामले हो सकते हैं जिन में इसका दुरुपयोग होगा । तो क्या आप ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने देंगे जिन्हें उनके सदुपयोग करने का अनुभव नहीं है ? प्रधान मन्त्री ने भी कहा था कि हो सकता है कि इनका दुरुपयोग किया गया हो । जब आप ऐसे व्यक्तियों को ये अधिकार देते हैं तो उसमें आप कुछ प्रतिबन्ध और संरक्षण क्यों नहीं रखते ? ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप इसमें कुछ संरक्षण रख दें तो सदस्य इसको पारित कर देंगे । मेरा निवेदन यह है कि जब आप यह चाहते हैं कि हम सरकार को ऐसे अधिकार दें तो हम यह चाहते हैं कि जब इस बात की अत्यधिक आवश्यकता हो तभी इनका प्रयोग किया जाय । अतः उत्तरदायी व्यक्तियों को ही आवश्यक परिस्थितियों में इन अधिकारों का उचित रूप से प्रयोग करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को इसमें अधिक समय लगेगा ?

श्री राघवाचारी : मुझे दस मिनिट लगेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप इसे सोमवार को जारी रखियेगा ।

इसके पश्चात सदन की बैठक सोमवार, ४ अगस्त, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।